इमाम क़ुरैशी होगा

हिंदी:
नबीरा -ए- आला हज़रत, शहज़ादा -ए- क़मरुल उलमा
मौलाना उमर रज़ा ख़ान
क़ादरी नूरी बरेलवी

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

AMO
ABDE MUSTAFA OFFICIAL

किताब या रिसाले का नाम

इमाम क़ुरैशी होगा

मुसन्निफ़/मुअल्लिफ़ :	इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत
ज़ुबान :	हिन्दी
मौज़ू :	दिफा -ए- अहले सुन्नत
तर्जुमा :	मौलाना मुहम्मद उमर रज़ा ख़ाँ
डिज़ाइनिंग :	प्योर सुन्नी ग्राफिक्स
सना इशाअ़त :	अक्टूबर 2022
नाशिर :	साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन
सफ़ह़ात :	100

अल्लाह के
नाम से शुरू
जो निहायत मेहरबान,
रहमत वाला है।

दवामुल ऐश मिनल अइम्मति मिन क़ुरैश (1339)

इमाम
क़ुरैशी होगा

तसनीफ़ लतीफ़ :
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ क़ादरी
बरकाती बरेलवी अलैहिर रहमा

तर्जमा :
नबीरा ए आला हज़रत, शहज़ादा ए क़मरुल उलमा, मौलाना मुहम्मद उमर
रज़ा ख़ाँ क़ादरी नूरी बरेलवी

नाशिर
साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन

फ़ेहरिस्त

किसी भी उन्वान पर क्लिक करें और मुतल्लिक़ा सफ़्हे पर जाएं।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

मसअला :

क्या फ़रमाते हैं उलमा ए दीन इस मसअला में कि सल्तनत ए उस्मानिया की इआनत मुसलमानों पर लाज़िम है या नहीं, फ़रज़ियत ए इआनत के लिए भी सुल्तान का क़ुरशी होना शर्त है या नहीं या सिर्फ़ ख़िलाफ़त ए शरईया के लिए या किसी के लिए नहीं, मौलवी फ़िरंगी महली के ख़ुतबा ए सदारत में इसके मुतअल्लिक़ चंद सुतूर हैं और मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद ने रिसाला मसअला ए ख़िलाफ़त व जज़ीरा ए अरब में सफ़हा 32 से सफ़हा 70 तक हस्ब ए आदत इसे बहुत फैलाकर बयान किया है, इन दोनों का मुहस्सल यह है कि ख़िलाफ़त ए शरईया में भी क़ुरशियत शर्त नहीं, यह सही है या नहीं और इस बारे में मज़हब ए अहले सुन्नत क्या है।

अलजवाब :

الحمد لله الذی فرض اعانة سلاطین الاسلام علی المسلمین و فضل قریشا بخاتم النبیین و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیه و علیهم و بارك وسلم الیٰ یوم الدین و علیٰ اٰله و صحبه و ابنه و حزبه كل اٰن و حین۔

रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,

ان الدین النصیحة لله و لكتابه و لرسوله و لائمة المسلمین و عامتهم۔ رواه احمد و مسلم و ابوداؤد و النسائی عن تمیم الداری و الترمذی و النسائی عن ابی هریرة و احمد عن ابن عباس و الطبرانی فی الاوسط عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنهم۔

बेशक दीन यह है कि अल्लाह और उसकी किताब और उसके रसूल से

सच्चा दिल रखे और सलातीन ए इस्लाम और जुमला मुसलमानों की ख़ैर ख़वाही करे। सल्तनत अलैहि उस्मानिया अय्यदहल्लाहु तआला न सिर्फ़ उस्मानिया, हर सल्तनत ए इस्लाम, न सिर्फ़ सल्तनत, हर जमाअत ए इस्लाम, न सिर्फ़ जमाअत, हर फ़र्द ए इस्लाम की ख़ैर ख़वाही हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसमें क़ुरशियत शर्त होना क्या माना, दिल से ख़ैर ख़वाही मुतलक़न फ़र्ज़ ए ऐन है, और वक़्त ए हाजत दुआ से इमदाद व इआनत भी हर मुसलमान को चाहिए कि उससे कोई आजिज़ नहीं और माल या आमाल से इआनत फ़र्ज़ ए किफ़ाया है और हर फ़र्ज़ ब क़दर ए क़ुदरत, हर हुक्म बशर्ते इस्तिताअत।

मुफ़लिस पर इआनत ए माल नहीं, बे दस्त व पा पर इआनत ए आमाल नहीं व लिहाज़ा मुसलमानान ए हिंद पर हुक्म ए जिहाद व क़िताल नहीं। बादशाह ए इस्लाम अगरचे ग़ैर क़ुरशी हो अगरचे कोई ग़ुलाम हब्शी हो उमूर ए जाइज़ा में उसकी इताअत तमाम रइयत और वक़्त ए हाजत उसकी इआनत ब क़दर ए इसतिताअत सब अहले किफ़ायत पर लाज़िम है, अलबत्ता अहले सुन्नत के मज़हब में ख़िलाफ़त ए शरईया के लिए ज़रूर क़ुरशियत शर्त है, इस बारे में रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुतावातिर हदीसें हैं, इसी पर सहाबा का इजमा, ताबाईन का इजमा, अहले सुन्नत का इजमा है, इसमें मुख़ालिफ़ नहीं मगर ख़ारजी या कुछ मोतज़ली, कुतुब ए अक़ाइद व कुतुब ए हदीस व कुतुब ए फ़िक़्ह इससे मालामाल हैं, बादशाह ग़ैर क़ुरशी को सुल्तान, इमाम, अमीर, वाली, मलिक कहेंगे, मगर शरअन ख़लीफ़ा या अमीरुल मोमिनीन कि यह भी उर्फ़न इसी का मुतारादिफ़ है, हर बादशाह क़ुरशी को भी नहीं कह सकते सिवा उसके जो सातों शुरूत ए ख़िलाफ़त, (1) इस्लाम, (2) अक़्ल, (3) बुलूग़ (4) हुर्रियत (5) ज़ुकूरत (6) क़ुदरत (7) क़ुरशियत सबका जामेअ होकर तमाम मुसलमानों का फ़रमांरवा ए आज़म हो

_ इजमाली कलाम व वाक़िआत ए आम व इज़ाला ए औहाम ए जुह्हाल ख़ाम _ अक़ूल व बिल्लाहित तौफ़ीक़, इस्म ख़िलाफ़त में यह शरई इसतिलाह है जुमला सदियों में इसी पर इत्तिफ़ाक़ ए मुसलीमीन रहा।

(1) ज़माना ए सहाबा से बराबर उलमा ए किराम ख़ुलफ़ा मुलूक को अलाहदा करते आए हत्ता कि ख़ुद सलातीन इसी के पाबंद रहे और आज तक हैं, बड़े बड़े जब्बार बादशाह गुज़रे कभी ग़ैर क़ुरशी ने तुर्क हों या मुग़ल या पठान या कोई और, अपने आपको ख़लीफ़ा न कहलवाया, न ख़िलाफ़त ए मुस्तफ़विया शरईया का दावा किया, जब तक ख़िलाफ़त ए अब्बासिया क़ाइम रही, ख़लीफ़ा ही की सरकार से सलातीन की ताजपोशी होती, सुल्तान दस्त ए ख़लीफ़ा पर बैअत करता और इस मनसब ए शरई का मुस्तहिक़ उसी को जानता अगरचे ज़ोर व ताक़त व सतवत में उससे कही ज़ाइद होता, जब कुफ़्फ़ार तातार के दस्त ए ज़ुल्म से मुहर्रम 656 हिजरी में जामा ए ख़िलाफ़त तार-तार हो गया, उलमा ने फ़रमाया साढ़े तीन बरस तक ख़िलाफ़त मुनक़तअ रही हालांकि उस वक़्त भी क़ाहिर सल्तनतें मौजूद थीं, मिस्र में मलिक ज़ाहिर सुल्तान बेबरस का दौर दौरा था।

इमाम जलालुद्दीन सुयूती तारीख़ुल ख़ुलफ़ा में ख़ातमुल ख़ुलफ़ा मुस्तअ'सिम बिल्लाह की शहादत के बाद ज़िक्र फ़रमाते हैं,

ثم دخلت سنة سبع و خمسين و الدنيا بلا خليفة۔

फिर 657 हिजरी आया और दुनया बे ख़लीफ़ा थी। फिर फ़रमाया,

ثم دخلت سنة ثمان و خمسين و الوقت ايضا بلا خليفة ۔

फिर 656 हिजरी आया और ज़माना इसी तरह बे ख़लीफ़ा था। फिर फ़रमाया,

و تسلطن بيبرس و ازال المظالم و تلقب بالملك الظاهر ثم دخلت سنة تسع و

خمسين و الوقت ايضا بلا خليفة الى رجب فاقيمت بمصر الخلافة و بويع المستنصر و كان مدة انقطاع الخلافة ثلاث سنين و نصفا۔ (ملخصاً)۔

बेबरस सुल्तान हुआ और उसने ज़ुल्म दफ़्अ किए और अपना लक़ब मलिक ज़ाहिर रखा, फिर 659 आया और वक़्त ए माह रजब तक यूँही बे ख़लीफ़ा था यहां तक कि मिस्र में फिर ख़िलाफ़त क़ाइम की गई मुस्तनसिर बिल्लाह अब्बासी के हाथ पर बैअत हुई ख़िलाफ़त साढ़े तीन बरस तक मादूम रही। (मुलख़्ख़सन)। यूँही हसनुल मुहाज़रा फ़ी अख़बार ए मिस्र वल क़ाहिरा में फ़रमाया,

لما اخذ التاتار بغداد و قتل الخليفة اقامت الدنيا بلا خليفة ثلث سنين و نصف سنة و ذلك من يوم الاربعا و رابع عشر صفر سنة ست و خمسين و هو يوم قتل الخليفة المستعصم رحمه الله تعالىٰ الى اثناء سنة تسع و خمس مائة ۔

यानी जबकि तातारियों ने बग़दाद मुक़द्दस ले लिया और ख़लीफ़ा शहीद हुए, दुनया साढ़े तीन बरस बे ख़लीफ़ा रही और यह 14 सफ़र चार शम्बा 656 हिजरी, कि रोज़ ए शहादत ए ख़लीफ़ा मुस्तअ`सिम रहमहुल्लाहि तआला था, से 13 रजब 659 तक का ज़माना था।

(2) यह ख़िलाफ़त कि मिस्र में क़ाइम हुई और ढाई सौ बरस से ज़ाइद रही ख़ुद सुल्तान की क़ाइम की हुई थी, सुल्तान ब ज़ाहिर उसका दस्त ए निगर होता और ख़िलाफ़ पर क़ादिर था नज़र ब क़ुव्वत बे तफ़वीज़ ए ख़लीफ़ा भी नज़्म व नस्क़ व रतक़ व फ़तक़ व अम्र व हुक्म में सुल्तान मुस्तक़िल था, ख़लीफ़ा अमीरुल मोमिनीन कहलाने और बैअत लेने और ख़ुतबा व सिक्का को ज़ीनत व सलातीन को ताज व ख़िलअत देने के लिए होता बल्कि इसकी बिना ख़ुद ख़िलाफ़त ए बग़दाद में पड़ चुकी थी, मुक़तदिर बिल्लाह को 296 हिजरी में

तेरह बरस की उम्र में ख़िलाफ़त मिली, तिफ़्ली व इश्तिग़ाल बाज़ी व इख़्तियारात ए ज़नान व इस्तिख़दाम ए यहूद व नसारा ने ज़ोफ़ पहुंचाया, मुल्क ए मग़रिब निकल गया, मिस्र निकल गया क़रामिता मलऊनों का ज़ोर हुआ। फिर 324 हिजरी में वास्ता का सूबा मुहम्मद इब्न ए राइक़ ख़लीफ़ा राज़ी बिल्लाह पर फ़ाइक़ हुआ, ख़लीफ़ा नाम के लिए था फिर यह बिदअत ए शुनीआ मुद्दतों मुस्तमिर रही मगर तमाम उलमा व मुसलीमीन और ख़ुद जब्बार से जब्बार सलातीन भी ख़िलाफ़त उन्हीं क़ुरशी ख़ुलफ़ा की मानते और उन्हीं से परवाना व ख़िलअत ए सल्तनत लेते। अगर ग़ैर क़ुरशी भी ख़लीफ़ा हो सकता तो सलातीन ख़ुद ख़ुलफ़ा बनते, क्या ज़रूरत थी उन क़ुरशिओ को अपना तग़ल्लुब मिटाने के लिए हीला ए शरईया के वास्ते ख़लीफ़ा बनाते और अपने ज़ेर दस्तों के हुज़ूर सर ए बन्दगी झुकाते और उनके हाथ से ताज व ख़िताब पाते, मगर नहीं वह मुसलमान थे सुन्नी थे जानते थे कि हम क़ुरशी नहीं, हमारी ख़िलाफ़त नहीं हो सकती और बे तौलियत ए ख़िलाफ़त बतौर ए ख़ुद सुल्तान करेंगे तो दाग़ ए तग़ल्लुब हमारी पेशानी से न मिटेगा इसलिए उन अब्बासी क़ुरशिओं की ख़िलाफ़त रखी थी।

(3) फिर उधर ही के सुल्तान नहीं इस दूर दराज़ ममलुकत ए हिन्द के मुतशर्रअ सलातीन ने भी उन्हीं ख़ुलफ़ा से अपने नाम परवाना ए सल्तनत किया हालांकि यह किसी तरह तसल्लुत की राह से उनके मातहत न थे, तारीख़ुल ख़ुलफ़ा में है,

و فی سنة اربع عشرة ارسل غیاث الدین اعظم شاہ بن اسکندر شاہ ملك الهند یطلب التقلید من الخلیفة و ارسل الیه مالا و للسلطان هدیة۔

सन आठ सौ चौदह में बादशाह ए हिन्द आज़म शाह ग़यासुद्दीन इब्न ए सिकंदर शाह ने ख़लीफ़ा मुस्तईन बिल्लाह अबुल फ़ज़्ल से अपने लिए परवाना

ए तक़र्रुर ए सल्तनत मांगा और ख़लीफ़ा के लिए नज़र और सुल्तान ए मिस्र को हदया भेजा। ख़ुद मिस्टर के इसी रिसाला ए ख़िलाफ़त, सफ़हा 79 में है, "जब तक बग़दाद की ख़िलाफ़त रही हिन्दुस्तान के तमाम हुक्मरान उसके फ़रमां बरदार रहे जब 660 हिजरी[1] में मिस्र की अब्बासी ख़िलाफ़त का सिलसिला शुरू हुआ तो अगरचे अब्बासिया के कारवान ए रफ़्ता का महज़ एक नुमूद ए ग़ुबार था ताहम सलातीन ए हिन्द उसकी हल्क़ा बगोशी व ग़ुलामी को अपने लिए फ़ख़्र समझते रहे और मरकज़ी ख़िलाफ़त की अज़मत ए दीनी ने मजबूर किया कि अपनी हुकूमत को शरई तौर पर मनवा देने के लिए मक़ाम ए ख़िलाफ़त से परवाना ए नियाबत हासिल करते रहें।" फिर सुल्तान मुहम्मद इब्न ए तुग़लक़ शाह व सुल्तान फ़िरोज़ शाह की बन्दगी व ग़ुलामी जो उस ख़िलाफ़त से रही और फ़िरोज़ शाह के लिए दरबार ए ख़िलाफ़त से दो बार परवाना ए तक़र्रुर

ए सल्तनत व निशान व ख़िलअत का आना लिखा और यह कि सुल्तान ने उसकी कमाल ताज़ीम की और यह समझा कि गोया यह इज़्ज़त आसमान से उतरी और यह सनद बारगाह ए रिसालत से मिली, फिर कहा (सफ़हा 80) "ग़ौर करो मक़ाम ए ख़िलाफ़त की अज़मत का हमेशा क्या हाल रहा ख़िलाफ़त ए बग़दाद मिटने के बाद भी ख़िलाफ़त की सिर्फ़ एक इस्मी निस्बत भी इस दर्जा जबरूत रखती थी कि हिन्दुस्तान जैसे बईद गोशा में एक अज़ीमुश शान फ़रमांरवा ए अक़लीम मिस्र के दरबार ए ख़िलाफ़त से इज़्न व इजाज़त हासिल होने पर फ़ख़्र करता है, मिटने पर भी उस मक़ाम की अज़मत तमाम आलम ए इस्लामी पर इस तरह छाई रहती है कि वहाँ का फ़रमान आसमानी फ़रमान और वहाँ का हुक्म बारगाह ए नुबूवत का हुक्म समझा जाता है।" ख़ुदा जाने मिस्टर

[1] यह ग़लत है बल्कि 9 रजब 659 हिजरी।

आज़ाद यह किस जंग या किस नशे की तरंग में लिख गए, उनका ऐतिक़ाद तो यह है कि "इंतिख़ाब ए ख़लीफ़ा का मौक़ा न रहा हो तो ख़लीफ़ा तसलीम कर लेने के लिए बजुज़ इस्लाम और हुकूमत के जमाव और जगह पकड़ लेने के और कोई शर्त नहीं।" सुबहान अल्लाह यह सलातीन ए हिन्द व सलातीन ए मिस्र और ख़ुद सुल्तान बेबरस जिसने उस ख़िलाफ़त की बुनियाद रखी मुसलमान ही थे और उनकी हुकूमतें जमी हुई थीं तो आपकी काफ़ी साख़्ता दोनों शर्त ए ख़िलाफ़त मौजूद थीं फिर उन्होंने ख़ुद अपने आपको ख़लीफ़ा क्यों न जाना और उनकी हुकूमत शरई तौर पर मानने के क़ाबिल क्यों न हुई हालांकि आपके नज़दीक शरीअत का हुक्म है कि "उसी को ख़लीफ़ा मानना चाहिए ख़वाह तमाम शर्तें उसमें पाई जाएं या न पायी जाएं।" (सफ़हा 51) "हर मुसलमान पर अज़ रू ए शरअ वाजिब है कि उसी को ख़लीफ़ा ए इस्लाम तसलीम करे।" (सफ़हा 35)

ख़ैर आपका तनाक़ुज़ आपको मुबारक। सलातीन ए इस्लाम ने क्यों अपनी ख़िलाफ़त न मानी और वह क्या बात उनमें कम थी जिसके लिए उन्हें दूसरे की ख़िलाफ़त जमाने और उसकी इजाज़त के सदक़े अपनी हुकूमत को शरई मनवाने की ज़रूरत पड़ी। ज़ाहिर है कि वह न थी मगर शर्त ए क़ुरशियत।

(4) मिस्टर को छोड़िए जिन्होंने दो ही शर्तें रखीं, अइम्मा ए दीन तो सात बताते हैं, देखिए शायद उनमें की कोई और शर्त मफ़क़ूद होने के सबब सलातीन ने अपने आपको ख़लीफ़ा न समझा, ऊपर गुज़रा कि वह (1) इस्लाम व (2) हुर्रियत व (3) ज़ुकूरत व (4) अक़्ल व (5) बुलूग़ व (6) क़ुदरत व (7) क़ुरशियत हैं, हम देखते हैं कि इन सलातीन में छह मौजूद थीं, पहली पाँच बदाहतन और क़ुदरत यह कि हुकूमत का जमाव बे उसके नहीं तो सिर्फ़ एक ही क़ुरशियत न थी ला जरम उसके न होने से तमाम सलातीन ने अपने आपको ख़लीफ़ा न माना

और क़ुरशी ख़िलाफ़त का मोहताज दस्त ए निगर जाना।

(5) बल्कि बतौर ए मिस्टर अम्र वाज़ेह तर है उन नाम के ख़ुलफ़ा में अगर क़ुरशियत मौजूद थी क़ुदरत मफ़क़ूद थी कि वह सलातीन के हाथों शतरंज के बादशाह थे, जब्बार ख़ूंख़वार मुतकब्बिर मुतजब्बिर सलातीन के सर में यूँ भी सौदा ए मुसावात व बे नियाज़ी न समाया और उन्हीं को ख़लीफ़ा और अपने आपको उनका मोहताज ठहराया हत्ता कि जब सुल्तान बेबरस ने मुस्तनसिर को ख़लीफ़ा किया और उससे परवाना ए सल्तनत लिया, ख़लीफ़ा ने इज़हार ए इन्क़ियाद के लिए उसके पाँव में सोने की बेड़ियाँ डालीं और सुल्तान ने ख़दम हशम के साथ यूँही क़ाहिरा अपने दारूल सल्तनत का गश्त किया कि गले में तौक़ और पाँव में बेड़ियाँ और आगे-आगे वज़ीर के सर पर ख़लीफ़ा का अता किया हुआ परवाना ए सल्तनत (हसनुल मुहाज़रा), रौशन हुआ कि वह शर्त ए क़ुरशियत किस दर्जा अहम व ज़रूरी तर जानते थे उन्होंने ख़याल किया कि क़ुदरत मुकतसिबा भी होती है बल्कि उसे इकतिसाब से मफ़र नहीं कि मुल्कों पर तन्हा का तसल्लुत आदतन नहीं होता मगर अफ़वाज व इताअत ए जमाअत से जब इक़्तिदार वालों ने उन्हें सर पर रख लिया तो मक़सूद इक़्तिदार हासिल हो गया जैसे ख़लीफ़ा में ख़ुद आलिम ए उसूल व फ़रअ होने की शर्त इत्तिफ़ाक़ी न रही कि दूसरे के इल्म से काम चल सकता है लेकिन क़ुरशियत ऐसी चीज़ नहीं कि दूसरे से मुकतसिब हो लिहाज़ा अपने इक़्तिदार का ख़याल न किया और उनकी क़ुरशियत के आगे सर झुका दिया।

(6) न सिर्फ़ सलातीन बल्कि ब कसरत ए अइम्मा व उलमा ने इसी को ख़िलाफ़त जाना ख़िलाफ़त ए बग़दाद पर पिछली तीन सदियाँ जैसी गुज़रीं उन्हें जाने दो तो यही ख़िलाफ़त ए मिस्र लो जिसे तुम कारवान ए रफ़्ता की महज़ एक नुमूद ए ग़ुबार कहते हो।

(अ) जब बेबरस ने मुस्तनसिर की ख़िलाफ़त क़ाइम करनी चाही सबमें पहले इमाम अजल्ल इमाम इज़्ज़ुद दीन इब्न ए अब्दुस सलाम ने बैअत फ़रमाई फिर सुल्तान बेबरस फिर क़ाज़ी फिर उमरा वग़ैरहुम ने।

(ब) फिर अबुल अब्बास हाकिम बिअम्रिल्लाह के बेटे तीसरे ख़लीफ़ा ए मिस्री मुस्तकफ़ी बिल्लाह की ख़िलाफ़त का इम्ज़ा और उसकी सेहत का सुबूत इमाम अजल्ल तक़ीउद्दीन इब्न ए दक़ीक़ुल ईद के फ़तवे से हुआ, उनके अहद नामा ए ख़िलाफ़त में था,

الحمد للہ الذی ادام الائمۃ من قریش و جعل الناس تبعا لھم فی ھذا الامر فغیرھم بالخلافۃ العظمۃ لا یدعی و لا یسمی۔

सब खूबियां अल्लाह को जिसने ख़लीफ़ा हमेशा क़ुरैश में से किए और तमाम लोगों को ख़िलाफ़त में उनका ताबेअ किया तो ग़ैर क़ुरशी को न ख़लीफ़ा कहा जाएगा न वह इस नाम से पुकारा जाए। इस पर क़ाज़ीउल क़ज़्ज़ात शम्सुद दीन हनफ़ी के दस्तख़त हुए।

(ज) फिर मुस्तकफ़ी के बेटे अबुल अब्बास अहमद हाकिम बिअम्रिल्लाह की सेहत ए ख़िलाफ़त पर इमाम क़ाज़ीउल क़ज़्ज़ात इज़्ज़ुद दीन इब्न ए जमाअह ने शहादत दी और उनकी मिसाल ए बैअत अल्लामा अहमद शहाब इब्न ए फ़ज़्लुल्लाह ने लिखी इसमें उनको ख़लीफ़ा ए जामेअ शराइत ए ख़िलाफ़त लिखा और लिखा कि

وصل الحق الیٰ مستحقہ۔

हक़ ब हक़दार रसीद,

کل ذلک فی حسن المحاضرۃ۔

(द) इमाम अजल्ल अबू ज़करिया नववी इसी ख़िलाफ़त ए मिस्रिया के दौर

से मुताल्लिक़ शरह ए सहीह मुस्लिम में फ़रमा रहे हैं,

قد ظهر ما قاله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فمن زمنه الى الآن الخلافة فى قريش

रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़ाहिर हो गया कि जबसे आज तक ख़िलाफ़त क़ुरैश ही में है। देखो अकाबिर अइम्मा बराबर उन्हें ख़ुलफ़ा मानते आए।

(ह) इमाम ख़ातमुल हुफ़्फ़ाज़ जलालुद दीन सुयूती ने तारीख़ुल ख़ुलफ़ा में यह तमाम ख़िलाफ़तें बग़दादी फिर मिस्री ज़िक्र कीं और ख़ुतबा में फ़रमाया,

ترجمت فيه الخلفاء امراء المؤمنين القائمين بامر الامة من عهد ابى بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه والى عهدنا هذا ـ

मैंने इस किताब में उनके अहवाल बयान किए जो ख़लीफ़ा अमीरुल मोमिनीन कार ए उम्मत पर क़याम करने वाले सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु के वक़्त से हमारे ज़माने तक हुए।

(व) फिर फ़रमाया मैंने उसमें किसी उबैदी का ज़िक्र न किया कि कई वजह से उनकी ख़िलाफ़त सहीह नहीं, एक तो वह क़ुरशी न थे, दूसरे वह बद मज़हब बे दीन कम अज़ कम राफ़ज़ी थे,

ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم امامة ـ

ऐसों के लिए न बैअत हो सके न उनकी ख़िलाफ़त सहीह। तीसरे यह कि उनकी बैअत उस वक़्त हुई कि ख़िलाफ़त ए अब्बासी क़ाइम थी और एक वक़्त में दो ख़लीफ़ा नहीं हो सकते, चौथी यह कि हदीस फ़रमा चुकी कि ख़िलाफ़त जब बनी अब्बास को मिलेगी फिर ज़ुहूर ए इमाम महदी तक दूसरे को न पहुंचेगी, इन वुजूह से मैंने उबैदियों को ज़िक्र न किया,

وانما ذكرت الخليفة المتفق على صحة امامته ـ

मैंने वही ख़ुलफ़ा ज़िक्र किए जिनकी सेहत ए ख़िलाफ़त पर इत्तिफ़ाक़ है। देखो कैसी सरीह नस हैं कि यह कमज़ोर ख़िलाफ़तें भी सहीह ख़िलाफ़त हैं, आख़िर किस लिए, इसलिए कि क़ुरैश हैं और ज़बरदस्त ताक़तवर सलातीन ग़ैर क़ुरशी।

(ज़) ख़लीफ़ा मुस्तकफ़ी बिल्लाह ने शाबान 740 हिजरी या 741 हिजरी में वफ़ात पाई और अपने बेटे अहमद हाकिम बिअम्रिल्लाह को वली अहद किया सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद इब्न ए क़लावून तुर्की ने कि 736 हिजरी में मुस्तकफ़ी बिल्लाह से रंजीदा हो गया और 18 ज़िल हिज्जा को उसे मिस्र से बाहर शहर क़ूस में मुक़ीम किया (अगरचे इदारात पहले से भी ज़ाइद कर दिए और ख़ुतबा व सिक्का ख़लीफ़ा ही का जारी रहा) उस अहदनामा को न माना और जबरन ख़लीफ़ा मुस्तकफ़ी के भतीजे इब्राहीम इब्न ए मुहम्मद हाकिम बिअम्रिल्लाह के लिए बैअत ली (अगरचे मरते वक़्त ख़ुद इस पर नादिम हुआ और सरदारों को वसीअत की कि ख़िलाफ़त वही अहद ए मुस्तकफ़ी अहमद के लिए हो जिस पर इब्न ए फ़ज़्लुल्लाह ने वह लिखा कि हक़ ब हक़दार रसीद)। इब्न ए क़लावून की इस हरकत पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने हसनुल मुहाज़रा में फ़रमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने नासिर इब्न ए क़लावून पर उसके सबसे ज़्यादा अज़ीज़ बेटे अमीर अनूक की मौत की मुसीबत डाली, यह उसे पहली सज़ा दी, फिर मुस्तकफ़ी के बाद सल्तनत से मुतमत्तिअ न हुआ एक साल और कुछ रोज़ों के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उसे हलाक किया बल्कि बाज़ ने मुस्तकफ़ी की वफ़ात 741 हिजरी लिखी है तो यूँ तीन ही महीने बाद मरा,

سنۃ اللہ فی من مس احدا من الخلفاء بسوء فان اللہ تعالیٰ یقصمه عاجلا و ما یدخرله فی الاٰخرۃ من العذاب اشد۔

सुन्नत ए इलाहिया है कि जो कोई किसी ख़लीफ़ा से बुराई करे अल्लाह तआला उसे हलाक फ़रमा देता है और वह जो आख़िरत में उसके लिए रखता है सख़्त तर अज़ाब है। फिर औलाद इब्न ए क़लावून में इसकी शामत की सरायत बयान फ़रमाई कि उनमें जो बादशाह हुआ तख़्त से उतारा गया और क़ैद या जलावतन या क़त्ल किया गया, ख़ुद उसका सुल्बी बेटा कि उसके बाद तख़्त पर बैठा दो महीने से कम में उतार दिया गया और मिस्र से क़ूस ही को भेजा गया जहाँ सुल्तान ने ख़लीफ़ा को भेजा था और वही क़त्ल किया गया, नासिर ने चालीस बरस से ज़्यादा सल्तनत की और उसकी नस्ल से बारह बादशाह हुए जिनकी मजमूई मुद्दत इतनी न हुई।

(ह') नीज़ इमाम ममदूह किताब मौसूफ़ में फ़रमाते हैं,

اعلم ان مصر من حين صارت دار الخلافة عظم امرها وكثرت شعائر الاسلام فيها وعلت فيها السنة وعفت عنها البدعة وصارت محل سكن العلماء و محط الرجال الفضلاء و هذا سر من اسرار الله تعالیٰ اودعه فی الخلافة النبوية كما دل ان الايمان والعلم يكونان مع الخلافة اينما كانت ولا يظن ان ذلك بسبب الملوك فقد كانت ملوك بنی ايوب اجل قدرا و اعظم قدرا من ملوك جاءت بعدهم بكثير ولم تكن مصر فی زمنهم كبغداد و فی اقطار الارض الاٰن من الملوك من هو اشد بأسا و اكثر جندا من ملوك مصر كالعجم و العراق و الروم و الهند و المغرب و ليس الدين قائما ببلادهم كقيامه بمصر و لا شعائر الاسلام ظاهرة فی اقطارهم كظهورها فی مصر و لا انتشرت السنة و الحديث و العلم فيها كما فی مصر۔

यानी मिस्र जबसे दारुल ख़िलाफ़ह हुआ उसकी शान बढ़ गई, शआइर ए इस्लाम की उसमें कसरत हुई, सुन्नत ग़ालिब हुई बिदअत मिटी, उलमा का जंगल फ़ुज़ला का दंगल हो गया, और यह राज़ ए इलाही कि उसने ख़िलाफ़त

ए नुबूवत में रखा है जिस तरह हदीस में आया कि ख़िलाफ़त जहाँ होगी इल्म व ईमान के साथ होंगे, और यह कोई न समझे कि मिस्र में यह दीन की तरक़्क़ी सलातीन के सबब हुई कि सलातीन बनी अय्यूब सलातीन ए मा बाद से बहुत ज़्यादा जलीलुल क़द्र थे और उनके ज़माने में मिस्र बग़दाद को न पहुंचता था और अब अतराफ़ ए ज़मीन में वह सलातीन हैं कि सलातीन ए मिस्र से उनकी आँच सख़्त और लश्कर ज़ाइद जैसे ईरान, इराक़, रोम, मग़रिब, हिन्दुस्तान। मगर दीन वहाँ ऐसा क़ाइम नहीं जैसा मिस्र में है, न शआइर ए इस्लाम ऐसे ज़ाहिर न सुन्नत व हदीस व इल्म का ऐसा शुयूअ, यह सब ख़िलाफ़त ही की बरकत है, देखो कैसा जब्बार व बिल इक़्तिदार सलातीन को जिनमें तुर्क भी हैं अलग कर दिया और ख़िलाफ़त ए नुबूवत ऐसी कमज़ोर ख़िलाफ़त ए मिस्र में मानी। आख़िर यह फ़र्क़ ए क़ुरशियत नहीं तो क्या है।

(7) अगर कहिए वह ख़िलाफ़त से नामज़द हो चुके थे लिहाज़ा बाद के सलातीन ने अगरचे जामेअ शुरूत थे अपने आपको ख़लीफ़ा न जाना कि ख़िलाफ़त जब एक के लिए हो ले दूसरा नहीं हो सकता।

अक़ूल : अव्वलन : यह हो तो सलातीन मा बाद में हो, बेबरस की सल्तनत तो पहले मुनअक़िद हो ली थी, फिर दूसरे को ख़लीफ़ा बनाने और उसके आगे हाथ फैलाने और यह सिलसिला ए माज़िया जलाने जमाने के क्या माने थे, काश सुल्तान अपने आपको माज़ूल कर लेता और मुस्तनसिर ही के हाथ में बाग देता मगर नहीं वह सल्तनत पर क़ाइम रहा, और तुम्हारे ज़ोम में ख़ुद बेबरस की ख़िलाफ़त सहीहा और हर मुसलमान पर शरअन वाजिबुत तसलीम थी, अब उसने इंतिख़ाब की तरफ़ आकर अपनी सहीह शरई ख़िलाफ़त तो बातिल कर दी और एक इस्मी रस्मी क़ाइम की, यह कैसा जुनून हुआ जिसे तमाम उलमा ए अस्र ने भी पसंद किया तुर्फ़ा तर यह कि अपनी हुकूमत शरई तौर पर मनवाने

के लिए किया जिसका मिस्टर को भी एतिराफ़ है हालांकि इससे पहले उसकी ख़िलाफ़त का मानना आपके नज़दीक शरअन वाजिब था और अब न रहा कि इंतिख़ाब ने शराइत आइद कीं वह न उसमें हैं न उस ख़लीफ़ा में तो अपनी ख़िलाफ़त खोई, ख़लीफ़ा इस्मी से तौलियत ली वह गई और यह न हुई दोनों दीन से गए इसीलिए गले में तौक़ और पाँव में बेड़ियाँ पहनी थीं,

ع۔ بیکسیہائے تمناکہ نہ دنیا ونہ دین۔

ग़रज़ यह इजाद ए आज़ाद वह मोहमल व बे माना हज़यान है जो सलातीन व उलमा की ख़वाब में न था वह यक़ीनन जानते थे कि ख़िलाफ़त में हमारा कुछ हिस्सा नहीं और दाग़ ए तग़ल्लुब हमसे न मिटेगा जब तक किसी ख़लीफ़ा क़ुरशी से इज़्न न लें लिहाज़ा यह सूरत ए ख़िलाफ़त क़ाइम की कि,

مالا یدرك كله لا یترك كله۔

(8) सानियन : दुनया में इस्लामी सल्तनतें मुख़्तलिफ़ ममालिक में फैली हुई थीं और हर एक अपने मुल्क का हाकिम मुस्तक़िल और आपकी दोनों शर्तें ख़िलाफ़त का जामेअ था और तबद्दुल ए अय्याम व मौत व तक़र्रुर ए सलातीन से कभी यहाँ की सल्तनत पहले होती कभी वहाँ की, उनमें किसी मुतअख़्ख़िर ने यह न जाना कि ख़िलाफ़त उस दूसरे सुल्तान का हक़ है मुझे उससे इज़्न व परवाना लेना चाहिए लेकिन समझा तो उस क़ुरैशी ख़िलाफ़त का मोहताज समझा तो हरगिज़ उसकी बिना तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर न थी बल्कि वही एक अकेली शर्त ए क़ुरशियत कि ना मुक़तदिरी ए ख़लीफ़ा की हालत में भी अपना रंग जमाती और बड़े बड़े इक़्तिदार व जबरूत वालों का सर अपने सामने झुकाती थी। अलहम्दु लिल्लाह कैसे रौशन बयानों से साबित हुआ कि यह सारे जलवे शर्त ए क़ुरशियत के थे तमाम सलातीन का ख़ुद यही अक़ीदा था कि हम ब वजह ए अदम ए क़ुरशियत लाइक़ ए ख़िलाफ़त नहीं, क़ुरशी के सिवा दूसरा

शख़्स ख़लीफ़ा नहीं हो सकता कि हर वक़्त व क़र्न के उलमा उन्हें यही बताते रहे। और क़तअन यही मज़हब ए अहले सुन्नत है और इसी पर अहादीस ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुतावातिर शहादत है,

فماذا بعد الحق الا الضلال۔

रहा मसअला ए इआनत, क्या आप लोगों के ज़ोम में सुल्तान ए इस्लाम की इआनत कुछ ज़रूर नहीं सिर्फ़ ख़लीफ़ा की इआनत जाइज़ है कि मुसलमानों को इआनत पर उभारने के लिए इद्दिआ ए ख़िलाफ़त ज़रुर हुआ या सुल्तान ए मुसलिमीन की इआनत सिर्फ़ क़ादिरों पर है और ख़लीफ़ा की इआनत बिला क़ुदरत भी फ़र्ज़ है, यह नुसूस ए क़तईया ए क़ुरआन के ख़िलाफ़ है, और जब कोई वजह नहीं फिर क्या ज़रुरत थी कि सीधी बात में झगड़ा डालने के लिए जुमला उलमा ए किराम की वाज़ेह तसरीहात ए मुताज़ाफ़िरा और इजमा ए सहाबा व इजमा ए उम्मत व अहादीस ए मुतावातिरा के ख़िलाफ़ यह तहरीक लफ़्ज़ ए ख़िलाफ़त से शुरू करके अक़ीदा ए इजमाइया अहले सुन्नत का ख़िलाफ़ किया जाए, ख़ारजियों, मोतज़िलियों का साथ दिया जाए, दूर अज़ कार तावीलों, तबदीलीयों, तहरीफ़ों, ख़ियानतों, इनादों, मुकाबरों से हक़ छुपाने और बातिल फैलाने का ठेका लिया जाए। वल इयाज़ु बिल्लाहि तआला।

अब हम बितौफ़ीक़िहि तआला इस इजमाल ए मुफ़स्सल की तफ़सील ए मुजमल के लिए कलाम को एक मुक़द्दिमा और तीन फ़सल पर मुनक़सिम करते हैं,

मुक़द्दिमा : ख़लीफ़ा व सुल्तान के फ़र्क़ और यह कि किसी उर्फ़ ए हादिस से मसअला ए ख़िलाफ़त मुसतलिहा ए शरईया पर कोई असर नहीं पड़ सकता।

फ़सल ए अव्वल : अहादीस ए मुतावातिरा व इजमा ए सहाबा व ताबाईन व मज़हब ए अहले सुन्नत नसरहुमुल्लाह तआला से शर्त ए क़ुरशियत के रौशन

सुबूत

फ़सल ए दुवम : ख़ुतबा ए सदारत में मौलवी फ़िरंगी साहिब की पंद्रह सत्री कारगुज़ारी की नाज़ बरदारी।

फ़सल ए सुवम : रिसाला ए ख़िलाफ़त में मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद के हज़यानात व तलबीसात की ख़िदमत गुज़ारी।

وباللہ التوفیق لا رب سواہ والصلوٰۃ والسلام علیٰ مصطفاہ و آلہ وصحبہ ومن والاہ۔

मुक़द्दिमा

ख़लीफ़ा व सुल्तान के फ़र्क़ और यह कि सुल्तान कह दिया जाना ही ख़लीफ़ा न होने की काफ़ी दलील है और यह कि लफ़्ज़ ख़लीफ़ा में अगर कोई उर्फ़ हादिस हो तो उससे ख़िलाफ़त मुसतलिहा ए शरईया पर क्या असर।

(1) ख़लीफ़ा हुक्मरानी व जहांबानी में रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाइब ए मुतलक़ तमाम उम्मत पर विलायत ए आम्मा वाला है, शरह ए अक़ाइद ए नसफ़ी में है,

(خلافتھم) ای نیابتھم عن الرسول فی اقامۃ الدین بحیث یجب علی کافۃ الامم الاتباع۔

ख़ुदसर कुफ़्फ़ार का उसे न मानना शरअन उसके इसतिहक़ाक़ ए विलायत ए आम्मा में मुख़िल नहीं जिस तरह उनका ख़ुद नबी को न मानना यूँही रु ए ज़मीन के मुसलमानों में जो उसे न मानेगा उसकी ख़िलाफ़त में ख़िलाफ़ न आएगा यह ख़ुद ही बाग़ी क़रार पाएगा और इसतिलाह में सुल्तान वह बादशाह है जिसका तसल्लुत ए क़हरी मुल्को पर हो, छोटे छोटे वालियान ए मुल्क उसके

ज़ेर ए हुक्म हों,

كما ذكره الامام جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالیٰ فی حسن المحاضرة عن ابن فضل الله فی المسالك عن على بن سعيد ـ

यह दो क़िस्म है,

(अ) मुवल्ला जिसे ख़लीफ़ा ने वाली किया हो उसकी विलायत हस्ब ए अता ए ख़लीफ़ा होगी जिस क़दर पर वाली करे।

(ब) दूसरा मुतग़ल्लिब कि ब ज़ोर ए शमशीर मुल्क दबा बैठा उसकी विलायत अपनी क़लमरू पर होगी व बस।

(2) कि अव्वल पर मुतफ़र्रिअ है ख़लीफ़ा की इताअत ग़ैर मासियत ए इलाही में तमाम उम्मत पर फ़र्ज़ है जिसका मंशा ख़ुद उसका मनसब है कि नाइब ए रसूल ए रब है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और सुल्तान की इताअत सिर्फ़ अपनी क़लमरू पर, फिर अगर मुवल्ला है तो ब वास्ता अता ए ख़लीफ़ा इस मनसब ही की वजह से कि उसका अम्र अम्र ए ख़लीफ़ा है और अम्र ए ख़लीफ़ा अम्र ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और अगर मुतग़ल्लिब है तो न उसके मनसब से कि वह शरई नहीं बल्कि दफ़्अ ए फ़ितना और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ुद मिस्टर ने फ़तहुल बारी से दर बारा ए सुल्तान मुतग़ल्लिब नक़ल किया (सफ़हा 51),

طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ـ

(3) कि दुवम पर मुतफ़र्रिअ है, ख़लीफ़ा ने जिस मुबाह का हुक्म दिया हक़ीक़तन फ़र्ज़ हो गया, जिस मुबाह से मना किया हक़ीक़तन हराम हो गया यहाँ तक कि तन्हाई व ख़लवत में भी उसका ख़िलाफ़ जाइज़ नहीं कि ख़लीफ़ा न देखे, अल्लाह देखता है, एक ज़माने में ख़लीफ़ा मनसूर ने इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा सय्यिदुना इमाम ए आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु को

फ़तवा देने से मना कर दिया था, इमाम हुमाम की साहिबज़ादी ने घर में एक मसअला पूछा, इमाम ने फ़रमाया, मैं जवाब नहीं दे सकता, ख़लीफ़ा ने मना किया है। यहाँ से ज़ाहिर हुआ कि ख़लीफ़ा का हुक्म मुबाह दरकिनार फ़र्ज़ ए किफ़ाया पर ग़ालिब है जबकि दूसरे उसके अदा करने वाले मौजूद हों कि अब उसका तर्क मासियत नहीं तो हुक्म ए ख़लीफ़ा नाफ़िज़ होगा अगरचे ख़लीफ़ा ज़ालिम बल्कि ख़ुद उसका वह हुक्म ज़ुल्म हो कि इमाम को फ़तवा से रोकना न होगा मगर ज़ुल्मन, और सुल्तान मुतग़ल्लिब जिसकी विलायत ख़लीफ़ा से मुस्तफ़ाद न हो उसके अम्र व नही से मुबाहात फ़ी नफ़सिहा वाजिब व हराम न हो जाएंगे, तन्हाई में इस तौर पर कि उसे इत्तिला पहुंचने का अंदेशा न हो मुबाह अपनी इबाहत पर रहेगा। अल्लामा शहाबुद्दीन ख़फ़ाजी रहमहुल्लाहि तआला साहिब ए नसीमुर रियाज़ व इनायतुल क़ाज़ी वग़ैरहुमा कुतुब ए नाफ़िआ के ज़माने में सुल्तान ने हुक़्क़ा पीने से लोगों को मना किया था, यह पर्दा डालकर पीते। इमाम अल्लामा आरिफ़ बिल्लाह सय्यिदी अब्दुल ग़नी नाबलुसी क़ुद्दिसा सिर्रुहुल क़ुदसी रिसाला सुलह बैनल इख़वान में फ़रमाते हैं, न ख़ुद पीता हूँ न मेरे घर में भी कोई पीता है मगर मुबाह को हराम नहीं कह सकता। और मना ए सुल्तान के जवाब में शरह हदिया इब्नुल इमाद में फ़रमाते हैं,

ليت شعری ای امر من امریه یتمسك به امرہ الناس بترکه او امرہ باعطاء المکس علیه علی ان المراد من اولی الامر فی الاٰیة العلماء علی اصح الاقوال کما ذکرہ العینی فی اٰخر مسائل شتی من شرح الکنز و ایضا هل منع السلاطین الظلمة یثبت حکما شرعیا وقد قالوا من قال لسلطان زماننا عادل کفر۔

यानी काश मैं जानूं कि सुल्तान का कौनसा हुक्म लिया जाए यह कि लोग हुक़्क़ा न पीएं या यह कि तम्बाकू पर टैक्स दे मअ हाज़ा आयह ए करीमा में असह क़ौल यह है कि ऊलुल अम्र से मुराद उलमा हैं जिस तरह शरह ए कंज़

ए इमाम ऐनी में है नीज़ क्या ज़ालिम सलातीन का हुक्म हुक्म ए शरई हो जाएगा हालांकि अइम्मा ए दीन ने तसरीह फ़रमाई है कि जो हमारे ज़माने के सुल्तान को आदिल कहे काफ़िर हो जाएगा। इंतहा। यह इरशाद इमाम इल्मुल हुदा अबू मनसूर मातुरीदी रदि अल्लाहु तआला अन्हु का अपने ज़माने के सलातीन में है जिन्हें हज़ार बरस से ज़ाइद हुए न कि अब।

نسأل الله العفو والعافية۔

(4) कि नीज़ दुवम पर मुतफ़र्रिअ है, ख़लीफ़ा एक वक़्त में तमाम जहाँ में एक ही हो सकता है और सलातीन दस मुल्कों में दस। ख़ुद मिस्टर आज़ाद लिखते हैं (सफ़हा 84) "इस्लाम ने मुसलमानों की हुकूमत एक ही क़रार दी थी यानी रू ए ज़मीन पर मुसलमानों का सिर्फ़ एक ही फ़रमांरवा व ख़लीफ़ा हो।"

(5) कोई सुल्तान अपने इनइक़ाद ए सल्तनत में दूसरे सुल्तान के इज़्न का मोहताज नहीं मगर हर सुल्तान इज़्न ए ख़लीफ़ा का मोहताज है कि बे उसके उसकी हुकूमत शरई व मर्ज़ी ए शरअ नहीं हो सकती, ख़ुद आज़ाद के सफ़हा 79 से गुज़रा कि "ख़िलाफ़त की अज़मत ए दीनी ने मजबूर किया कि अपनी हुकूमत को शरई तौर पर मनवा देने के लिए ख़िलाफ़त से परवाना ए नियाबत हासिल करते रहें।"

(6) ख़लीफ़ा बिला वजह ए शरई किसी बड़े से बड़े सुल्तान के माज़ूल किए माज़ूल नहीं हो सकता, ख़ुद जब्बार व सरकश क़ुव्वाद तुर्क कि मुतवक्किल इब्न ए मोतसिम इब्न ए हारून रशीद को क़त्ल करके ख़ुलफ़ा पर हावी हो गए थे जब उनमें किसी को ज़िंदा रखकर माज़ूल करना चाहते ख़ुद उसे मजबूर करते कि ख़िलाफ़त से इस्तीफ़ा दे ताकि अज़्ल सहीह हो जाए ब ख़िलाफ़ ए सुल्तान कि ख़लीफ़ा का सिर्फ़ ज़बान से कह देना, "मैंने तुझे माज़ूल किया" उसके अज़्ल को बस है।

(7) सल्तनत के लिए क़ुरशियत दरकिनार हुर्रियत भी शर्त नहीं, बहुतेरे ग़ुलाम बादशाह हुए, ख़ुद रिसाला ए आज़ाद सफ़हा 55 में है, "ग़ुलामों ने बादशाहत की है और तमाम सादात व क़ुरैश ने उनके आगे इताअत का सर झुकाया है।" और ख़िलाफ़त के लिए हुर्रियत ब इजमा ए जुमला अहले क़िब्ला शर्त है,

كما فى المواقف وشرحه وعامة الكتب۔

यहाँ से ख़लीफ़ा व सुल्तान के फ़र्क़ ज़ाहिर हो गए, नीज़ खुल गया कि सुल्तान ख़लीफ़ा से बहुत नीचा दर्जा है व लिहाज़ा कभी ख़लीफ़ा के नाम के साथ लफ्ज़ ए सुल्तान नहीं कहा जाता कि उसकी कसर ए शान है, आज तक किसी ने सुल्तान अबू बक्र सिद्दीक़, सुल्तान उमर फ़ारूक़, सुल्तान उस्मान ग़नी, सुल्तान अली मुर्तज़ा बल्कि सुल्तान उमर इब्न ए अब्दुल अज़ीज़ बल्कि सुल्तान हारून रशीद न सुना होगा, किसी ख़लीफ़ा उमवी या अब्बासी के नाम के साथ उसे न पाइएगा। तो खुल गया कि जिसके नाम के साथ सुल्तान लगाते हैं उसे ख़लीफ़ा नहीं मानते कि ख़लीफ़ा उससे बलंद व बाला है, यही वह ख़िलाफ़त ए मुसतलिहा ए शरईया है जिसकी बहस है, इसी के लिए क़ुरशियत वग़ैरहा सात शर्तें लाज़िमी हैं, उर्फ़ ए हादिस में अगर किसी सुल्तान को भी ख़लीफ़ा कहें या मदह में ज़िक्र कर जाएं वह न हुक्म ए शरअ का नाफ़ी है न इस्तिलाह ए शरह का मुनाफ़ी।

जिस तरह इजमा ए अहले सुन्नत है कि बशर में अम्बिया अलैहिमुस सलातो वस्सलाम के सिवा कोई मासूम नहीं जो दूसरे को मासूम माने अहले सुन्नत से ख़ारिज है फिर उर्फ़ ए हादिस में बच्चों को भी मासूम कहते हैं यह ख़ारिज अज़ बहस है जैसे लड़कों के मुअल्लिम तक को ख़लीफ़ा कहते हैं, यह मबहस वाजिबुल हिफ़्ज़ है कि धोका न हो व बिल्लाहित तौफ़ीक़।

फ़सल ए अव्वल

अहादीस ए मुतावातिरा ए सरकार रिसालत व इजमा ए सहाबा व ताबाईन व अइम्मा ए मिल्लत व मज़हब ए मुहज़्ज़ब ए अहले सुन्नत व जमाअत से शर्त ए क़ुरशियत के रौशन सुबूत

अहादीस ए शरीफ़ा को मैं जुदा लाऊं उनकी तख़रीज व शान ए तवातुर बताऊँ, उनसे इतमाम ए तक़रीब व वजह ए एहतिजाज दिखाऊँ उससे यही बेहतर कि कुतुब ए अक़ाइद व कुतुब ए हदीस व कुतुब ए फ़िक़्ह से अक़वाल ए जलीला ए अइम्मा ए किराम उलमा ए आलाम सुनाऊँ कि उनमें वह सब कुछ ब फ़ज़्लिहि तआला बर वजह ए काफ़ी व वाफ़ी है, हर वहम व वसवसा का नाफ़ी व शाफ़ी है वही तुम्हें बता देंगे कि हदीसें मुतावातिर हैं, उनकी हुज्जतें क़ाहिरा हैं, हर तबक़ा व क़र्न के इजमा मुताज़ाफ़िर हैं, मुख़ालिफ़ सुन्नी नहीं ख़ारजी मोतज़िली गुमराह ख़ासिर हैं, व बिल्लाहित तौफ़ीक़।

कुतुब ए अक़ाइद

इमाम हुमाम मुफ़्ती इल जिन वल इन्स आरिफ़ बिल्लाह नजमुल मिल्लत वद दीन उमर नसफ़ी उस्ताद इमाम बुरहानुल मिल्लत वद दीन साहिब ए हिदाया रहमहुमाल्लाहि तआला का मतन ए अक़ाइद मशहूर बिहि अक़ाइद ए नसफ़ी जो सिलसिला निज़ामिया व दीगर सलासिल ए तालीमीया में अक़ाइद ए अहले सुन्नत की दर्सी किताब है जिसे दर्स में इसलिए रखा है कि तलबा अक़ाइद ए अहले सुन्नत से आगाह हो जाएं, इस किताब ए जलील में है,

ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم۔

यानी ख़लीफ़ा क़ुरैश से हो, ग़ैर क़ुरैशी जाइज़ नहीं। शरह ए अल्लामा तफ़ताज़ानी में है,

لم يخالف فيه الا الخوارج وبعض المعتزلة۔

क़ुरैशियत की शर्त में किसी ने ख़िलाफ़ न किया मगर ख़ारजियों और बाज़ मोतज़िलियों ने।

उसी में है,

يشترط ان يكون الامام قريشيا لقوله عليه الصلوٰة و السلام الائمة من قريش و هذا و ان كان خبرا واحدا لكن لما رواه ابوبكر محتجابه على الانصار و لم ينكره احد فصار مجمعا عليه۔

यानी शर्त यह है कि ख़लीफ़ा क़ुरैशी हो ब दलील ए क़ौल ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अलअइम्मतु मिन क़ुरैश और यह हदीस अगरचे ख़बर ए वाहिद है लेकिन जब हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने अंसार पर हुज्जत में इसे पेश किया और सहाबा किराम में किसी ने इस पर इंकार न किया तो इस पर इजमा हो गया। किताब क़वाइदुल अक़ाइद इमाम हुज्जतुल इस्लाम ग़ज़ाली में है,

شرط الامامة نسبة قريش لقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الائمة من قريش۔

ख़िलाफ़त की शर्त नसब ए क़ुरैश है कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ख़ुलफ़ा क़ुरैश से हैं। उसकी शरह इतहाफ़ में है,

ان كثيرا من المعتزلة نفى هذا الاشتراط و دليل اهل السنة قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الائمة من قريش قال العراقى اخرجه النسائى من حديث انس و الحاكم من حديث على و صححه اه قلت وكذا اخرجه البخارى فى التاريخ و ابو يعلى و الطيالسى و البزار عن انس و اخرجه احمد من حديث ابى هريرة و ابى بكر الصديق و الطبرانى من حديث على و عنده عن انس بلفظ ان الملك فى قريش و اخرج يعقوب بن سفيان و ابويعلى و الطبرانى من طريق سكين من عبد العزيز

حدثنا سیار بن سلامۃ ابو المنهال قال دخلت مع ابی علی ابی برزۃ الاسلمی فسمعته یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم یقول الامراء من قریش الخ (ملخصاً)

यानी बहुत मोतज़िलियों ने शर्त ए क़ुरशियत का इंकार किया और अहले सुन्नत की दलील रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुलफ़ा क़ुरैश से हों, इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी ने फ़रमाया यह हदीस नसाई ने हज़रत अनस रदि अल्लाहु तआला अन्हु और हाकिम ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रम अल्लाहु तआला वजहहु से रिवायत की और कहा यह हदीस सहीह है। मैं कहता हूँ यूँही इसे इमाम बुख़ारी ने किताबुत तारीख़ और अबू याला व अबू दाऊद तयालसी व बज़्ज़ार ने अनस और इमाम अहमद ने अबू हुरैरा व हज़रत सिद्दीक़ ए अकबर और तबरानी ने मौला अली से रिवायत किया रदि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, नीज़ तबरानी के यहाँ रिवायत ए अनस रदि अल्लाहु तआला अन्हु इन लफ़्ज़ों से है कि सल्तनत क़ुरैश में है और याक़ूब इब्न ए सुफ़यान व अबू याला व तबरानी ने सुकैन इब्न ए अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत की कि हमसे सय्यार इब्न ए सलामा अबू मिनहाल ने हदीस बयान की कि मैं अपने वालिद के साथ अबू बरज़ा असलमी रदि अल्लाहु तआला अन्हु के पास गया, उन्हें यह हदीस रिवायत करते सुना कि मैंने रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि ख़ुलफ़ा क़ुरैश से हैं इला आख़िरीही (मुलख़्ख़सन)

ثم ذکر تخاریج حدیث لا یزال هذا الامر فی قریش و شواهده و کله ماخوذ من الفتح۔

मुसायरा ए इमाम मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ कमालुद्दीन इब्नुल हुमाम में

है,

شرط الامام نسب قریش خلافا لکثیر من المعتزلۃ۔

मुसामरा ए अल्लामा इब्न ए अबी शरीफ़ शाफ़ई तिलमीज़ ए इमाम इब्नुल हुमाम में है,

لنا قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الائمۃ من قریش قدمنا تخریجہ و قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الناس تبع لقریش اخرجہ الشیخان و فی البخاری من حدیث معٰویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ھذا الامر فی قریش۔

हम अहले सुन्नत की दलील रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुलफ़ा क़ुरैश से हैं, हमने इस हदीस की तख़रीज ऊपर बयान की, नीज़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद कि सब आदमी क़ुरैश के ताबेअ हैं, इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया, नीज़ बुख़ारी में अमीर मुआविया रदि अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से है कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक ख़िलाफ़त क़ुरैश में है। और तख़रीज ए हदीस छ वरक़ ऊपर बयान की,

رواہ النسائی من حدیث انس و رواہ بمعناہ الطبرانی فی الدعاء و البزار و البیھقی و افردہ شیخنا الامام الحافظ ابو الفضل بن حجر بجزء جمع فیہ طرقہ نحو من اربعین صحابیا۔

यह हदीस नसाई ने अनस रदि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की और यही मज़मून तबरानी ने किताबुद दुआ और बज़्ज़ार व बैहक़ी ने रिवायत किया और हमारे शेख़ इमाम हाफ़िज़ अबुल फ़ज़्ल इब्न ए हजर असक़लानी ने ख़ास इस हदीस में एक मुस्तक़िल रिसाला लिखा जिसमें इसकी रिवायत क़रीब चालीस सहाबा किराम रदि अल्लाहु तआला अन्हुम से जमा कीं। अल्लामा

इमाम क़ासिम इब्न ए क़ुतलूबुग़ा हन्फ़ी तिलमीज़ ए इब्नुल हुमाम तालीक़ात ए मुसायरा में फ़रमाते हैं,

اما عندنا فالشروط انواع بعضها لازم لا تنعقد بدونه وھی الاسلام و الذکورۃ و الحریۃ و العقل و البلوغ واصل الشجاعۃ و ان یکون قرشیا۔

हमारे नज़दीक ख़िलाफ़त की शर्तें कई क़िस्म हैं, बाज़ तो शुरूत ए लाज़िम हैं कि उनके बग़ैर ख़िलाफ़त सहीह ही नहीं हो सकती, वह यह हैं इस्लाम और मर्द होना और आज़ादी व अक़्ल व बुलूग़ व अस्ल शुजाअत और क़ुरैशी होना।

फिर फ़रमाया,

اما نسب قریش فلقوله صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم الائمة من قریش رواہ البزار و ھذا و ان کان خبر واحد فقد اتفقت الصحابة علی قبوله الامام ابو العباس الصابونی وغیرہ۔

क़ुरैशी होना इसलिए शर्त है कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ख़लीफ़ा क़ुरैश से हों। इसे बज़्ज़ार ने रिवायत किया, और यह अगरचे ख़बर ए आहाद हो मगर सहाबा किराम ने इसके क़बूल पर इजमा फ़रमाया, यह इमाम अबुल अब्बास साबूनी वग़ैरह ने इफ़ादा फ़रमाया। तवालिउल अनवार ए अल्लामा बैज़ावी में है,

التاسعة کونه قرشیا خلافا للخوارج و جمع من المعتزلة قوله صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم الائمة من قریش و اللام فی الجمع حیث لا عھد للعموم۔

यानी ख़िलाफ़त की नवीं शर्त क़ुरैशी होना है, इसमें ख़ारजियों और एक गिरोह ए मोतज़िला को ख़िलाफ़ है कि वह ख़लीफ़ा का क़ुरैशी होना ज़रूरी नहीं जानते, हमारी दलील रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुलफ़ा क़ुरैश से हों जहाँ अहद न हो जमा पर लाम

ए इसतिग़राक़ होता है यानी तमाम ख़ुलफ़ा क़ुरैश ही से हों। मवाक़िफ़ में है,

يكون قرشيا و منعه الخوارج و بعض المعتزلة لنا قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الائمة من قريش ثم ان الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث و اجمعوا عليه فصار قاطعا۔

यानी ख़लीफ़ा क़ुरैशी हो ख़ारजी और बाज़ मोतज़िली इस शर्त के मुनकिर हैं, हमारी दलील नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़लीफ़ा क़ुरैशी हो, फिर सहाबा किराम इस हदीस के मज़मून पर आमिल हुए और उनका इस पर इजमा हुआ तो वह दलील ए क़तई हो गई। शरह ए अल्लामा सय्यिद शरीफ़ में है,

صار دليلا قطعا يفيد اليقين باشتراط القرشية۔

यानी दलील ए क़तई हो गई जिससे क़ुरशियत का शर्त होना यक़ीनी हो गया। उसी में है,

اشترطه الاشاعرة۔

यानी अहले सुन्नत के नज़दीक ख़लीफ़ा का क़ुरैशी होना शर्त है। मक़ासिद में है,

يشترط فى الامام كونه قرشيا لقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الائمة من قريش

इमाम में शर्त है कि क़ुरैशी हो, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ख़ुलफ़ा क़ुरैश से हों। शरह ए मक़ासिद में है,

اتفقت الامة على اشتراط كونه قرشيا خلافنا للخوارج لنا السنة و الاجماع اما السنة فقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الائمة من قريش و اما الاجماع فهو انه لما قال الانصار يوم السقيفة منا امير و منكم امير منعهم ابوبكر رضى الله

تعالیٰ عنه بعدم کونهم من قریش و لم ینکره علیه احد من الصحابة فکان اجماعا۔

यानी तमाम उम्मत का इजमा है कि ख़लीफ़ा का क़ुरैशी होना शर्त है, इसमें मुख़ालिफ़ ख़ारजी हैं और अक्सर मोतज़ली, हमारी दलील हदीस और इजमा ए उम्मत है, हदीस तो हुज़ूर ए अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुलफ़ा क़ुरैश से हैं, और इजमा यूँ कि जब अंसार रदि अल्लाहु तआला अन्हुम ने रोज़ ए सक़ीफ़ा बनी साइदा मुहाजिरीन रदि अल्लाहु तआला अन्हुम से कहा, एक अमीर हम में से और एक तुम में से। उन्हें सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने दावा ए ख़िलाफ़त से यूँ बाज़ रखा कि तुम क़ुरैशी नहीं (और ख़लीफ़ा का क़ुरैशी होना लाज़िम है) इस पर किसी सहाबी ने इंकार न किया तो इजमा हो गया। शरह ए फ़िक़्ह ए अकबर में है,

یشترط ان یکون الامام قرشیا لقوله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الائمة من قریش و هو حدیث مشهور و لیس المراد به الامامة فی الصلوٰة اتفاقا فتعینت الامامة الکبری خلافا للخوارج و بعض المعتزلة۔

यानी शर्त यह है कि ख़लीफ़ा क़ुरैशी हो कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अइम्मा क़ुरैश से हैं। और यह हदीस मशहूर है और इसमें इमामत ए नमाज़ ब इजमा मुराद नहीं तो ज़रूर ख़िलाफ़त मुराद है, इसमें मुख़ालिफ़ ख़ारजी हैं या बाज़ मोतज़ली। तरीक़ा ए मुहम्मदिया में है,

المسلمون لا بد لهم من امام قرشی و لا یشترط ان یکون هاشمیا۔

यानी मुसलमानों के लिए ज़रूर है कि कोई क़ुरैशी ख़लीफ़ा हो और हाशमी होना शर्त नहीं। हदीक़ा ए नदिया में है,

يكون من قريش ولا يجوز من غيرهم۔

ख़लीफ़ा क़ुरैशी हो ग़ैर क़ुरैशी की ख़िलाफ़त दुरूस्त नहीं।

तम्हीद ए इमाम अबुश शकूर सालिमी जिसे सुल्तानुल औलिया महबूब ए इलाही निज़ामुल हक़ वद दीन ने दर्स में पढ़ा, उसमें है,

اجمعنا علی ان الامام من قریش ولا یکون من غیرہ۔

हम अहले सुन्नत का इजमा है कि ख़लीफ़ा क़ुरैश से हो, उनके ग़ैर से नहीं।

कुतुब ए हदीस

सहीह मुस्लिम व सहीह बुख़ारी में है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,

لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان۔

ख़िलाफ़त हमेशा क़ुरैश के लिए है जब तक दुनया में दो आदमी भी रहें। शरह ए सहीह मुस्लिम लिल इमाम नववी व शरह ए सहीह बुख़ारी लिल इमामिल क़स्तलानी व मिरक़ात ए अली क़ारी में है,

بین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ھذا الحکم مستمر الیٰ اٰخر الدنیا ما بقی من الناس اثنان۔

रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर फ़रमा दिया कि यह हुक्म ख़त्म ए दुनया तक है जब तक दो आदमी भी रहें। इरशादुस सारी शरह ए सहीह बुख़ारी में इब्नुल मुनीर से और उमदतुल क़ारी ए इमाम बदरुद्दीन महमूद ऐनी हन्फ़ी में है,

قریش ھم اصحاب الخلافۃ وھی مستمرۃ لھم الی اٰخر الدنیا ما بقی من الناس اثنان۔

क़ुरैश ही ख़िलाफ़त वाले हैं, वह ख़त्म ए दुनया तक उन्हीं के लिए है जब तक दो आदमी भी बाक़ी रहें। इमाम क़ुरतुबी की मुफ़्हिम शरह ए सहीह मुस्लिम में फिर उमदतुल क़ारी व फ़तहुल बारी शुरूह ए सहीह बुख़ारी में है,

هذا الحديث خبر عن المشروعية ای لا تنعقد الامامة الکبری الا لقرشی مهما وجد منهم احدا۔

इस हदीस में हुक्म ए शरई का बयान है, यह फ़रमाया है कि जब तक दुनया में एक क़ुरशी भी बाक़ी रहे, औरों की ख़िलाफ़त सहीह नहीं। इमाम नववी शरह ए सहीह मुस्लिम फिर इमाम क़स्तलानी शरह ए बुख़ारी और अल्लामा तय्यबी व अल्लामा सय्यिद शरीफ़ व अली क़ारी शुरूह ए मिशकात में फ़रमाते हैं,

هذه الاحادیث و اشباهها دلیل ظاهر ان الخلافة مختصة لقریش لا یجوز عقدها لاحد من غیرهم و علی هذا انعقد الاجماع فی زمن الصحابة وکذلك بعدهم و من خالف فیه من اهل البدع او اعرض بخلاف من غیرهم فهو محجوج باجماع الصحابة و التابعین فمن بعدهم بالاحادیث الصحیحة۔

यह हदीस और उनके मिस्ल और अहादीस रौशन दलीलें हैं कि ख़िलाफ़त क़ुरैश के साथ ख़ास है, उनके सिवा किसी को ख़लीफ़ा बनाना जाइज़ नहीं, इसी पर ज़माना ए सहाबा में यूँही उनके बाद इजमा मुनअक़िद हुआ तो जिन बद मज़हबों ने इसमे ख़िलाफ़ किया या जिसने और किसी के ख़िलाफ़ का इशारा किया उसका क़ौल सहाबा व ताबाईन व उलमा ए मा बाद के इजमा और सहीह हदीसों से मरदूद है। अल्लामा इब्नुल मुनीर फिर हाफ़िज़ असक़लानी शरह ए सहीह बुख़ारी में लिखते हैं,

الصحابة اتفقوا علی افادة المفهوم للحصر خلافا لمن انکر ذلك و الی هذا ذهب جمهور اهل العلم ان شرط الامام ان یکون قرشیا و قالت الخوارج و طائفة من

المعتزلة يجوز ان يكون الامام غير قرشی و بالغ ضرار بن عمرو فقال تولية غير القرشی اولی و قال ابوبكر الطيب لم يعرج المسلمون علی هذا القول بعد ثبوت حديث الائمة من قريش و عمل المسلمون به قرنا بعد قرن و انعقد الاجماع علی اعتبار ذلك قبل ان يقع الاختلاف۔

यानी सहाबा ने इत्तिफ़ाक़ फ़रमाया कि हदीस

الائمة من قريش۔

ख़िलाफ़त का क़ुरैशी में हस्र फ़रमाती है बर ख़िलाफ़ उसके जो इसका मुनकिर हो और यही मज़हब ए जमहूर अहले इल्म का है कि ख़लीफ़ा के लिए क़ुरैशी होना शर्त और ख़ारजियों और एक गिरोह ए मोतज़िला ने कहा कि ग़ैर क़ुरैशी भी ख़लीफ़ा हो सकता है और ज़िरार इब्न ए अम्र तो यहाँ तक बढ़ गया कि कहा ग़ैर क़ुरैशी का ख़लीफ़ा करना बेहतर है। इमाम अबू बक्र इबनुत तय्यब ने फ़रमाया मुसलमानों ने इस क़ौल की तरफ़ इल्तिफ़ात न किया बाद इसके कि हदीस,

الائمة من قريش۔

साबित हो चुकी और हर क़र्न में मुसलमान इस पर आमिल रहे और इस इख़्तिलाफ़ उठने से पहले उसके मानने पर इजमा[2] मुन्अक़िद हो लिया। इमाम अहमद नासिरुद्दीन इसकन्दरानी फिर इमाम शहाबुद्दीन किनानी वजह ए दलालत ए हदीस,

لا يزال هذا الامر فی قريش۔

[2] तम्बीह ज़रूरी : यह कलाम ए जलील याद रखने का है कि बिऔनिहि तआला इससे अहले बातिल का मुंह काला होगा। हशमत अली उफ़िया अन्हु।

में फ़रमाते हैं,

المبتدا بالحقیقة ھٰھنا ھو الامر الواقع صفة لھذا و ھذا لا یوصف الا بالجنس فمقتضاہ حصر جنس الامر فی قریش کانه قال لا امر الا فی قریش و الحدیث و ان کان بلفظ الخبر فھو بمعنی الامر بقیة طرق الحدیث تؤید ذلك۔

यानी हासिल हदीस यह है कि

ھذا الامر فی قریش دائما۔

यह अम्र ए ख़िलाफ़त हमेशा क़ुरैशी के लिए है, हाज़ा मुब्तदा है

और अम्र उसकी सिफ़त और हाज़ा की सिफ़त में हमेशा जिंस ही आती है तो मतलब यह कि जिंस ए ख़िलाफ़त क़ुरैश ही के लिए है (इनके ग़ैर के लिए उसका कोई फ़र्द नहीं) गोया अलफ़ाज़ यूँ इरशाद हुए कि ख़िलाफ़त नहीं मगर क़ुरैश में, हदीस अगरचे सूरतन ख़बर है मानन अम्र है, हदीस की बाक़ी रिवायतें इस माना की मुअय्यिद हैं। इमाम इब्न ए हजर और उनसे पहले इमाम इब्न ए बताल शरह ए बुख़ारी लिलमुहल्लब से नाक़िल,

یجوز ان یکون ملك یغلب علی الناس بغیر ان یکون خلیفة و انما انکر معٰویة رضی اللہ تعالیٰ عنه خشیة ان یظن احد ان الخلافة تجوز فی غیر قریش فلما خطب بذلك دل علی ان ذلك الحکم عندھم کذلك اذ لم ینقل عن احد منھم انکر علیه۔

यानी जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ए अम्र रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अनक़रीब एक बादशाह क़बीला ए क़हतान से होगा, हज़रत अमीर मुआविया रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने इस पर सख़्त इंकार किया और ख़ुतबा पढ़ा, उसमें फ़रमाया, मैंने रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि ख़िलाफ़त क़ुरैश में है, यह इंकार इस बिना पर न था कि

कोई ग़ैर क़ुरशी बादशाह भी नहीं हो सकता, यह तो जाइज़ है कि कोई बादशाह लोगों पर तग़ल्लुब करे और ख़लीफ़ा न हो बल्कि इंकार की वजह यह थी कि कोई यह न समझ बैठे कि ग़ैर क़ुरशी ख़लीफ़ा हो सकता है लिहाज़ा हज़रत अमीर मुआविया ने ख़ुतबा पढ़ा कि कोई ग़ैर क़ुरशी ख़लीफ़ा नहीं हो सकता और इस पर किसी सहाबी व ताबई ने इंकार न किया तो मालूम हुआ कि उन सबका यही मज़हब है। मुहल्लब फिर इब्न ए बताल फिर ऐनी व असक़लानी व क़सतलानी सब शुरूह ए बुख़ारी में फ़रमाते हैं,

ان القحطانی اذا قام و لیس من بیت النبوة و لا من قریش الذین جعل اللّٰہ
فیھم الخلافة فھومن اکبر تغیر الزمان و تبدیل الاحکام۔

जब क़हतानी क़ाइम होगा और वह न ख़ानदान ए नुबूवत से है न क़ुरैश से जिनमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने ख़िलाफ़त रखी है तो यह एक बड़ा तग़य्युर ए ज़माना और अहकाम ए शरीअत की तब्दील होगा। इमाम अजल्ल क़ाज़ी अयाज़ फिर इमाम अबू ज़करिया नववी शरह ए सहीह मुस्लिम में फ़रमाते हैं,

اشتراط کونه قرشیا هو مذهب العلماء کافة و قد احتج به ابوبکر و عمر علی
الانصار یوم السقیفة فلم ینکره احد و قد عدها العلماء فی مسائل الاجماع و لم
ینقل عن احد من السلف فیها قول و لا فعل یخالف ما ذکرنا وکذلك من
بعدهم فی جمیع الاعصار و لا اعتداد بقول النظام و من وافقه من الخوارج و اهل
البدع انه یجوز کونه من غیر قریش لما هو علیه من مخالفة اجماع المسلمین۔

ख़लीफ़ा में क़ुरशी होने की शर्त जमीअ उलमा का मज़हब है और बेशक इसी से सिद्दीक़ ए अकबर, फ़ारूक़ ए आज़म ने रोज़ ए सक़ीफ़ा अंसार पर हुज्जत क़ाइम फ़रमाई और सहाबा में किसी ने इसका इंकार न किया और बेशक उलमा ने इसे मसाइल ए इजमा में गिना और सलफ़ सालेह में कोई क़ौल या

फ़ेल इसके ख़िलाफ़ मनक़ूल न हुआ यूँही तमाम ज़मानों में उलमा ए मा बाद से और वह जो निज़ाम मोतज़िली और ख़ारजियों और बद मज़हबों ने कहा कि ग़ैर क़ुरैशी भी ख़लीफ़ा हो सकता है कुछ गिनती शुमार में नहीं कि इजमा ए मुसलिमीन के ख़िलाफ़ है।

शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी अशिअतुल लमआत में फ़रमाते हैं,

گفت آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ می باشد امر خلافت در قریش یعنی می باید کہ در ایشاں باشد و جائز نیست شرعا عقد خلافت مر غیر ایشاں را و بریں منعقد شد اجماع در زمن صحابہ و بایں حجت کردند مہاجران بر انصار۔

इमाम जलालुद्दीन की तारीख़ुल ख़ुलफ़ा[3] से गुज़रा,

لم اورد احدا من الخلفاء العبیدیین لان امامتہم غیر صحیح لانہم غیر قریش۔

मैंने इस किताब में ख़ुलफ़ा ए उबैदिया से किसी का ज़िक्र न किया इसलिए कि उनकी ख़िलाफ़त बातिल है कि वह क़ुरशी नहीं।

कुतुब ए फ़िक़्ह ए हन्फ़ी

फ़तावा सिराजिया किताबुल इसतिहसान बाब ए मसाइल ए एतिक़ादिया में है,

یشترط ان یکون الخلیفۃ قرشیا و لا یشترط ان یکون ھاشمیا۔

ख़लीफ़ा में शर्त है कि क़ुरशी हो और हाशमी होना शर्त नहीं। अशबाह वन

[3] اوردہ آخر کتب الحدیث تبعا ۱۲ منہ غفرلہ

नज़ाइर फ़न ए सालिस बयान फ़िर्क़ फिर अबुस सऊद अज़हरी अलल कंज़ में है,

يشترط فی الامام ان یکون قرشیا۔

ख़लीफ़ा में शर्त है कि क़ुरैशी हो। ग़म्ज़ुल उयून में है,

یشترط نسب قریش لقوله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الائمة من قریش۔

क़ुरशी होना शर्त है कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ख़ुलफ़ा क़ुरैश हों। दुर ए मुख़्तार में है,

یشترط کونه مسلما حرا ذکرا عاقلا بالغا قادرا قرشیا۔

ख़लीफ़ा होने के लिए शर्त है कि मुसलमान, आज़ाद, मर्द, आक़िल, बालिग़, क़ादिर, क़ुरशी हो। तहतावी अलद दुर में है,

اشترط کونه قرشیا لقوله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الائمة من قریش و قد سلمت الانصار الخلافة لقریش بهذا الحدیث۔

ख़लीफ़ा का क़ुरशी होना शर्त है कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ख़ुलफ़ा क़ुरैश हों। इस हदीस से अंसार ने क़ुरैश की ख़िलाफ़त तसलीम कर दी। रद्दुल मोहतार में इसी के मिस्ल लिखकर फ़रमाया,

و به یبطل قول الضراریة ان الامامة تصلح فی غیر قریش و الکعبیة ان القرشی اولی بها۔

यानी इस हदीस व इत्तिफ़ाक़ ए सहाबा किराम से ज़िरारिया का क़ौल बातिल हुआ जो कहते हैं कि ख़िलाफ़त ग़ैर क़ुरशी में लाइक़ है और काबिया जो कहते हैं ख़िलाफ़त के लिए क़ुरशी होना सिर्फ़ औला है यानी इन दोनों

गुमराह फ़िरक़ों ने अहले सुन्नत का ख़िलाफ़ किया, अव्वल ने ग़ैर क़ुरशी की ख़िलाफ़त को औला जाना, दुवम ने क़ुरशी की ख़िलाफ़त को सिर्फ़ औला समझा लाज़िम न जाना, अहले सुन्नत के नज़दीक ख़लीफ़ा का क़ुरशी होना लाज़िम है दूसरा ख़लीफ़ा शरई नहीं हो सकता। तम्हीद ए इमाम अबु शकूर सालिमी में इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मह इमाम ए आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु के नस से इस की तसरीह है कि,

قال ابوحنيفة رحمة الله تعالیٰ علیہ یصح امامته اذا كان قرشيا برا كان او فاجرا

इमाम अबु हनीफ़ा रहमत उल्लाहि तआला अलैहि ने फ़रमाया, ख़िलाफ़त सहीह है बशर्ते कि क़ुरशी हो नेक हो ख़्वाह बद।

इज़ाला ए वहम में इबारात ए कुतुब ए अक़ाइद व हदीस

बिलजुमला मसअला क़तअन यक़ीनन अहले सुन्नत का इजमाई है व लिहाज़ा हदीस ए बुख़ारी,

اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم عبد حبشی۔

सुनो और मानो अगरचे तुम पर कोई हब्शी ग़ुलाम आमिल किया जाए। इसकी शरह में उलमा क़ातिबतन इज़ाला ए वहम की तरफ़ मुतवज्जा हुए, शरह ए मक़ासिद में है,

ذلك فی غیر الامام من الحكام۔

यह हदीस ख़लीफ़ा के सिवा और हुक्काम मातहत के बारे में है। मुवाफ़िक़ में है,

ذلك الحديث فی من امره الامام علی سرية وغيرها۔

यह हदीस इसके बारे में है जिसे किसी लश्कर वग़ैरह पर सरदार करे। शरह

मुवाफ़िक़ में है,

يجب حمله على هذا دفعا للتعارض بينه و بين الاجماع او نقول هو مبالغة على سبيل الفرض و يدل عليه انه لا يجوزكون الامام عبدا اجماعا۔

हदीस को इस माना पर हमल करना वाजिब है कि इजमा के मुख़ालिफ़ न पड़े या यूँ कहिए कि वह बर वजह मुबालिग़ा बतौर ए फ़र्ज़ इरशाद हुआ है और इस पर दलील है कि इमाम का ग़ुलाम होना बिल इजमा बातिल है। इब्नुल जौज़ी ने तहक़ीक़ फिर इमाम बदर महमूद ऐनी ने उमदतुल क़ारी फिर हाफ़िज़ असक़लानी ने शरह ए बुख़ारी किताबुस सलात में फ़रमाया,

هذا فی الامراء و العمال لا الائمة و الخلفاء فان الخلافة فی قریش لا مدخل فیها لغیرهم۔

यह हदीस सरदारों और आमिलों के बारे में है न कि ख़ुलफ़ा में कि ख़िलाफ़त तो क़ुरैश में है दूसरों को इसमें दख़ल ही नहीं। यहीं फ़तहुल बारी में है,

امر بطاعة العبد الحبشی و الامامة العظمی انما تکون بالاستحقاق فی قریش فیکون غیرهم متغلبا۔

हब्शी ग़ुलाम की इताअत का हुक्म फ़रमाया और ख़िलाफ़त तो सिर्फ़ क़ुरैश का हक़ है तो ग़ैर क़ुरैशी मुतग़ल्लिब होगा यानी ज़बरदस्ती अमीर बन बैठने वाला। उमदतुल क़ारी व फ़तहुल बारी किताबुल अहकाम में इसी हदीस के नीचे है,

ای جعل عاملا بان امر امارة عامة علی البلد مثلا او ولی فیها ولایة خاصة کالامامة فی الصلوٰة او جبایة الخراج او مباشرة الحرب فقد کان فی زمن الخلفاء الراشدین من تجمع له الامور الثلثة و من یختص ببعضها۔

मुराद यह है कि वह आमिल किया जाए यूँ कि ख़लीफ़ा ग़ुलाम हब्शी को किसी शहर का आम वाली कर दे या किसी ख़ास मनसब की विलायत दे जैसे नमाज़ की इमामत या ख़िराज की तहसील या किसी लश्कर की सरदारी, ख़ुलफ़ा ए राशिदीन के ज़माने यह तीनों बातें बाज़ में जमा हो जाती थीं और किसी में बाज़। इमाम अबू सुलेमान ख़िताबी फिर इमाम ऐनी व इमाम असक़लानी व अली क़ारी ने फ़रमाया,

قد يضرب المثل بما لا يقع فى الوجود و هذا من ذاك و اطلق العبد الحبشى مبالغة فى الامر بالطاعة و ان كان لا يتصور شرعا ان يلى ذلك اه بلفظ المرقاة قال الخطابى قد يضرب المثل بما لا يكاد يصح فى الوجود۔

अशियतुल लमआत में है,

ذکر عبد برائے مبالغہ است بر وتیرہ قول آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کہ بنا کند مسجدے اگرچہ مثل آشیانہ کنجشک و مر مسجد ہرگز مثل آشیانہ کنجشک نباشد لیکن مقصود مبالغہ است یا مراد نائب خلیفہ است۔

उमदतुल क़ारी व कवाकिबुद दरारी व मजमउल बिहार में है,

هذا فى الامراء و العمال دون الخلفاء لان الحبشى لا يتولى الخلافة لان الائمة من قريش۔

यह हदीस सरदारों और आमिलों में है, हब्शी ख़लीफ़ा न होगा कि ख़ुलफ़ा तो क़ुरैश से हैं। मुहल्लब फिर इब्न ए बताल फिर इब्न ए हजर ने फ़तह में कहा,

قوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اسمعوا و اطيعوا لا يوجب ان يكون المستعمل للعبد الا امام قرشى لما تقدم ان الامامة لا تكون الا فى قريش۔

नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद कि ग़ुलाम की इताअत करो इसी को वाजिब करता है कि ग़ुलाम को क़ुरैशी ख़लीफ़ा ने आमिल बनाया हो कि ख़िलाफ़त तो नहीं मगर क़ुरैश में। फ़तहुल बारी व इरशादुस सारी व मिरक़ात ए क़ारी में है,

و اللفظ لها (و ان استعمل عليكم عبد حبشى) اى و ان استعمله الامام الاعظم على القوم لا ان العبد الحبشى هو الامام الاعظم فان الائمة من قريش۔

अगरचे तुम पर ग़ुलाम हब्शी आमिल किया जाए यानी अगरचे ख़लीफ़ा किसी ग़ुलाम को आमिल बनाए न यह कि ख़ुद ग़ुलाम हब्शी ख़लीफ़ा हो कि ख़लीफ़ा तो क़ुरैश से हैं। मजमउल बिहारुल अनवार में है,

شرط الامام الحرية و القرشية و ليس فى الحديث انه يكون اماما بل يفوض اليه الامام امرا من الامور۔

ख़लीफ़ा के लिए शर्त है कि आज़ाद व क़ुरैशी हो और हदीस में यह नहीं कि ग़ुलाम ख़लीफ़ा हो बल्कि यह मुराद कि ख़लीफ़ा उसे कोई काम सुपुर्द कर दे। अक़ूल : बल्कि ख़ुद हदीस ए सहीह में इस माना की तसरीह ए सरीह मौजूद जिसका बयान फ़सल ए सुवम में आएगा इन शा अल्लाहुल ग़फ़ूरुल वदूद। बिलजुमला दरबारा ए ख़िलाफ़त हर तबक़े और हर मज़हब के उलमा ए अहले सुन्नत ऐसा ही फ़रमाते आए यहाँ तक कि अब दौर ए आख़िर में मौलवी अब्दुल बारी साहिब के जद ए आला हज़रत मलिकुल उलमा बहरुल उलूम अब्दुल अली लखनवी फिरंगी महली रहमहुल्लाहि तआला ने शरह ए फ़िक़्ह ए अकबर सय्यिदुना इमाम ए आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु में ख़िलाफ़त ए सिद्दीक़ी पर इजमा ए क़तई के मुनअक़िद होने में फ़रमाया,

باقی ماند که سعد بن عباده از بیعت متخلف ماند می گویم که سعد بن

عبادہ امارات خود می خواست و ایں مخالف نص ست چہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمودہ اند الائمۃ من قریش ائمہ از قریش اند پس مخالفت او در اجماع قدح ندارد چہ مخالفت مررائھاے صحابہ نبود بلکہ مخالفت اجماع واو اعتبار ندارد۔

फिर ख़िलाफ़त ए फ़ारूक़ी पर इनइक़ाद ए इजमा में फ़रमाया,

ہمہ صحابہ برآں عمل کردندو بیعت حضرت امیر المومنین عمر کردندو دریں ہم کسے مخالفت نکرد سوائے سعد بن عبادہ لیکن مخالفت او مخالفت نص بود چہ امارت خود می خواست چنانچہ دانستی

अब सबसे आख़िर दौर में हज़रत मौलाना फ़ज़्ल ए रसूल[4] साहिब मरहूम अपनी किताब ए अक़ाइद अलमोतक़दुल मुनतक़द में फ़रमाते हैं,

يشترط نسب قريش خلافا لكثير من المعتزلة و لا يشترط كونه هاشميا خلافا للروافض۔

ख़लीफ़ा का क़ुरैशीउन नसब होना शर्त है बरख़िलाफ़ बहुत मोतज़िलियों के और हाशमी होना शर्त नहीं बरख़िलाफ़ राफ़ज़ियों के। हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर[5] साहिब बदायूंनी मरहूम अपने रिसाला अक़ाइद अहसनुल कलाम में फ़रमाते हैं,

نعتقد انه يجب على المسلمين نصب امام من قريش۔

हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि मुसलमानों पर क़ुरैशी ख़लीफ़ा क़ाइम करना फ़र्ज़ है।

नौए दिगर अज़ कुतुब ए अक़ाइद

[4] बदायूंनी लीडर अब्दुल माजिद साहिब के दादा के दादा। अज़ हशमत अली लखनवी उफ़िया अन्हु।

[5] मज़कूर मुतलड्डिर बदायूंनी (हदाहुल्लाहु तआला) के परदादा। अज़ हशमत अली क़ादरी रज़वी लखनवी ग़ुफ़िरालहु।

अल्लामा साद उद्दीन तफ़ताज़ानी शरह अक़ाइद में फ़रमाते हैं,

فان قیل فعلی ما ذکر من ان مدۃ الخلافۃ ثلثون سنۃ یکون الزمان بعد الخلفاء الراشدین خالیا عن الامام فتعصی الامۃ کلھم قلنا المراد بالخلافۃ الکاملۃ ولو سلم فلعل الخلافۃ تنقضی دون الامامۃ بناء علی ان الامامۃ اعم لکن ھذا الاصطلاح لم نجدہ من القوم واما بعد الخلفاء العباسیۃ فالامر مشکل (ملخصاً)۔

यानी अगर कहा जाए कि जब ख़िलाफ़त हुज़ूर ए अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद तीस (30) ही बरस रही तो ख़ुलफ़ा ए राशिदीन रदि अल्लाहु तआला अन्हुम के बाद ज़माना इमाम से ख़ाली रहा और मआज़ अल्लाह तमाम उम्मत गुनहगार ठहरी कि नसब ए इमाम उम्मत पर वाजिब था तो हम जवाब देंगे कि वह जो तीस (30) बरस पर ख़त्म हो गई ख़िलाफ़त ए राशिदा कामिला थी न कि मुतलक़ ख़िलाफ़त और अगर तस्लीम भी कर लें तो शायद ख़िलाफ़त ख़त्म हो गई इमामत बाद को रही और वाजिब नसब ए इमाम ही था तो उम्मत गुनहगार न हुई, यह इस पर मब्नी होगा कि इमामत ख़िलाफ़त से आम है मगर हमने क़ौम से यह इसतिलाह न पाई बहरहाल जबसे ख़ुलफ़ा ए अब्बासिया न रहे अम्र मुश्किल है कि उस वक़्त से न कोई इमाम है न कोई ख़लीफ़ा तो एतिराज़ न उठा इंतहा। (मुलख़्ख़सन)

अक़ूल : अव्वलन (1) : सहीह जवाब अव्वल है और इशकाल का जवाब ख़ुद अल्लामा के कलाम से आता है उस वक़्त नज़र इस पर न कही थी।

सानियन (2) : इमामत बेशक आम है जिसका बयान हम करेंगे इन शा अल्लाह। नीज़ अल्लामा मौसूफ़ शरह ए मक़ासिद में इसी एतिराज़ को ज़िक्र करके बहुत सहीह व वाज़ेह जवाब से दफ़्अ फ़रमाते हैं,

فان قيل لو وجب نصب الامام لزم اطباق الامة فى اكثر الاعصار على ترك الواجب لانتفاء الامام المتصف بما يجب من الصفات سيما بعد انقضاء الدولة العباسية قلنا انما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة و اختيار لا عجز و اضطرار۔

अगर कहा जाए कि नसब ए इमाम वाजिब होता तो अकसर ज़मानों में तर्क ए वाजिब पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ लाज़िम आता है कि इमाम के लिए जो सिफ़ात लाज़िम हैं, ऐसा मुद्दत से नहीं ख़ुसूसन जबसे दौलत ए अब्बासिया न रही ख़िलाफ़त का नाम निशान तक न रहा और ऐसा तर्क ए वाजिब गुमराही है पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ मुहाल तो हम जवाब देंगे कि गुमराही तो जब होती कि उनके बाद उम्मत नसब ए इमाम पर क़ुदरत होती और क़स्दन तर्क करती इज्ज़ व मजबूरी की हालत में क्या इल्ज़ाम हो। यही मज़मून मौलवी अलीयुल ख़्याली में है हदीस ए इज्ज़ व इज़तिरार बयान करके कहा,

و بهذا الحديث يندفع الاشكال بعد الخلفاء الراشدين و العباسية ايضاً۔

यानी ख़ुलफ़ा ए अब्बासिया के बाद तमाम आलम से ख़िलाफ़त ज़रुर मफ़क़ूद है मगर उम्मत पर इल्ज़ाम नहीं आता कि उज्र मजबूरी मौजूद है। शरह ए अक़ाइद ए इमाम नसफ़ी फिर तालीक़ातुल मुसायरा लिलअल्लामतिल क़ासिमुल हन्फ़ी तिलमीज़िल इमाम इब्नुल हुमाम रहिमहुमुल्लाहि तआला में ज़रूरत ए ख़लीफ़ा बताई कि दीन व दुनया के इन कामों के इंतिज़ाम को उसका होना ज़रूर है। फिर फ़रमाया,

فان قيل فليكتف بذى شوكة له الرياسة العامة اماما كان او غير امام فان انتظام الامر يحصل بذلك كما فى عهد الاتراك قلنا نعم يحصل بعض النظام فى امر الدنيا و لكن يختل امر الدين و هو المقصود الاهم۔

यानी अगर कोई कहे कि इंतिज़ाम ही की ज़रूरत है तो एक आम रियासत

वाले पर क्यों न क़नाअत हो जाए वह ख़लीफ़ा हो न हो कि इंतिज़ाम उससे भी हासिल हो जाएगा जैसे सल्तनत ए तुर्की से कि ख़िलाफ़त नहीं और इंतिज़ाम कर रही है फिर ख़लीफ़ा की क्या ज़रूरत तो हम जवाब देंगे हाँ ऐसी सल्तनतों से दुनयावी कामों का कुछ इंतिज़ाम चल जाएगा मगर दीनी कामों में ख़लल आएगा वह बे ख़लीफ़ा न बनेंगे और दीन ही मक़सूद ए आज़म है लिहाज़ा तुर्की सल्तनत या बादशाहियां काफ़ी नहीं ख़लीफ़ा की ज़रूरत है। क्या इनसे भी साफ़ नस की हाजत है वल्लाहुल हुज्जतुल बालिग़ा।

तम्बीह : इसी नौअ से है वह हदीस कि सदर ए कलाम में इमाम ख़ातमुल हुफ़्फ़ाज़ से गुज़री कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ख़िलाफ़त जब बनी अब्बास को पहुंचेगी ज़ुहूर ए महदी तक और को न मिलेगी। ज़ाहिर हुआ कि 1331 हिजरी से आज तक और आज से ज़ुहूर ए हज़रत इमाम महदी तक कोई ग़ैर अब्बासी ख़लीफ़ा न हुआ है न होगा जो दूसरे को ख़लीफ़ा माने हदीस की तकज़ीब करता है। यह हदीस अपने तुर्क़ ए अदीदा से हसन है, इसे तबरानी ने मोजम ए कबीर में उम्मुल मोमिनीन उम्म ए सलमा रदि अल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत किया और दैलमी ने मुसनदुल फ़िरदौस में उन्हीं से ब सनद ए दीगर और दार क़ुतनी ने अफ़राद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ए अब्बास रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा से मरफ़ूअन और ख़तीब ने ब सनद ए ख़ुलफ़ा ए हज़रत हिब्रुल उम्मह से मौक़ूफ़न और हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ए मसऊद रदि अल्लाहु तआला अन्हु से, हदीस ए तबरानी के लफ़्ज़ यह है,

لکنها فی ولد عمی صنو ابی حتی یسلموها الی الدجال۔

हाँ ख़िलाफ़त मेरे चचा मेरे बाप की जगह अब्बास की औलाद में है यहाँ तक कि उसे सुपुर्द ए दज्जाल करेंगे। और हदीस ए इब्न ए मसऊद में है,

لا تذهب الایام و اللیالی حتی یملك رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی فیملؤها قسطا وعدلا کما ملئت جورا و ظلما۔

शब व रोज़ गुज़रने के बाद वह ख़िलाफ़त को मेरे अहले बैत से एक मर्द के सुपुर्द करेंगे जिसका नाम मेरा नाम होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम, वह ज़मीन को अदल व इंसाफ़ से भर देगा जिस तरह ज़ुल्म व सितम से भर गई थी यानी हज़रत इमाम महदी रदि अल्लाहु तआला अन्हु। इमाम ख़ातमुल हुफ़्फ़ाज़ ने इस हदीस से इसतिनाद और इस पर एतिमाद किया, कमा तक़द्दमा।

यह हैं तक़रीबन पचास (50) हदीसें और कुतुब ए अक़ाइद व तफ़सीर व हदीस व फ़िक़्ह की बानवे (92) इबारतें। सुन्नी ब इंसाफ़ को इसी क़दर काफ़ी व वाफ़ी हैं।

وللّٰه الحمد و الحمد للّٰه رب العٰلمین و صلی اللّٰه تعالیٰ علیٰ سیدنا و مولٰنا محمد و اٰله و صحبه و ابنه و حزبه اجمعین۔

फ़सल ए दुवम ख़ुतबा ए सदारत ए मौलवी फिरंगी महली में 15 सत्री कारगुज़ारी की नाज़बरदारी

(1) मुसलमानों तुमने देखा ख़िलाफ़त के लिए शर्त ए क़ुरशियत पर रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुतावातिर हदीसें, सहाबा का इजमा, ताबाईन का इजमा, उम्मत का इजमा, जुमला अहले सुन्नत का अक़ीदा, अइम्मा व अकाबिर ए हनफ़िया की कुतुब ए अक़ाइद में तसरीहें, कुतुब ए हदीस में तसरीहें, कुतुब ए फ़िक़्ह में तसरीहें, ऐसे अज़ीमुश शान, जलीलुल बुरहान, इजमाई क़तई यक़ीनी मसअले को फ़िरंगी महली का ख़ुतबा ए सदारत में सिर्फ़ शाफ़िईया की तरफ़ निस्बत करना और हनफ़िया में फ़क़त

बाज़ के कलाम से वह भी तसरीह नहीं फ़हवा से समझे जाने का इद्दिआ करना किस दर्जा ख़िलाफ़ ए दयानत व इग़वा ए अवाम है।

(2) तम्हीद में तो इस पर ख़ुद हज़रत सय्यिदुना इमाम आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु का नस ए सरीह मज़कूर। शायद इमाम ए आज़म का नस भी किसी मुक़ल्लिद हन्फ़ी का फ़हवा ए कलाम होगा।

(3) इस पर नुक़ूल क़ाहिरा इजमा को यूँ गिराना कि बाज़ बे इजमा नक़्ल किया। कैसी तलबीस है।

(4) यह कहना कि इब्तिदा इसकी काज़ी अयाज़ से मालूम होती है मगर सुबूत इजमा मुश्किल है। सिक़ात अइम्मा की तकज़ीब का इशआर है। इमाम अजल्ल सिक़ा अदल क़ाज़ी अयाज़ रहमत उल्लाहि अलैहि से पहले अइम्मा ने इस पर इजमा नक़्ल किया, बाद के उलमा ने नक़्ल किया, सबने मक़बूल व मुक़र्रर रखा, किसी ने उसमें ख़िलाफ़ ए अहले सुन्नत का पता न दिया। मआज़ अल्लाह यह सब झूटे हैं और फ़िरंगी महली सच्चे।

(5) जब नुक़ूल ए अइम्मा मरदूद व ना मोतबर ठहरीं तो आप ही हज़ारों इजमाओ का सुबूत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा कि आख़िर क़ुरआन व हदीस ने फ़रमाया नहीं कि बाद असर ए नुबूवत फ़ुलां फ़ुलां मसअला पर इजमा होगा, हमने अहले इजमा को देखा तक नहीं, न वह सब मिलकर अपने इजमा की दस्तावेज़ें रजिस्ट्री करा गए, अब न रहीं मगर नुक़ूल ए अइम्मा, वह इन ताज़ा लीडरों को मक़बूल नहीं फिर सुबूत ए इजमा की सूरत ही क्या रही।

(6) जब वह नक़्ल ए इजमा में मुत्तहम तो नक़्ल ए अक़वाल ए ख़ास्सा में क्यों मोतमद होंगे, फ़िक़्ह भी गई, यह वहाबिया व ग़ैर मुक़ल्लिदीन की ताज़ीम व तकरीम व जलसों में उनकी सदारत व तक़दीम की शामत है कि वही ग़ैर मुक़ल्लिद का मसअला आ गया,

ع-قیاس فاسد و اجماع بے اثر آمد-

(7) इमाम अजल्ल क़ाज़ी अयाज़ ने इब्तिदाअन दावा ए इजमा न किया बल्कि यह फ़रमाया कि उलमा ए किराम ने इसे मसाइल ए इजमा में गिना तो उनसे इब्तिदाअन बताना तकज़ीब व गुस्ताख़ी की इंतिहा दिखाना है।

(8) सदर ए इस्लाम में डेढ़ सौ (150) बरस तक तसानीफ़ न हुईं फिर अगली सदियों की हज़ारों किताबें मफ़क़ूद हो गईं, अब सदहा मसाइल ए इजमाइया में सबसे पहले जिस इमाम के कलाम में नक़्ल ए इजमा नज़र आए उसी के सर रख दिया जाए कि इब्तिदा उनसे मालूम होती है, कितना आसान तरीक़ा रद ए इजमा का है।

(9) अइम्मा ए किराम इस पर सहाबा व ताबाईन व सलफ़ ए सालिहीन रदि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से अब तक तमाम अहले सुन्नत का इजमा बताते और इसी बिना पर कुतुब ए अक़ाइद में उसे क़तईया यक़ीनीया फ़रमाते हैं उसके मुक़ाबिल अगर किसी सहाबी से कोई असर मिले तो वह अगर वह इनइक़ाद ए इजमा से पहले की गुफ़्तगू है उससे नक़्ज़ ए इजमा जुनून ए ख़ालिस है यूँही अगर तारीख़ मालूम न हो और अगर बाद की है और सनद सहीह नहीं तो आप ही मरदूद और सहीह व क़ाबिल ए तावील है तो वाजिबुत तावील वरना शाज़ रिवायत के मुक़ाबिल क़तअन मुज़महिल न कि उल्टा उससे इजमा बातिल।

(10) क़ुरैश में हसर ए ख़िलाफ़त की अहादीस बेशक मुतावातिर हैं, बहुत मुतकल्लिमीन की नज़र अहादीस पर ज़्यादा वसीअ न थी कि फ़न दूसरा है, उन्होंने ख़बर ए आहाद समझा तो साथ ही क़बूल ए सहाबा क़तई यक़ीनी बता दिया मगर मुसामरा से गुज़रा कि हाफ़िज़ुल हदीस इमाम असक़लानी ने एक हदीस

الائمۃ من قریش۔

को चालीस के क़रीब सहाबा ए किराम से मरवी दिखा दिया और इसमें मुस्तक़िल रिसाला तसनीफ़ फ़रमाया जिसका नाम इमाम सख़ावी ने मक़ासिद ए हसना में

لذۃ العیش فی طرق حدیث الائمۃ من قریش۔

बताया, यह अदद सहाबा ए किराम में यक़ीनन तवातुर का है, यह एक हदीस का हाल था इसी मुद्दुआ पर और अहादीस अलावा।

(11) इससे क़तअ ए नज़र कीजिए तो इस क़दर तो आजकल की क़ासिर निगाहों से भी नज़र आ रहा है कि वह बिला शुबह मशहूर और ब अलफ़ाज़ ए अदीदा व तुरुक़ ए कसीरा बहुत सहाबा ए किराम से मासूर और बराबर सदर ए अव्वल से उम्मत ए मरहूमा में एहतिजाज व अमल के लिए मक़बूल व मंज़ूर फिर उसके ख़ास अलफ़ाज़ के आहाद से होने का ज़िक्र जिसका जवाब उलमा ए अक़ाइद मवाक़िफ़ व शरह ए मक़ासिद व शरह मवाक़िफ़ वग़ैरहा में दे चुके, क्या इंसाफ़ है।

(12) अइम्मा ने

الائمۃ من قریش۔

से इस्तिदलाल फ़रमाया और जमअ महल्ली बिल्लाम के इफ़ादा ए इस्तिग़राक़ से इतमाम ए तक़रीब फ़रमा दिया, उसे

الخلافۃ فی قریش۔

से बदलना और

القضاء فی الانصار۔

से नक़्ज़ करना क्या मुक़तज़ा ए दयानत है।

(13) हदीस ए सहीह

لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان۔

से इस्तिदलाल ए अइम्मा का रद हुआ, क्या किसी हदीस में यह भी आया कि

لا یزال القضاء فی الانصار و ھذا الاذان فی الحبشۃ ما بقی من الناس اثنان۔

हमेशा ओहदा ए क़ज़ा अंसार में और ओहदा ए अज़ान हब्शीयों में रहे जब तक दुनया में दो आदमी भी रहें। जब अइम्मा फ़रमा चुके कि सहाबा ए किराम ने हदीस से हसर समझा और उसी पर अमल फ़रमाया तो सहाबा के मुक़ाबिल अपनी चेमीगोईयां निकालना क्या शान दीन है।

(15-16) मुहक़्क़िक़ीन ए अहले सुन्नत उमूमन और इमाम अबू बक्र बाक़िलानी की तरफ़ ख़ुसूसन इस निस्बत की जुराअत कि क़ुरशियत की शर्त से बिल्कुल उदूल करते हैं किस क़दर दरोग़ ए बे मज़ा है, अकाबिर अइम्मा व अआज़िम उलमा इजमा ए सहाबा, इजमा ए ताबाईन, इजमा ए उम्मत नक़्ल फ़रमा रहे हैं, नाक़िलान ए ख़िलाफ़, सिर्फ़ ख़ारजियों मोतज़लियों का ख़िलाफ़ बताते हैं, मुख़ालिफ़त में ज़िरार व काबी दो गुमराहों के क़ौल नक़्ल करते हैं मआज़ अल्लाह अगर तमाम मुहक़्क़िक़ीन ए अहले सुन्नत दरकिनार सिर्फ़ इमाम ए सुन्नत बाक़िलानी का ख़िलाफ़ होता तो ख़ारजियों मोतज़लियों को मुख़ालिफ़ बताया जाता, दो गुमराहों का नाम उनके नाम ए नामी से ज़्यादा प्यारा और क़ाबिल ए ज़िक्र अज़मत वाला था कि उन्हें छोड़कर उन दो का नाम गिनाया जाता। शरह ए अक़ाइद नसफ़ी के अलफ़ाज़ तो आब ए ज़र से लिखने के हैं कि

لم یخالف الا الخوارج و بعض المعتزلۃ۔

उसमें किसी ने ख़िलाफ़ किया सिवा ख़ारजियों बाज़ मोतज़लियों के तमाम नुक़ूल ए इजमा का यही मतलब है मगर उसमें मुहक़्क़िक़ीन ए अहले सुन्नत व इमाम बाक़िलानी की तरफ़ इस निस्बत ए बातिला की रौशनतर तफ़्ज़ीह है व लिल्लाहिल हम्द। अजिल्ला ए अकाबिर अइम्मा ए अहले सुन्नत, अइम्मा ए कलाम व अकाबिर ए हदीस व अआज़िम ए फ़िक़्ह सबके इरशादात पस ए पुश्त डालना और एक मुताख़िर मोअर्रिख़ इब्न ए ख़लदून के क़ौल बे सनद पर (जिसके मज़हब की भी कोई ठीक नहीं, न तारीख़ नवीसी के सिवा किसी इल्म ए दीनी में उसका नाम ज़बानों पर आता है) सर मुंडा बैठना क्या शर्त ए दीन परस्ती है अजिल्ला अइम्मा जहाबज़ह ए नाक़िदीन को न मालूम हुआ कि ख़ुद इमाम ए सुन्नत बाक़िलानी व मुहक़्क़िक़ीन अहले सुन्नत इस मसअला में मुख़ालिफ़ हैं, बराबर इजमा नक़्ल फ़रमाते रहे, मसअला पर जज़्म व यक़ीन फ़रमाया किए, अहले ख़िलाफ़ को ख़ारजी, मोतज़ली, बिदअती कहते रहे मगर आठवीं सदी के अख़ीर में इस मुअर्रिख़ को हक़ीक़त ए हाल मालूम हुई कि इसमें तो मुहक़्क़िक़ीन ए अहले सुन्नत व इमाम ए सुन्नत मुख़ालिफ़ हैं।

अजिल्ला ए अकाबिर अइम्मा ए अहले सुन्नत, अइम्मा ए कलाम व अकाबिर ए हदीस व अआज़िम ए फ़िक़्ह सबके इरशादात पस ए पुश्त डालना और एक मुताख़िर मोअर्रिख़ इब्न ए ख़लदून के क़ौल बे सनद पर (जिसके मज़हब की भी कोई ठीक नहीं, न तारीख़ नवीसी के सिवा किसी इल्म ए दीनी में उसका नाम ज़बानों पर आता है) सर मुंडा बैठना क्या शर्त ए दीन परस्ती है अजिल्ला अइम्मा जहाबज़ह ए नाक़िदीन को न मालूम हुआ कि ख़ुद इमाम ए सुन्नत बाक़िलानी व मुहक़्क़िक़ीन अहले सुन्नत इस मसअला में मुख़ालिफ़ हैं, बराबर इजमा नक़्ल फ़रमाते रहे, मसअला पर जज़्म व यक़ीन फ़रमाया किए, अहले ख़िलाफ़ को ख़ारजी, मोतज़ली, बिदअती कहते रहे मगर आठवीं सदी

के अख़ीर में इस मुअर्रिख़ को हक़ीक़त ए हाल मालूम हुई कि इसमें तो मुहक़्क़िक़ीन ए अहले सुन्नत व इमाम ए सुन्नत मुख़ालिफ़ हैं।

(17) तुर्फ़ा यह कि इब्न ए ख़लदून ने इतना कहा था,

اشتبہ ذلك علی کثیر من المحققین۔

बहुत से मुहक़्क़िक़ों को उसमें शुबह लगा। फिरंगी महली तहरीर ने "शुबह लगना उड़ा दिया" और "कसीर" का लफ़्ज़ घटा दिया, उसे यूँ बनाया कि मुहक़्क़िक़ीन उदूल करते हैं यानी उनका उदूल अज़ राह ए इशतिबाह नहीं बल्कि अज़ राह ए तहक़ीक़ है और वह जो इस शर्त पर क़ाइम रहे यानी तमाम अहले सुन्नत वह तहक़ीक़ से आरी हैं।

(18) इन दोनों से बढ़कर चालाकी यह कि फिरंगी महली तहरीर ने मुहक़्क़िक़ीन के साथ लफ़्ज़ "अहले सुन्नत" बढ़ा लिया, यह लफ़्ज़ इब्न ए ख़लदून की इबारत में नहीं, वह ख़ुदा जाने किन को मुहक़्क़िक़ीन कह रहा है, अइम्मा फ़रमा चुके कि इसमें मुख़ालिफ़ ख़ारजी हैं या मोतज़िली तो उन्हीं में से किसी फ़रीक़ को मुहक़्क़िक़ीन कहा और ज़ाहिरन मोतज़िला को कहा कि दरबारा ए ख़िलाफ़त जो मज़मून उसने नक़्ल किया वह ज़िरार इब्न ए अम्र मोतज़िली ही की मुख़ालिफ़त का मुअय्यिद, नहीं-नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़ाइद है,

فاشتکی الی اللہ تعالیٰ۔

(19) इब्न ए ख़लदून की हालत अजीब है उसके कलाम से कहीं एतिज़ाल[6] की बू आती है, कहीं नेचरियाना असबाब परस्ती की झलक पाई जाती है,

[6] दूर क्यों जाइए अपने अख़ ए मुअज़्ज़म मौलवी अब्दुल हई साहिब का फ़तवा जिल्द अव्वल, सफ़हा 72 और ख़ुद अपना जमा कर्दा फ़तवा क़ियाम, सफ़हा 306 मुलाहज़ा कीजिए। अल्लामा अब्दुर रहमान हज़रमी मोतज़िली मारूफ़ बिहि इब्न ए ख़लदून। अज़ उबैदुर रज़ा हशमत अली रज़वी ग़ुफ़िरालहु।

औलिया ए किराम का साफ़ दुश्मन है। उनको राफ़जियों का मुक़ल्लिद बताता है, कहता है उनके दिलों में राफ़जियों के अक़वाल रच गए और उनके मज़ाहिब को अपना दीन बनाने में तो ग़ुल किया यहाँ तक कि तरीक़त का सिलसिला अली तक पहुंचाया और उन्होंने हसन बसरी को ख़िरक़ा पहनाया और उनसे उनके पीर जुनैद तक पहुंचाया, इस तख़्सीस ए अली और उनकी और बातों से समझा जाता है कि यह राफ़जियों में दाख़िल हैं व लिहाज़ा राफ़जियों की तरह एक इमाम महदी के इंतिज़ार में हैं जिनके आने की कुछ सेहत नहीं, इसी तरह अक़ताब व अबदाल का यक लख़्त मुंकिर है, इसमें भी औलिया के मुक़ल्लिद ए राफ़ज़ी होने का मुशइर है कि जिस तरह राफ़जियों ने हर ज़माने में एक इमाम ए बातिन और उसके नीचे नुक़बा माने हैं यूँही उनसे सीखकर सूफ़िया ने हर दौर में एक क़ुतुब और उसके मातहत अबदाल गढ़े हैं।

हालांकि अहादीस ए मरफ़ूआ सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अलावा जिनके बयान में इमाम जलालुद्दीन सुयूती का एक रिसाला है, हुज़ूर सय्यिदुना ग़ौस ए आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु व दीगर अजिल्ला ए अक़ताब ए किराम क़ुद्दस्त असरारुहुम सबसे अक़ताब व अबदाल की हक़ीक़त मुतावातिर है यूँही कौन सा साहिब ए सिलसिला है जिसका सिलसिला अमीरुल मोमिनीन अली तक नहीं पहुंचता तो वह उन तमाम हज़रात अकाबिर ए किराम को मआज़ अल्लाह दीन में मुख़तरअ और राफ़ज़ियों का मुत्तबअ बल्कि सिल्क ए रवाफ़िज़ में मुनसलिक ठहराता है, फ़ुतूहात ए इस्लाम का राज़, अरबी सहाबा ए किराम रदि अल्लाहु तआला अन्हुम का वहशी होना बताया है और यह कि अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने जिहाद पर भेजते वक़्त उन्हें वहशियत पर उभार दिया क्योंकि वहशी ही क़ौम का मुल्क वसीअ होता है, नीज़ कहता है सहाबा वहशी

होने के सबब लिखना ठीक न जानते थे, इसलिए क़ुरआन ए अज़ीम जा ब जा ग़लत लिखा है, और औलिया को जादूगरों के हुक्म में रखने के लिए कहा जो किसी को अपनी करामत से क़त्ल कर दे वह साहिब ए करामत क़त्ल किया जाएगा जैसे साहिर को अपने सहर से क़त्ल करे। अजिल्ला ए अकाबिर महबूबान ए ख़ुदा को नाम बनाम हत्ता कि शेख़ुल इस्लाम हरवी को लिखता है कि यह हुलूली थी और यह कुफ्र उन्होंने रवाफ़िज़ ए इस्माईलिया से सीखा,

الیٰ غیر ذلک من ھفواتہ الشنیعۃ۔

और फिर तसत्तर के लिए या ख़ुद अपने हाल से नावाक़िफ़ी के बाइस जा ब जा सुन्नियत व एतिक़ाद ए औलिया का इज़हार भी करता है जिसने मुहक़्क़िक़ीन या शेख़ुल इस्लाम इमाम हरवी की तरफ़ कुफ्र में तक़लीद ए रवाफ़िज़ निस्बत कर दी वह अगर मुहक़्क़िक़ीन व इमाम बाक़िलानी की तरफ़ बिदअत में तक़लीद ए ख़वारिज निस्बत कर दे क्या बईद है, हाँ अजब उन मुद्दईयान ए सुन्नत से कि तमाम अकाबिर अइम्मा व उलमा ए अहले सुन्नत के इरशादात ए आलिया पर पानी फेरने के लिए ऐसे मुअर्रिख़ का दामन थामें, क्या आयह ए करीमा,

بِئْسَ لِلظّٰلِمِیْنَ بَدَلًا۔

यहाँ वारिद न होगी,

ولا حول ولا قوۃ الا باللّٰہ العلی العظیم۔

ग़ालिबन इस निस्बत ए मुख़तरिआ से भी उसे सूफ़िया ए किराम पर चोट करनी मंज़ूर है वह भी शर्त ए क़ुरशियत को इजमाई मानते हैं ख़ुद इसी शख़्स ने इसी मुक़द्दमा तारीख़ फ़सल फ़ातमी में इन अकाबिर किराम से नक़ल किया,

قالوا لما کان امر الخلافۃ لقریش حکما شرعیا بالاجماع الذی لا یوھنہ انکار من

لم یزاول علمہ الخ۔

यानी सूफ़िया ए किराम ने फ़रमाया ख़िलाफ़त ख़ास क़ुरैश के लिए होना हुक्म ए शरई है, ऐसे इजमा से साबित जो नावाक़िफ़ नाशनास के इंकार से सुस्त नहीं हो सकता इला आख़िरीही। लिहाज़ा मुहक़्क़िक़ीन व इमाम सुन्नत का ख़िलाफ़ बताया कि उनकी तकज़ीब हो।

(20) नहीं नहीं बल्कि इसका राज़ और है, ख़ुद इसी मबहस से रौशन कि वह आप मुब्तदा और ख़वारिज का मुत्तबा और इजमा ए सहाबा ए किराम का ख़ारिक़ और ज़िरारिया व मोतज़िला का मुवाफ़िक़ है इसलिए अव्वलन शराइत ए ख़िलाफ़त में कहा,

اما النسب القرشی فلاجماع الصحابۃ علی ذلک۔

क़ुरशियत की शर्त इसलिए है कि सहाबा ए किराम ने इस पर इजमा फ़रमाया। फिर इस इजमा की मंशा व मुस्तनद हदीसें ज़िक्र कीं कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,

الائمۃ من قریش۔

ख़ुलफ़ा क़ुरैशी हों।

और फ़रमाया,

لا یزال ھذا الامر فی ھذا الحی من قریش۔

ख़िलाफ़त हमेशा क़ुरैश में रहेगी। और कहा इस पर दलाइल ब कसरत हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता रद ए अहादीस व इजमा की तरफ़ सरका कि

لما ضعف امر قریش و تلاشت عصبیتھم فاشتبہ ذلک علی کثیر من المحققین حتی ذھبوا الی نفی اشتراط القرشیۃ۔

जब क़ुरैश में ज़ोफ़ आया और उनकी हमीयत जाती रही तो बहुत

मुहक़्क़िक़ों को यहाँ शुबह लगा यहाँ तक कि नफ़ी शर्त ए क़ुरशिअत की तरफ़ गए। यहाँ दोनों पहलू देखिए, इशतिबाह कहा जिससे मफ़हूम हो कि उनको ग़लती पर जानता है और उन्हें मुहक़्क़िक़ीन कहा जिससे मुतरश्शिह हो कि उनके ज़ोम को तहक़ीक़ मानता है फिर उनके दो शुबहे ज़िक्र किए, एक उसी हदीस दरबारा ए ग़ुलाम हब्शी से जिसके जवाब कलाम ए अइम्मा से गुज़रे और इस पर ज़्यादा कलाम इंशा अल्लाह तआला आगे आता है उसने ख़ताई इख़्तियार किया कि यह मुबालग़तन बतौर ए फ़र्ज़ है, दूसरा शुबह इस रिवायत से कि अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ से मरवी हुआ,

لو كان سالم مولى ابى حذيفة حيا لوليتة۔

अगर अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम आज़ाद शुदा सालिम ज़िंदा होते तो मैं ज़रूर उनको वाली बनाता। या फ़रमाया,

لما دخلتنى فيه الظنة۔

उन पर मुझे कोई बदगुमानी न होती। इसका खुला हुआ रौशन जवाब था कि अमीरुल मोमिनीन ने फ़रमाया है,

لوليته۔

मैं उन्हें वाली करता। न कि

استخلفته۔

मैं उन्हें ख़लीफ़ा न करता। वाली एक सूबा का भी होता है, एक शहर का भी होता है, जिसे ख़लीफ़ा मुक़र्रर फ़रमाए तो उसे यहाँ से क्या अलाक़ा।

इस रौशन जवाब को छोड़कर अव्वल तो यह जवाब दिया कि

مذهب الصحابى ليس بحجة۔

यानी यह अगर है तो उमर का क़ौल है और उमर का क़ौल कुछ हुज्जत

नहीं। शान ए फ़ारूक़ी में यह कलमा जैसा है अहले अदब पर ज़ाहिर है जिनकी निस्बत ख़ास हुक्म ए अहकम हुज़ूर पुरनूर सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है,

اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔

उन दो की पैरवी करो जो जो मेरे बाद होंगे अबू बक्र व उमर रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा। यहाँ तक तो यही था आगे दूसरे जवाब के तेवर देखिए, कहता है,

و ایضا مولی القوم منهم و عصبیۃ الولاء حاصلۃ لسالم فی قریش و ھی الفائدۃ فی اشتراط النسب و صراحۃ النسب غیر محتاج الیہ اذ الفائدۃ فی النسب انما ھی العصبیۃ و ھی حاصلۃ من الولاء۔

यानी दूसरा जवाब यह है कि किसी क़ौम का आज़ाद शुदा ग़ुलाम उन्हीं में से है और इस रिश्ता ए विला के बाइस क़ुरैशी सालिम की हिमायत करते और यही क़ौमी हमीयत शर्त ए नसब का फ़ायदा है साफ़ नसब की हाजत नहीं कि वह तो इसी हमीयत की ग़रज़ से है और हमीयत अपने आज़ाद किए हुए ग़ुलाम की भी करते हैं। लिल्लाह इंसाफ़! दिखाना तो यह है कि शर्त ए क़ुरशिअत नहीं मानते, उनके शुबह का जवाब दे रहा है और जवाब वह दिया जिसने शर्त ए क़ुरशिअत को उखाड़ फेंका, नसब की कोई हाजत नहीं, क़ौमी हमीयत से काम है जिस तरह भी हो फिर भी क़ुरशिअत का कुछ डोरा लगा रखा कि क़ुरैशी न हो तो उसका आज़ाद कर्दा ग़ुलाम तो हो अगरचे उसमें भी कलाम है, सालिम रदि अल्लाहु तआला अन्हु को अबू हुज़ैफ़ा रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने आज़ाद न फ़रमाया न वह उनके ग़ुलाम थे बल्कि उनकी बीबी शैबा रदि अल्लाहु तआला अन्हा के ग़ुलाम थे, उन्हें आज़ाद किया और वह अंसारिया

हैं न कि क़ुरशिया। हाँ बराह ए मवालात व दोस्ती मौला अबी हुज़ैफ़ा कहलाते हैं, अबू हुज़ैफ़ा ने उनको मुतबन्ना किया था और अपनी भतीजी फ़ातिमा से उनकी शादी कर दी थी, रदि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। फ़तहुल बारी में है,

كان مولى لامرأة من الانصار فتبناه ابو حذيفة لما تزوجها فنسب اليه۔

यानी सालिम एक अंसारिया बीबी के ग़ुलाम आज़ाद शुदा थे जब अबू हुज़ैफ़ा ने उस बीबी से निकाह किया उनको मुतबन्ना बनाया, जबसे अबू हुज़ैफ़ा की तरफ़ मनसूब होने लगे, रदि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। लिहाज़ा इरशादुस सारी में मौला अबी हुज़ैफ़ा की यूँ शरह की,

(مولى) امرأة ابي حذيفة۔

अबू हुज़ैफ़ा के मौला यानी उनकी ज़ौजा के मौला। ग़रज़ यहाँ तक भी दोनों पल्ले बचाए मगर नफ़ी का पल्ला ग़ालिब कर दिया कि यह हक़ीक़त है और यहाँ क़ुरशिअत का लगाव रहना मजाज़, अब अंदेशा किया कि लोग ख़ारजी मोतज़ली समझेंगे कि सहाबा का इजमा छोड़कर उन गुमराहों की तक़लीद की। इसके इलाज को यह मुख़ालिफ़त इमाम ए सुन्नत के सर रख दी और कहा,

و من القائلين بنفى اشتراط القرشية القاضى ابو بكر الباقلانى لما ادرك عصبية قريش من التلاشى فاسقط شرط القرشية و ان كان موافقا لرأى الخوارج و بقى الجمهور على القول باشتراطها و لو كان عاجزا عن القيام بامور المسلمين ورد عليهم سقوط شرط الكفاية لانه اذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية و اذا وقع الاخلال بشرط الكفاية و اذا وقع الاخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك ايضا الى العلم و الدين و سقط اعتبار شروط هذا المنصب و هو خلاف الاجماع (ملخصاً)

यानी इमाम क़ाज़ी अबू बक्र बाक़िलानी ने क़ुरशियत शर्त न मानी कि क़ुरैश की हमीयत फ़ना हो गई व लिहाज़ा इसकी शर्त उन्होंने साक़ित कर दी अगरचे यह ख़ारजियों के मज़हब के मुवाफ़िक़ है और जमहूर अब भी शर्त ए क़ुरशियत मानते रहे अगरचे ख़लीफ़ा मुसलमानों का काम बनाने से आजिज़ हो और उन पर यह एतिराज़ है कि लियाक़त कार की शर्त जाती रही कि जब हमीयत जाने से शौकत गई काम क्या बना सकेगा और जब शर्त ए किफ़ायत छूटी यही राह शर्त ए इल्म व शर्त ए दीन की तरफ़ चलेगी और ख़िलाफ़त की शर्तें साक़ितुल एतिबार हो जाएंगी और यह ख़िलाफ़ ए इजमा है। (मुलख़स्सन) इस कलाम के पेच देखिए क्या क्या करवटें बदली हैं,

अव्वल इमाम ए सुन्नत पर वह तोहमत रखी कि क़ुरैश की बे हमीयती देखकर शर्त ए क़ुरशियत साक़ित कर बैठे, यह अपना बचाव और जानिब ए नफ़ी की ताईद थी कि एक मुझ ही को शर्त ए क़ुरशियत में कलाम नहीं, अहले सुन्नत के इतने बड़े इमाम उसे इस्तीफ़ा दे चुके हैं फिर साथ ही कह दिया कि इसमें वह ख़ारजियों के मज़हब पर चले, यह जानिब ए इस्बात की रियायत से कही फिर उसी पहलू का लिहाज़ बढ़ाया कि जमहूर उस पर रहे फिर पहलू ए नफ़ी की करवट ली कि उन पर बे एतिबारी शराइत का इल्ज़ाम क़ाइम होता है, यह झूटा इल्ज़ाम सराहतन ख़ुद उसी पर हक़ था कि क़ुरशियत शर्त थी और उसने साक़ित की तो यूँही इल्म व दीन व किफ़ायत भी साक़ित हो सकेगी और राह पर शर्त की तरफ़ चलेगी और जाहिल बेदीन आजिज़ चमार को ख़लीफ़ा कर देना जाइज़ हो जाएगा और यह ख़िलाफ़ ए इजमा है,

इसकी पेशबंदी की कि जमहूर ए अहले सुन्नत के सर पर इफ़्तिरा जड़ दिया कि वह सिर्फ़ क़ुरशियत चाहते हैं अगरचे काम से बिल्कुल आजिज़ हो हालांकि कुतुब ए अक़ाइद व फ़िक़्ह व हदीस शाहिद हैं कि क़ुरशियत व क़ुदरत दोनों

शर्त हैं और उनके साथ इस्लाम व हुर्रियत व ज़ुकूरत व बुलूग़ भी न यह कि सिर्फ़ क़ुरैशी होना बस है।

यह छुपलियाँ खेलकर अख़ीर में दिल की साफ़ खोल दी,

اذا بحثنا عن حکمۃ اشتراط القرشی و مقصد الشارع منہ لم یقتصر علی التبرک بوصلۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما ھو مشھور و المصلحۃ لم نجدھا الا اعتبار العصبیۃ و ذلک ان قریشا کان لھم العزۃ بالکثرۃ و العصبیۃ و الشرف فاشترط نسبھم لیکون ابلغ فی انتظام الملۃ کما وقع فی ایام الفتوحات و استمر بعدھا فی الدولتین الی ان تلاشت عصبیۃ العرب فاذا ثبت ان اشتراط القرشیۃ انما ھو للعصبیۃ و الغلب والشارع لایخص الاحکام بجیل فطردنا العلۃ وھی العصبیۃ فاشترطنا فی القائم بامور المسلمین ان یکون من قوم اولی عصبیۃ قویۃ غالبۃ ثم ان الوجود شاھد بذلک فانہ لا یقوم بامر امۃ او جیل الا من غلب علیھم و قل ان یکون الامر الشرعی مخالفا للامر الوجودی (ملخصاً)۔

यानी हम जो नज़र करें शर्त ए क़ुरशियत की हिकमत और उससे शारेअ का मक़सूद क्या है तो वह अलाक़ा ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तबर्रुक पर मौक़ूफ़ नहीं जैसा कि लोगों में मशहूर हो रहा है कि क़ुर्ब ए नबवी के सबब क़ुरैश को यह फ़ज़्ल मिला है, इसमें आन और क़ौमी हमीयत के एतिबार के सिवा कोई मसलिहत नहीं, यह इसलिए कि क़ुरैश अपनी कसरत और आन और शराफ़त के सबब ग़ालिब थे लिहाज़ा उनका नसब शर्त किया गया कि दीन का इंतिज़ाम ख़ूब हो जैसा कि ज़माना ए फ़ुतूहात में हुआ और इसके बाद बनी उमय्या व बनी अब्बास की दौलतों में रहा यहाँ तक कि अरब निरे बे हमीयत हो गए और जबकि साबित हो लिया कि क़ुरशियत की शर्त फ़क़त उनकी हमीयत व ग़लबा के सबब थी और शरीअत अहकाम को

किसी क़बीला के साथ ख़ास नहीं करती तो हमने इल्लत ए हमीयत को आम कर दिया कि ख़लीफ़ा में ज़रूर है कि किसी क़वी या ग़ालिब हमीयत वाली क़ौम में का हो फिर वाक़िआत भी इस पर गवाह हैं कि क़बीले या गिरोह का सरदार वही होता है जो उन पर ग़ालिब हो और कम होगा कि शरीअत नेचर के ख़िलाफ़ हुक्म दे (मुलख़्ख़सन)। ज़ाहिर कर दिया कि क़ुरशियत शर्त नहीं असबियत शर्त है, क़ुरशियत इसलिए शर्त थी कि उनमें क़ौमी हमीयत ए जाहिलियत थी जब क़ुरैश बल्कि तमाम अरब बे हमीयत हो गए तो अब उनकी ख़िलाफ़त कैसी बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिलजुमला न फ़क़त शर्त ए क़ुरशियत की नफ़ी की बल्कि नफ़ी ए क़ुरशियत बल्कि नफ़ी ए अरबियत शर्त कर दी कि अस्ल शर्त ए ख़िलाफ़त क़ौमी हमीयत ठहराई और साफ़ कह दिया कि न सिर्फ़ क़ुरैश बल्कि तमाम अरब बे हमीयत हो गए तो ख़िलाफ़त के लिए शर्त हुआ कि ख़लीफ़ा न क़ुरैशी हो न अरबी बल्कि यह शर्त है कि किसी ख़ूँख़वार क़ौम का हो, तो यह तो ज़िरार मोतज़ली से भी बहुत ऊंचा उड़ा उसने तो यही कहा था कि ग़ैर क़ुरैशी औला है इसने यह जमाई कि क़ुरैश बल्कि किसी अरब की ख़िलाफ़त जाइज़ ही नहीं और ख़ुद कह चुका है कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहीह हदीस में फ़रमाया कि हमेशा ख़िलाफ़त क़ुरैश ही के लिए होगी जब तक दुनया में दो आदमी भी रहें, यह है उसका हदीस पर ईमान और यह है उसका इजमा ए सहाबा पर ईक़ान।

और सिरे से यह अशद सा अशद ज़ुल्म क़ाबिल तमाशा कि वह असबियत जिससे रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ब शिद्दत मना फ़रमाया जिसे न क़ुरैश बल्कि तमाम अरब के दिल से धोया उसी को अस्ल मक़सूद शारेह और ख़ास शर्त ए ख़िलाफ़त ठहराता है हालांकि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,

من قاتل تحت رأیة عمیة یغضب لعصبة او یدعوا الی عصبة او ینصر عصبیة فقتل فقتلة جاھلیة ۔ فی اخری فلیس من امتی ۔ رواہ مسلم عن ابی ھریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔

जो किसी अंधे झंडे के नीचे लड़े कि असबियत (यानी क़ौमी हमीयत शेवा ए जाहिलियत) के लिए ग़ज़ब करे या असबियत की तरफ़ बुलाए या असबियत की मदद करे और मारा जाए तो ऐसा ही है जैसे कोई जाहिलियत व ज़माना ए कुफ़्र व ग़फ़लत में क़त्ल किया जाए और दूसरी रिवायत में है वह मेरी उम्मत से नहीं। नीज़ फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,

لیس منا من دعا الیٰ عصبیة و لیس منا من قاتل عصبیة و لیس منا من مات علی عصبیة ۔ رواہ ابوداؤد عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔

हमारे गिरोह से नहीं जो असबियत (क़ौमी हमीयत) की तरफ़ बुलाए, हम में से नहीं जो असबियत पर लड़े, हमसे नहीं जो असबियत पर मरे। तो शारेअ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मबग़ूज़ को शारेअ का मक़सूद बताना कि कैसा शारेअ अलैहिस सलातो वस्सलाम पर इफ़्तिरा ए बेबाक व इज्तिरा ए नापाक है वल इयाज़ु बिल्लाहि तआला। अजब एक मुद्दई ए सुन्नियत है कि सहाबा व अइम्मा व ख़ुद इरशाद ए हुज़ूर सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबको पीठ कर एक गुमराह मुख़ालिफ़ ए हदीस व ख़ारिक़ ए इजमा व मुहदिस फ़िद दीन का दामन थामे

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔

(21) तहरीर ए फ़िरंगी महली ने इतना भी न देखा कि वह सराहतन इजमा ए सहाबा लिखकर फिर इमाम बाक़िलानी को इसका मुख़ालिफ़ और ख़ारजी मज़हब का मुवाफ़िक़ लिखता है, उसने कहा तो कहा, एक मुद्दई ए सुन्नियत को

तो इमाम ए सुन्नत पर ऐसे शुनीअ इल्ज़ाम रखते शर्म चाहिए थी।

(22) [7]इबारत नम्बर 36 आपने सुनी, मालूम है यह इमाम अबू बक्र अत तय्यब कौन हैं वही इमाम अजल्ल इमाम ए सुन्नत क़ाज़ी अबू बक्र बाक़िलानी हैं। शरहुश शिफ़ा लि अली क़ारी में है,

(وھومذھب القاض ابی بکر) ای ابن الطیب الباقلانی۔

नसीमुर रियाज़ में है,

(وھومذھب القاضی ابی بکر) الباقلانی۔

वफ़यातुल आयान में है,

القاضی ابوبکر محمد بن الطیب المعروف بالباقلانی المتکلم المشھور توفی) سنۃ ثلث و اربع مائۃ ببغداد۔

देखा कि इन इमाम ने क्या इरशाद फ़रमाया, फिर सुन लो और कान खोलकर सुने, इमाम इब्नुल मुनीर मालिकी फिर फ़तहुल बारी में इमाम इब्न ए हजर असक़लानी शाफ़ई का यही कलाम ए अल्लामा सय्यिद मुर्तज़ा ज़ैदी हन्फ़ी ने इतहाफ़ुस सादतुल मुत्तक़ीन जिल्द दुवम सफ़हा 232 में यूँ नक़्ल फ़रमाया,

قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری قال ابن المنیر قال القاضی ابوبکر الباقلانی لم یعرج المسلمون علی ھذا القول بعد ثبوت الحدیث الائمۃ من قریش و عمل المسلمون بہ قرنا بعد قرن و انعقد الاجماع علی اعتبار ذلک قبل ان یقع الاختلاف۔

[7] : यहाँ तक कलाम क़ातिए रग ए औहाम था अब आगे वह आता है जिसे देखकर कज़्ज़ाबों मुफ़तरियों की आँखें फट कर रह जाएं। अज़ उबैदुर रज़ा हशमत अली क़ादरी ग़ुफ़िरालहु।

यानी इमाम इब्न ए हजर ने शरह ए सहीह बुख़ारी में फ़रमाया कि इमाम इब्नुल मुनीर ने फ़रमाया कि इमाम क़ाज़ी अबू बक्र बाक़िलानी ने फ़रमाया कि मोतज़िली के उस क़ौल की तरफ़ मुसलमानों ने इल्तिफ़ात न किया बाद उसके कि हदीस का इरशाद साबित हो लिया कि ख़ुलफ़ा क़ुरैश ही से हों और इसी पर मुसलमानों का हर तबक़ा में अमल रहा और इन इख़्तिलाफ़ करने वालों के वुजूद से पहले इस पर इजमा हो लिया। अलहम्दु लिल्लाह यह इरशाद है इमाम अबू बक्र बाक़िलानी का जिसने उस मुअर्रिख़ का सफ़ेद झूट और स्याह इफ़्तिरा साबित किया और सहाबा व अइम्मा ए अहले सुन्नत को छोड़कर उसका दामन थामने वालों का मुँह काला किया व लिल्लाहिल हम्द।

(23) अलहम्दु लिल्लाह यहाँ से फ़िरंगी महली तहरीर की इमाम क़ाज़ी अयाज़ पर वह ताना ज़नी भी बातिल हो गई कि ज़िक्र ए इजमा की इब्तिदा उनसे हुई, इमाम क़ाज़ी अयाज़ छटी सदी में थे और इमाम अहले सुन्नत क़ाज़ी अबू बक्र बाक़िलानी चौथी सदी में, वह इजमा नक़्ल फ़रमा रहे हैं व लिल्लाहिल हम्द।।

(24) उसके बाद तहरीर ए फ़िरंगी महली में है, हनफ़िया की कुतुब में ऐसी फ़ुज़ूल नहीं जैसी शाफ़िईया की कुतुब में है कि

الائمة۔

से हर क़िस्म का इमाम मुराद है कि इमाम शाफ़ई के इमाम फ़िल मज़हब होने की ताकीद हो क्योंकि वह क़ुरैशी थे। यह शाफ़िईया ने कहीं न कहा कि हर क़िस्म का इमाम मुराद है, न कोई अद्ना तालिब ए इल्म कह सकता है कि नमाज़ की इमामत भी क़ुरशी से ख़ास उलमा से दूसरा इमाम नहीं हो सकता वह इससे इमाम शाफ़ई रदि अल्लाहु तआला अन्हु के लिए एक फ़ज़ीलत साबित करते हैं कि दूसरा आलिम ग़ैर क़ुरशी जब दीन व इल्म में इमाम शाफ़ई के बराबर हो

तो उस पर ब वजह ए क़ुरशियत उनको तरजीह है, देखो फ़तहुल बारी कि,

الاستدلال علی تقدیم الشافعی علی من ساواہ فی العلم و الدین من غیر قریش لان الشافعی قرشی۔

(25) बिल फ़र्ज़ ऐसा होता है तो उस फ़ुज़ूल बात का यहाँ ज़िक्र उससे बदतर फ़ुज़ूल, जिससे मतलब हो तो सिर्फ़ इतना कि जाहिल अवाम समझें कि अस्ल मसअला ख़िलाफ़त ए क़ुरैश ही बाज़ शाफ़िईया की फ़ुज़ूल है, कुतुब ए हनफ़िया उससे पाक है।

(26) फिर कहा फिर भी मुहक़्क़िक़ीन ए शाफ़िईया इसको शर्त ए इख़्तियारी कहने पर मजबूर हुए, यह फिर भी उसी क़िस्सा ए तलबीस की ताईद है कि नफ़्स ए ख़िलाफ़त ए क़ुरैश को शाफ़िईया की फ़ुज़ूल कहा कि इसी को इख़्तियारी कहा है फिर इसमें शाफ़िईया की तख़सीस एक तलबीस और इनमें भी मुहक़्क़िक़ीन की क़ैद दूसरा कैद, और लफ्ज़ ए इख़्तियारी से जुह्हाल को धोका देना कैद ए अज़ीम है, इख़्तियारी के माना समझे जाएंगे कि अपनी ख़ुशी पर है चाहे ख़लीफ़ा में क़ुरशियत का एतिबार करें या नहीं, यह शाफ़िईया ख़वाव उनके मुहक़्क़िक़ीन जिस पर कहो सरीह इफ़्तिरा ए काज़िब है और ख़ुद अक़्ल व फ़हम से बेगाना व मजानिब, शर्त वह जिसके फ़ौत से मशरूत फ़ौत हो और इख़्तियारी वह जिस पर कुछ तवक़्क़ुफ़ न हो, अस्ल बात जिसकी सूरत बिगाड़ कर यूँ धोका देना चाहा यह है कि मुल्क पर तसल्लुत दो (2) तरह होता है एक यह कि अहले हल व अक़्द किसी जामेअ शराइत को इमाम पसंद करके उसके हाथ पर बैअत करें जैसे सिद्दीक़ रदि अल्लाहु तआला अन्हु, तसल्लुत बिला मुनाज़अत हो जाना उसकी शर्त नहीं, न मुनाज़िअ से क़िताल व जिदाल इसके मुनाफ़ी, जैसे अब्दुल्लाह इब्न ए ज़ुबैर रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा।

दुवम यह कि जिसकी इमामत इस तरह हो चुकी हो वह दूसरे के लिए

वसीयत करे जैसे फ़ारूक़ ए आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु के लिए। ख़िलाफ़त ए शरईआ इन्हीं दो (2) वजह पर होती है और हर एक पसंद व इख़्तियार से है, पहली में इख़्तियार व इंतिखाब अहले हल व अक़्द है और दूसरे में इख़्तियार व इरतिज़ा ए ख़लीफ़ा ए साबिक़। इन दोनों में क़ुरशियत वग़ैरह शराइत यक़ीनन हैं, न अहले हल व अक़्द को जाइज़ कि किसी ग़ैर क़ुरशी को ख़लीफ़ा करें, न ख़लीफ़ा को हलाल कि ग़ैर क़ुरशी को वली अहद करे, तो ख़िलाफ़त शरईया इख़्तियारी है कि इख़्तियार व पसंद से नाशी होती है और उसमें क़ुरशियत वग़ैरहा शराइत ए ज़रूरिया लाज़िम व ज़रूरी हैं न कि इख़्तियारी अगर तर्क की जाएंगी ख़िलाफ़त ए शरईया न होगी बल्कि क़िस्म ए दुवम तग़ल्लुब के हुक्म में रहेगी. वह तसल्लुत की दूसरी सूरत है कोई शख़्स अपनी शौकत व सितवत से मुल्क दबा बैठे, बादशाह बन जाए अगरचे लोग उसके क़हर व ग़लबा के सबब उसके हाथ पर बैअत भी करें, यह सूरत ए बे इख़्तियारी व मजबूरी है इसमें मुसलमान शराइत का लिहाज़ क्या कर सकते हैं कि न उनके इख़्तियार से है न उसे माज़ूल करना उनके क़ाबू में,

यहाँ इक़ामत ए जुमुआह व आयाद व तज़वीज ए सिग़ार व विलायत ए माल व तौलियत ए क़ज़ा वग़ैर ज़ालिक उमूर मुफ़ुव्विज़ा ए ख़लीफ़ा हैं उसके हाथ के सब काम नाफ़िज़ होंगे, अम्र ए जाइज़ शरई में उसकी इताअत करनी होगी अगरचे क़ुरशी न हो बल्कि आज़ाद भी न हो हबशी ग़ुलाम हो कि इसारत ए फ़ितना जाइज़ नहीं, यह न सिर्फ़ शाफ़िईया बल्कि सब अहले मज़ाहिब मानते हैं और इसे इंतिफ़ा ए शर्त ए क़ुरशियत से अलाक़ा नहीं, जबरन वुजूब ए इताअत और, और उसका ख़लीफ़ा ए शरई हो जाना और, इताअत होगी और ख़िलाफ़त हरगिज़ न होगी बल्कि मुतग़ल्लिब होगा, उनके बाज़ अवाम पार्टी के ख़ुद साख़्ता इमाम ने यही धोका दिया है, इबारतें वह नक़्ल करता है जिनमें

मुतग़ल्लिब की इताअत का ज़िक्र है और उनमें अपनी तरफ़ से पच्चर लगा लेता है कि उसी को ख़लीफ़ा मानना चाहिए, यह महज़ बातिल है और इसी में बहस है न कि इताअत में, ख़ुद उन्हीं मुहक़्क़िक़ीन ए शाफ़िईया ने तसरीह की है कि वह मुतग़ल्लिब होगा न कि ख़लीफ़ा। फ़तहुल बारी से गुज़रा कि क़ुरैश के सिवा जो कोई होगा मुतग़ल्लिब होगा। उसी में है,

هذا كله انما هو فيما يكون بطريق الاختيار و اما لو تغلب عبد بطريق الشوكة فان طاعته تجب اخماد اللفتنة ما لم يأمر بمعصية۔

यानी यह सब इस हालत में है कि किसी को बतौर इख़्तियार इमामत दी जाए और कोई ग़ुलाम अपनी शौकत से ज़बरदस्ती मुल्क दबा बैठे तो फ़ितना बुझाने के लिए इताअत उसकी भी वाजिब होगी जब तक गुनाह का हुक्म न करे।

देखो इमामत को इख़्तियारी कहा कि इख़्तियार व पसंद से हो, न कि शर्त ए क़ुरशियत को इख़्तियारी कि चाहे रखो या न रखो ग़ैर क़ुरशी को मुतग़ल्लिब कहा। शरह ए मक़ासिद में है,

و بالجملة مبنى ما ذكر فى باب الامامة على الاختيار و الاقتدار و اما عند العجز و الاضطرار و استيلاء الظلمة و الاشرار فقد صارت الرياسة الدنيويه تغلبية و بنيت عليها الاحكام الدينية المنوطة بالامام ضرورة و لم يعبأ بعدم العلم و العدالة و سائر الشرائط و الضرورات تبيح المحظورات و الى الله المشتكى فى النائبات۔

यानी वह जो बाब ए इमामत में मज़कूर हुआ उसकी बिना इख़्तियार व क़ुदरत पर है और जब हालत मजबूरी व नाचारी हो ज़ालिम शरीर लोग तसल्लुत पाएं तो उस वक़्त यह दुनयवी रियासत तग़ल्लुब पर रह जाएगी और

वह दीनी अहकाम कि ख़लीफ़ा से मुतअल्लिक़ हैं ब मजबूरी उस मबनी रियासत पर बिना किए जाएंगे और इल्म व अदालत वग़ैरह शराइत न होने का लिहाज़ न होगा, मजबूरियाँ नाजाइज़ को रवा कर लेती हैं और इन मुसीबतों में अल्लाह ही से फ़रियाद है। आँख खोलकर देखो कि वह मुहक़्क़िक़ीन क्या फ़रमा रहे हैं और क्योंकर इसे तग़ल्लुब और दुनयवी रियासत बता रहे हैं मगर धोका देने वाले फ़रेब से बाज़ नहीं आते। तन्बीह : यहाँ काम जाहिलों से पड़ा है जिन्हें इल्म का इद्दिआ है। कोई जाहिल इस इबारत ए शामी से धोखा न दे,

يصير اماما بالمبايعة و باستخلاف امام قبله و بالتغلب و القهر۔

आगे मुसाइरा से है,

لو تعذر وجود العلم و العدالة فيمن تصدى للامامة و كان فى صرفه عنها اثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد امامته كى لا تكون كمن يبنى قصرا و يهدم مصرا۔

कि देखो जो ज़बरदस्ती बादशाह बन जाए और उसके जुदा करने में नाक़ाबिल ए बर्दाश्त फ़ितना हो, उसे इमाम माना, उसकी इमामत को मुनअक़िद जाना, और यही ख़िलाफ़त ए शरईया है। हाशा यह महज़ धोका है साफ़ तसरीह की यह तग़ल्लुब है जो ख़िलाफ़त ए शरईया की सरीह ज़िद है नीज़ बिला फ़सल इस इबारत के बाद है,

و اذا تغلب آخر على المتغلب و قعد مكانه العزل الاول و صار الثانى اماما۔

इस मुतग़ल्लिब पर दूसरा तग़ल्लुब करके उसकी जगह बैठ जाए तो पहला माज़ूल और अब यह दूसरा मुतग़ल्लिब इमाम बन जाएगा। यहीं इसके एक सत्र बाद है,

لكن الثالث فى الامام المتغلب۔

नीज़ बिआंकि ख़ुद सल्तनत ए तुर्क में थे साफ़ लिख दिया कि,

قد يكون بالتغلب و هو الواقع فى سلاطين الزمان نصرهم الرحمٰن-

देखो बिआंकि सलातीन ए तुर्क के हाथ पर बैअत की जाती थी, अदम ए बाज़ शराइत मिस्ल क़ुरशियत वग़ैरहा के बाइस तसरीह फ़रमा दी कि बा वस्फ़ बैअत हैं मुतग़ल्लिबा, रहमान अज़्ज़ा व जल्ल उन्हें नुसरत दे। मैं कहता हूँ आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बल्कि यहाँ लफ़्ज़ इमामत का इतलाक़ उर्फ़ ए फ़ुक़हा में वसीअ तर है (देखो बदाए इमाम मलिकुल उलमा अबू बक्र मसऊद काशानी क़ुद्दिसा सिर्रुहु बयान मवादअत व सुलह) ला जरम यहाँ इमामत महज़ ब माना ए सल्तनत है ख़वाह सहीहा जाइज़ा आदिला हो या ज़ालिमा ग़ासिबा बातिला न कि ब माना ए ख़िलाफ़त ए शरईया अगरचे अपने महल में वह भी मुराद होती है जैसे हदीस,

الائمة من قريش-

में इसकी नज़ीर लफ़्ज़ ए अमीर है कि हरगिज़ ख़लीफ़ा के साथ ख़ास नहीं, वाली ए शहर व सरदार ए हुज्जाज को भी कहते हैं मगर

الائمة من قريش-

में क़तअन ख़ुलफ़ा ही मुराद। तन्बीह : इमामत ए मुतग़ल्लिब सेहत ए ख़िलाफ़त बाला ए ताक़, हुक्म ए इत्तिबा भी नहीं लाती जहाँ तक इसारत ए फ़ितना या ज़रर ए तअज़्ज़ा न हो जिसका बयान मुक़द्दमा में गुज़रा, हैफ़ उन पर जो मुसलमान कहला कर अम्र ए दीनी में मुशरिक के पस रू बनते और उसे अपना रहनुमा बनाते हैं।

وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

क्या ख़ौफ़ नहीं करते कि रोज़ ए क़यामत उन्हीं के गिरोह में महशूर हों जिनको क़ुरआन ए अज़ीम ने फ़रमाया,

فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔

(कुफ़्र के इमामों से लड़ो) और फ़रमाया,

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ۔

(हमने उन्हें ऐसे इमाम किया कि दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते हैं)

وقال الله تعالیٰ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ۔

(अल्लाह तआला ने फ़रमाया, जिस दिन हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे) यानी जिसको उन्होंने अम्र ए दीन में रहनुमा बनाया और उसके पस रू हुए अगरचे मुशरिक हो कि आगे तफ़सील में दोनों ही क़िस्मों का बयान फ़रमाया है,

فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ۔

(जिनका नामा ए आमाल दहने हाथ में दिया गया) और

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى۔

(यहाँ राह ए हक़ से अंधे थे)

نسأل الله العفو والعافية۔

(27) फिर तहरीर ए फ़िरंगी महली है, "और हनफ़िया की कुतुब से तो इस्तिहबाबी होना अरबाब ए अक़्ल पर पोशीदा नहीं।" यह हनफ़िया और उनकी किताब पर सख्त इफ़्तिरा ए फ़ज़ी है, इस क़दर इबारात कि पहले गुज़रीं उन्हीं में अक़ाइद - इमाम मुफ़्तीइल जिन वल इन्स नजमुल मिल्लत वद दीन उमर नसफ़ी, इतहाफ़ - अल्लामा सय्यिद मुर्तज़ा ज़ैदी, मुसायरा - मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ कमालुल मिल्लत वद दीन, तआलीक़ - अल्लामा क़ासिम इब्न ए क़ुतलूबुग़ा, शरह ए मुवाक़िफ़ - अल्लामा सय्यिद शरीफ़, मिनहुर रौज़ - अली

क़ारी, तरीक़ा ए मुहम्मदिया - इमाम बिरकवी, हदीक़ा ए नदीया सय्यिदी आरिफ़ बिल्लाह अब्दुल ग़नी नाबलुसी, मिरक़ात शरह ए मिशकात - क़ारी, उमदतुल क़ारी - इमाम ऐनी, शरह ए मिशकात - सय्यिद जुरजानी, अशिअतुल लमआत - शेख़ ए मुहक़्क़िक़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी, फ़तावा सिराजिया - अल्लामा सिराजुद्दीन, अशबाह वन नज़ाइर - मुहक़्क़िक़ ज़ैद इब्न ए नुजैम, फ़तहुल्लाहुल मुईन - सय्यिद अज़हरी, ग़म्ज़ुल उयून सय्यिद हम्वी, दुर ए मुख़तार - मुदक़्क़िक़ अलाई हसकफ़ी, हाशिया अल्लामा सय्यिद अहमद तहतावी, रद्दुल मोहतार - अल्लामा सय्यिद इब्न ए आबिदीन शामी, तम्हीद - इमाम अबुश शकूर सालिमी, मजमउल बिहार अल्लामा ज़ाहिर फ़तनी, शरह ए फ़िक़्ह ए अकबर - बहरुल उलूम वग़ैरहुम हनफ़िया किराम की तीस इबारतों से ज़ाइद मज़कूर हुईं और ख़ुद हज़रत सय्यिदुना इमाम ए आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु का ख़ास नस ए शरीफ़ गुज़रा, क्या अब भी तहरीर ए फ़िरंगी के किज़्ब व इग़वा ए अवाम पर कुछ पर्दा रहा।

(28) फिर कहा लफ़्ज़ यम्बग़ी अक़ाइद ए नसफ़ी की दोनों इहतिमाल रखती है, अक़ाइद शरीफ़ा की इबारत यह है

ان يكون الامام ظاهر الا مختفيا و لا منتظرا و يكون من قريش و لا يجوز من غيرهم۔

क़तए नज़र इससे कि अगर लफ़्ज़ यम्बग़ी असलन मोहतमिल ए वुजूब न होता माना ए इस्तिहबाब में मुफ़स्सर होता जब भी यहाँ हर्ज न था, साइर अइम्मा की तसरीहात ए क़ाहिरा अहले सुन्नत का अक़ीदा ए इजमाइया ज़ाहिरा क़रीना ए क़ातिआह होता कि यकूनो, यकूनो पर मातूफ़ नहीं बल्कि यम्बग़ी पर, यहाँ तो नफ़्स ए इबारत में इमाम साफ़ फ़रमा रहे हैं

لا يجوز من غيرهم۔

ग़ैर क़ुरैश से ख़लीफ़ा होना जाइज़ ही नहीं। फिर दोनों इहतिमाल बताना किस दर्जा आफ़ताब को झुटलाना है, अफ़सोस कि इतने फ़ासला से लफ्ज़ यम्बग़ी दिखाई दिया और बिला फ़सल मिला हुआ

لا یجوز من غیرہم۔

नज़र न आया।

(29) ऐसा ही ज़ुल्म एक और तहरीर ए फ़िरंगी महली ने इबारत ए शरह ए मुवाक़िफ़ पर ढाया कि उसमें लिख दिया है,

للامۃ ان ینصبوا فاقدھا۔

उम्मत को इख़्तियार है कि जिसमें यह शर्तें न हों उसे ख़लीफ़ा कर दे,

انا للہ وانا الیہ رٰجعون۔

उन्होंने इब्तिदाअन तीन मुख़तलफ़ फ़ीह शर्तें बयान कीं, उसूल व फ़रूअ में मुजतहिद होना, उमूर ए जंग में ज़ी राए होना, शुजाअ होना, उनकी निस्बत फ़रमाया कि जिनमें यह शर्तें न हों उम्मत उन्हें भी ख़लीफ़ा कर सकती है, इसके बाद क़ुरशियत लिखी और उसे फ़रमाया यह शर्त यक़ीनी क़तई है और यह अहले सुन्नत का मज़हब है इसमें मुख़ालिफ़ ख़ारजी मोतज़िली हैं, इन इख़्तिलाफ़ी शराइत पर जो ऊपर कहा था उसे यहाँ लगा लेना किस दर्जा सरीह तहरीफ़ ए कलाम व इग़वा ए अवाम है, इसकी नज़ीर यही है कि आलिम फ़रमाए नमाज़ की शर्तें नजासत ए हक़ीक़ीया से जिस्म व सौब व मकान की तहारत है, यह शर्तें बाज़ औक़ात साक़ित भी हो जाती हैं और उसकी शर्त क़तई यक़ीनी नजासत ए हुक्मिया से तहारत है कि वुज़ु व ग़ुस्ल व तयम्मुम से हासिल होती है, इस पर कोई फ़िरंगी महली साहिब फ़तवा दें कि बाज़ औक़ात बे वुज़ु और बहाल ए जनाबत भी नमाज़ सहीह हो जाती है कि आलिम ने फ़रमाया है

यह शर्तें बाज़ वक़्त साक़ित भी हो जाती है, आलिम ने किन शर्तों को फ़रमाया था और उन्होंने किस में लगा लिया,

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

मुसलमानो! देखा दीन व सुन्नत व मज़हब व मिल्लत पर क्या क्या ज़ुल्म जोते जाते हैं और फिर पैरवान ए शरीअत को आँखें दिखाते हैं मगर है यह कि मजबूर हैं बातिल की ताईद बातिल ही से होती है वरना,

وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔

मुहक़्क़िक़ीन अहले सुन्नत पर इफ़्तिरा, इमाम अहले सुन्नत अलैहिर रहमा पर इफ़्तिरा, शाफ़िईया पर इफ़्तिरा, हनफ़िया पर इफ़्तिरा, वाज़िहात से इनाद, तहरीफ़ से इस्तिमदाद, अइम्मा की तकज़ीब, अहले सुन्नत की तख़रीब, इजमा ए सहाबा से बरकिनार, इजमा ए उम्मत से बर सर ए पैकार, और फिर यह सब किस लिए महज़ बिला वजह महज़ बेकार जिसका बयान ऊपर गुज़रा और अभी ख़ुद मुख़ालिफ़ के इक़रार से सुनिएगा,

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

(30) यह सब कुछ कहकर ख़ातिमा इस पर किया कि "बावुजूद बहस तलब होने के मैंने कभी इशतिरात ए क़ुरशियत से इंकार नहीं किया।" सुबहान अल्लाह दरोग़ गोई बर रु ए मन, इस पर इजमा साबित नहीं, हदीस से दलील नहीं, मुहक़्क़िक़ीन ए अहले सुन्नत को नामक़बूल, इमाम ए सुन्नत को यकसर उससे उदूल, मुहक़्क़िक़ीन ए शाफ़िईया के नज़दीक इख़्तियारी, कुतुब ए हनफ़िया से महज़ इसतिहबाबी। और क्या इंकार ए शर्तियत के सर पर सींग होते हैं।

(31) अलहम्दु लिल्लाह कि आपको शर्त ए क़ुरशियत से इंकार नहीं तो

ज़रूर आपके नज़दीक ग़ैर क़ुरशी ख़लीफ़ा नहीं हो सकता और बदाहतन मालूम कि हमारे तुर्क भाई क़ुरशी नहीं तो आपके नज़दीक सुल्तान तुर्क अय्यदहुल्लाहि तआला ख़लीफ़तुल मुसलिमीन नहीं, ख़िलाफ़त कमेटी तो फ़ना की गोद में लेटी मगर सवाल यह है कि आपके नज़दीक तो शर्त ए ख़िलाफ़त पर न इजमा, न नस, न मज़हब ए हनफ़िया, न मक़बूल ए अहले सुन्नत फिर ज़बरदस्ती उसे मानकर ख़िलाफ़त ए तुर्क फ़ना करके आप तुर्क के ख़ैर ख़वाह हुए या पक्के बद ख़वाह। इन क़ौमी लीडरों के हवास कहाँ गए कि इतने बड़े मुंकिर ए ख़िलाफ़त को हामी ए ख़िलाफ़त समझ रहे हैं, ऐ जनाब! आपके बड़े मिस्टर आज़ाद तो देहली में 16 जनवरी 1920 को ख़िलाफ़त डेपुटेशन के जलसा में ख़ैर मक़दम में साफ़[8] कह चुके हैं कि "अगरचे नमाज़ का पाबंद हो, रोज़े रखता हो लेकिन अगर ख़िलाफ़त से मुंकिर हो तो दाइरा ए इस्लाम से ख़ारिज है, यह वह मसअला है कि इससे अलग होकर मुसलमान, मुसलमान नहीं रह सकता।" दूसरे बदायूंनी[9] ख़ुतबा ए सदारत ए ख़िलाफ़त कांफ़्रेंस मुनअक़िदहु सितम्बर 20 में है कि "अगर[10] कोई मुसलमान मसअला ए ख़िलाफ़त की इमदाद से गुरेज़ और उसमें दिलचस्पी लेने से एहतिराज़ करे तो मुझे उसे काफ़िर कहने में किसी क़िस्म का पसोपेश न होगा।" अब देखिए यह आज़ाद वाली तकफ़ीर,

यह बदायूंनी जंगी तक़रीर आपको भी इस्लाम से आज़ाद व कुफ़्र का पाबंद बनाती है या आप आज़ाद लॉ के मुसतसनियात ए आम्मा में हैं, वह क़ानून सिर्फ़ काले लोगों के लिए है।

(32) फिर कहा, "बल्कि हमने तो किसी मौक़ा पर भी ख़ुसूसियत ए जुज़ईयत ए रसूल को हाथ से नहीं छोड़ा है।" वुजूबन या औलूवियतन, अव्वल

[8] अख़बार मदीना 3 जुमादल ऊला 1338 हिजरी, 25 जनवरी 1920, नम्बर 7, जिल्द 9 अज़ उबैदुर रज़ा हशमत अली

[9] यानी मुतलडर अब्दुल माजिद का ख़ुतबा अज़ हशमत अली रज़वी

[10] देखो अख़बार हमदम 12 सितम्बर 1920

मज़हब ए रवाफ़िज़ से भी बढ़कर है वह भी सिर्फ़ हाशमियत शर्त करते हैं कि ख़ुलफ़ा ए सलासा रदि अल्लाहु तआला अन्हुम की ख़िलाफ़त से इंकार करें आपने जुज़ईयत शर्त करके मौला अली की ख़िलाफ़त रद कर दी और बर तक़दीर ए दुवम इसे मबहस से क्या अलाक़ा हुआ, क्या क़ुरशियत भी सिर्फ़ मर्तबा ए औलूवियत, अव्वलियत में है तो यह काबी मोतज़िली का हुआ और उसका रद अभी आपने किया था कि मैंने कभी इशतिरात ए क़ुरशियत से इंकार न किया, या क़ुरशियत वाजिब है तो अपनी पार्टी से अपना हुक्म पूछिए, वह देखिए मिस्टर आज़ाद बदायूंनी कुफ़्र का फ़तवा लगा चुके, बहरहाल इस बल्कि ने क्या फ़ाइदा दिया।

(33) फिर कहा, यहाँ ख़िलाफ़त फ़िल क़ुरैश में बहस नहीं यहाँ ख़लीफ़ा मुस्लिम पर बग़ावत का मसअला है।" बे क़ुरशियत ख़लीफ़ा कहा और ख़िलाफ़त फ़िल क़ुरैश की बहस न आई, कुछ भी समझकर फ़रमाई।

(34) बग़ावत ख़िलाफ़त अगर ख़ानगी इसतिलाहें हैं तो उनसे काम नहीं और अगर मआनी शरईया मुराद हैं तो क्या आप उस इरशाद ए अइम्मा का मतलब बता सकेंगे जो उन्होंने सदहा साल से सलातीन की निस्बत लिखा, वह जो फ़ुसूल ए इमादी व दुर ए मुंतक़ी शरह ए मुलतक़ी व तहज़ीब ए क़लानिसी व जामेउल फ़ुसूलीन व तहतावी अला दुर्रिल मुख़तार वग़ैरहा में है,

هذا كان فى زمانهم و اما فى زماننا فالحكم للغلبة فلان الكل يطلبون الدنيا فلا يدرى العادل من الباغى۔

यानी यह इम्तियाज़ कि फ़ुलां आदिल है और दूसरा बाग़ी ज़माना साबिक़ में था, हमारे वक़्त में ग़लबा का हुक्म है इसलिए कि सब दुनया तलब हैं तो आदिल व बाग़ी का इम्तियाज़ नहीं।

(35) आग़ाज़ में कहा, "अहले सुन्नत, मुस्लिम मुतग़ल्लिब फ़ाक़िदुश

शुरूत की इताअत को फ़र्ज़ और इमामत को दुरूस्त मानते हैं।" इमामत से अगर ख़िलाफ़त मुराद हो जैसा कि यही ज़ाहिर है तो क़तअन मरदूद जिसका रौशन बयान गुज़रा और अगर सल्तनत मक़सूद हो तो हक़ है मगर गुज़ारिश यह है कि जब मसअला यूँ था और बेशक था कि मुतग़ल्लिब की भी सल्तनत सहीह और इताअत वाजिब तो क्या ज़रूरत थी कि ख़वाही न ख़वाही मसअला ए ख़िलाफ़त छेड़ा जाए, इजमा ए सहाबा व उम्मत उखेड़ा जाए, मज़हब ए अहले सुन्नत व जमाअत उधेड़ा जाए। सुल्तान ए इस्लाम बल्कि आज़म सलातीन ए मौजूदा ए इस्लाम की इआनत ब क़दर ए क़ुदरत क्या वाजिब न थी, ज़ाहिरन इस शक़्क़ ए मुसलिमीन व रद ए इजमा ए सहाबा व अइम्मा ए दीन व मुख़ालिफ़त ए मज़हब ए अहले सुन्नत व जमाअत व मुवाफ़िक़त ए ख़वारिज वग़ैरहुम अहले ज़लालत में तीन फ़ाइदे सोचे,

अव्वलन (1) : दर पर्दा ए हिमायत तुर्कों से मुख़ालिफ़त जिस पर बाइस वहाबिया व देवबंदिया से याराना ए मुवाफ़िक़त, वहाबी देवबंदी तुर्कों को अबू जहल के बराबर मुशरिक जानते हैं जैसा कि तमाम अहले सुन्नत को यूँही मानते हैं लिहाज़ा दिल में उनके पक्के दुश्मन हैं और दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन, इसलिए उनकी हिमायत उस आवाज़ से उठाई जिसमें मुख़ालिफ़त पैदा हो।

सानियन (2) : अपने महसूदीन ए अहले सुन्नत से बुख़ार निकालना, मालूम था कि कर तो कुछ नहीं सकते न ख़ुद न वह, ख़ाली चीख़ पुकार का नाम हिमायत रखना है, अहले महफ़िल व दीन अव्वल तो ग़ुग़ा ए बे समर को ख़ुद ही अबस जानकर सिर्फ़ तवज्जो इलल्लाह पर क़ानेअ रहेंगे और अगर शायद शिरकत चाहें तो उन्हें मज़हब ए अहले सुन्नत हर शैय से ज़्यादा अज़ीज़ है, मज़हब ही उनके नज़दीक चीज़ है लिहाज़ा ऐसे लफ़्ज़ से चिल्लाहट डालो जो ख़िलाफ़ ए मज़हब ए अहले सुन्नत हो कि वह शरीक होते हों तो न हों और

कहने को मौक़ा मिल जाए कि देखिए इन्हें मुसलमानों से हमदर्दी नहीं, यह तो मआज़ अल्लाह नसारा से मिले हुए हैं ताकि अवाम उनसे भड़कें और देवबंदियत व वहाबियत के पंजे जमें।

सालिसन (3) : तुर्कों की हिमायत तो महज़ धोके की टट्टी है अस्ल मक़सूद ब ग़ुलामी ए हुनूद स्वराज की चक्खी है, बड़े बड़े लीडरों ने जिसकी तसरीह कर दी है, भारी भरकम ख़िलाफ़त का नाम लो, अवाम बिफरें, चंदा ख़ूब मिले और गंगा व जमना की मुक़द्दस ज़मीनें आज़ाद कराने का काम चले,

اے پس رو مشرکان بزمزم نرسی—کیں رہ کہ تو میروی بہ گنگ وجمن ست۔

نسأل الله العفو والعافية۔

तुर्की सलातीन ए इस्लाम पर रहमतें हों, वह ख़ुद अहले सुन्नत थे और हैं, मुख़ालिफ़त उन्हें क्योंकर गवारा होती, उन्होंने ख़ुद ख़िलाफ़त ए शरईया का दावा न फ़रमाया, अपने आपको सुल्तान ही कहा, सुल्तान ही कहलवाया, इस लिहाज़ ए मज़हब की बरकत ने उन्हें वह प्यारा ख़िताब दिलाया कि अमीरुल मोमिनीन व ख़लीफ़तुल मुसलिमीन से दिलकशी में कम न आया यानी ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन, क्या इन अलक़ाब से काम न चलता जब तक मज़हब व इजमा ए अहले सुन्नत पाँव के नीचे न कुचलता,

نعوذ بالله مما لا یرضاه و الصلوٰة و السلام علی مصطفاه و اٰله و صحبه الاکارم الهداه۔

फ़सल ए सुवम

रिसाला ए ख़िलाफ़त में मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद की तलबीसात व हज़यानात की ख़िदमत गुज़ारी

यह 35 रद ए क़ाहिर ख़ुतबा ए सदारत ए फ़िरंगी महली की 15 सत्री तहरीर

पर क़लम बर्दाश्ता थे, अब बिऔनिहि तआला चार हर्फ़ उनके बड़े आज़ाद लीडर साहिब की तहरीर पर भी गुज़ारिश हों व बिल्लाहित तौफ़ीक़। और सिलसिला शुमार वही रहे कि

بَعۡضُهُمۡ مِنۡ بَعۡضٍ۔

यहाँ कलाम चंद मबहस पर है।

मबहस ए अव्वल : मिस्टर का क़यासी ढकोसले से दीन को रद करना

(36) मिस्टर आज़ाद ने बड़ा ज़ोर इस पर दिया है कि "इस्लाम तो क़ौमी इम्तियाज़ के उठाने को आया है फिर वह ख़िलाफ़त को क़ुरैश के लिए कैसे ख़ास कर सकता है।" यह एतिराज़ मिस्टर आज़ाद का तबअज़ाद नहीं ख़ारजी ख़बीसों से सीखा है,

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡ تَشَابَهَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ۔

यूँही उनके अगलों ने उन्हीं की सी कही थी उनके दिल एक से हैं। ख़ारजियों ने भी यही एतिराज़ किया था जिसका अहले सुन्नत ने रद किया, मक़ासिद में है,

يشترط كونه قرشيا خالفت الخوارج لانه لا عبرة بالنسب فى مصالح الملك و الدين و رد بان لشرف الانساب اثرا فى جميع الآراء و بذل الطاعة و لا اشرف من قريش سيما و قد ظهر منهم خير الانبياء (ملخصاً)۔

इमाम का क़ुरैशी होना शर्त है और ख़ारजियों ने इसमें ख़िलाफ़ किया इस दलील से कि मसालिह ए सल्तनत व दीन में नसब का कुछ एतिबार नहीं, अहले सुन्नत ने इसका रद किया कि ज़रूर शर्फ़ ए नसब को इसमें असर है कि रिआया की राएं उस पर इत्तिफ़ाक़ करें और दिल ख़ुशी से उसके मुतीअ हों और क़ुरैश के बराबर कोई शर्फ़ नहीं ख़ुसूसन इस हालत में कि अफ़ज़लुल अम्बिया

सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहिम वसल्लम ने उन्हीं में से ज़ुहूर फ़रमाया (मुलख़्ख़सन)। शरह ए मक़ासिद में है,

ولهذا شاع فى الاعصار ان يكون الملك فى قبيلة مخصوصة حتى يرى الانتقال عنه من الخطوب العظيمة والاتفاقات العجيبة ولا اليق بذلك من قريش الذين هم اشرف الناس سيما وقد اقتصر عليهم ختم الرسالة وانتشرت منهم الشريعة الباقية الى يوم القيمة۔

इसी एतिबार ए नसब के सबब तमाम ज़मानों में शाए रहा कि सल्तनत एक ख़ास क़बीले में हो यहाँ तक कि उससे दूसरे क़बीले की तरफ़ इंतिक़ाल ए सल्तनत को सख़्त काम और अजीब इत्तिफ़ाक़ समझा जाता है और क़ुरैश से ज़ाइद इसका लाइक़ कोई नहीं कि वह तमाम जहाँ से ज़्यादा शरीफ़ हैं ख़ुसूसन अब कि उन्हीं पर रिसालत ख़त्म हुई और उन्हीं से वह शरीअत फैली कि क़यामत तक रहेगी।

किताब मुबारक अराअतुल अदब लि फ़ाज़िलिन नसब मुलाहज़ा हो, किस क़दर अहादीस ए कसीरा ने कहाँ कहाँ फ़ज़ीलत ए नसब का एतिबार फ़रमाया है और निकाह में शरअन एतिबार ए किफ़ायत से तो आलिम बनने वाले जुह्हाल भी नावाक़िफ़ न होंगे जिससे तमाम कुतुब ए फ़िक़्ह गूंज रही हैं और इसमें ख़ुद हदीस वारिद, आयात व अहादीस इससे मना फ़रमाती है कि कोई इल्म व तक़्वा व फ़ज़ाइल ए दीनीया को भूले और ख़ाली नसब पर तफ़ाख़ुरन फूले।

(37) मिस्टर ने अहादीस

الائمة من قريش ولا يزال هذا الامر فى قريش۔

से तो यूँ जान बचाई कि "यह कोई हुक्म ए नबवी नहीं कि अहकाम में

फ़ज़ीलत ए नसब का एतिबार ठहरे बल्कि निरी पेशगोई है।" जिसका रद बिऔनिहि तआला अभी आता है मगर इस हदीस ए जलील का क्या इलाज करेंगे कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,

قدموا قریشا ولا تقدموها۔

क़ुरैश को मुक़द्दम रखो और उन पर तक़द्दुम न करो। यह हदीस छह सहाबा ए किराम की रिवायत से है, बज़्ज़ार ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली और इब्न ए अदी ने अबू हुरैरा और अबू नुऐम व दैलमी ने अनस इब्न ए मालिक और बैहक़ी ने ज़ुबैर इब्न ए मुतइम और तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्न ए हनतब नीज़ अब्दुल्लाह इब्न ए साइब रदि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से रिवायत की नीज़ मुरसल अबू बक्र इब्न ए सुलेमान इब्न ए अबी हसमा व मुरसल इब्न ए शिहाब ज़ोहरी से आई, यह तो सरीह अम्र व नही है इसे तो मिस्टर ख़बर नहीं बना सकते, इसमें रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरीह हुक्म फ़रमा रहे हैं कि क़ुरैश ही को मुक़द्दम करना क़ुरैश से आगे क़दम न धरना। अब तो मिस्टर ज़रूर रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तान करेंगे कि "इस्लाम का दाई दुनया को तो क़ौमी व नस्ली इम्तियाज़ियात की ग़ुलामी से नजात दिलाना चाहता मुसावात ए आम्मा की तरफ़ बुलाता हो लेकिन (नऊज़ु बिल्लाह) ख़ुद इतना ख़ुदग़र्ज़ हो कि (तक़दीम व तरजीह) सिर्फ़ अपने ही मुल्क, मुल्क नहीं अपने ही वतन, वतन नहीं ख़ास अपने क़बीले, क़बीला नहीं सिर्फ़ अपने ही ख़ानदान के लिए मख़सूस कर दे, सारी दुनया से कहे तुम्हारे बताए हुए हक़ झूटे हैं सच्चा हक़ सिर्फ़ अमल व अहलियत का है लेकिन ख़ुद अपने लिए यह कर जाए कि अमल न अहलियत सिर्फ़ क़ौम, सिर्फ़ नस्ल, सिर्फ़ ख़ानदान।" अपनी तान भरी इबारत से सिर्फ़ लफ्ज़ ए ख़िलाफ़त को लफ्ज़ ए तक़दीम व तरजीह से बदल लीजिए और

मुहम्मद रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपने तान की यह शदीद बौछार मुलाहज़ा किजिए बल्कि इस तब्दील की भी हाजत नहीं ख़िलाफ़त ख़ुद आला तक़दीमात से है।

(38) तख़सीस ए क़ुरैश को तख़सीस ए मुल्क फिर उससे भी तंगतर तख़सीस ए वतन ठहराना कैसी जहालत है न क़ुरैश किसी मुल्क व वतन का नाम न उनके लिए लुज़ूमन कोई ख़ास मक़ाम,

ع-شاخ گل ہر جاکہ روید ہم گل ست-

(39) क़ुरैश को क़बीला से भी तंगतर सिर्फ़ ख़ानदान ठहराना दूसरी जहालत है, क्या राफ़ज़ियों के मज़हब की तरफ़ गए कि ख़ानदान ए बनी हाशिम से ख़ास है।

(40) न अमल न अहलियत सिर्फ़ ख़ानदान का इत्तिहाम रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सहाबा व अहले सुन्नत पर इफ़्तिरा है, किसने कहा है कि ख़िलाफ़त के लिए सिर्फ़ क़ुरैशी होना दरकार है अगरचे ना अहल महज़ हो, क़ुरशियत के साथ अहलियत की शर्त भी बिल इजमा है, यह गुमान ए बद कि किसी वक़्त तमाम जहान में सब सादात ए इज़ाम, सब क़ुरैश ए किराम नालाइक़ ना अहल हो जाएं वसवसा ए इबलीस है ऐसा कभी न होगा कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे जिगर पारे नाक़ाबिल नालाइक़ रह जाएं सिर्फ़ ऐरा ग़ैरा अहलियत का फुंदना लटकाएं। रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो फ़रमा चुके कि दुनया में जब तक दो आदमी भी रहेंगे ख़िलाफ़त का इस्तिहक़ाक़ सिर्फ़ क़ुरैशी को होगा तो क़तअन क़ियामत तक कोई न कोई क़ुरैश इसका अहल ज़रूर रहेगा व लिहाज़ा बाज़ फ़ुक़हा ए शाफ़िईया वग़ैरहुम ने जब यह सूरत ए बातिला फ़र्ज़ की मुहक़्क़िक़ीन ने तसरीह फ़रमा दी कि यह सिर्फ़ फ़र्ज़ है वाक़ेअ कभी न होगी।

शरह ए बुख़ारी लिलहाफ़िज़ में है,

قالوا انما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم فی ذکر ما یمکن ان یقع عقلا و ان کان لا یقع عادةً او شرعاً۔

यानी उलमा ने फ़रमाया इन फ़ुक़हा ने यह सूरत अपनी इस इबारत पर फ़र्ज़ की कि ऐसी बात भी ज़िक्र करते हैं जो सिर्फ़ इमकान ए अक़्ली रखती आदतन या शरअन कभी वाक़ेअ न हो। ख़ुसूसन हदीस को पेशगोई मानकर तो उसके ख़िलाफ़ का इद्दिआ जहल ए सरीह बल्कि ज़लाल[11] ए क़बीह है।

(41) मिस्टर ने कहा, "ख़ैर यह बात कितनी ही अजीब होती लेकिन हम बावर कर लेते अगर क़ुरआन व सुन्नत ने वाक़ई ठहराई होती हमारे नज़दीक किसी इस्लामी एतिक़ाद की सेहत का मेयार सिर्फ़ यह है कि किताब व सुन्नत से ब तरीक़ नमस्ते सहीह साबित हो न कि अक़्लों का इदराक। इस्तिअजाब की बुनयाद हमारा क़यासी इस्तिअबाद नहीं यही है कि किसी नस से ऐसा साबित नहीं।" अलहम्दु लिल्लाह यहाँ

तो कुछ इस्लामी जामे में हैं गोया आज़ादी से बिल्कुल जुदा हैं, हम नुसूस ए मुतावितरा व इजमा ए सहाबा व इजमा ए उम्मत से साबित कर चुके कि ख़िलाफ़त क़ुरैश ही से ख़ास है अब तो वह अपना इस्तिअबाद कि "भला

---

[11] قال الحافظ قلت و الذی حمل قائل هذا القول علی انه فهم منه (ای من قوله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لا یزال هذا الامر فی قریش) الخبر المحض و خبر الصادق لا یتخلف و اما من حمله علی الامر فلا یحتاج الی هذا التاویل اه وکتبت علیه اقول بلی یحتاج الیه فانه لو صح شرعاً و عادةً ان تکون القریش فی شیئ من الازمنة ساقطین عن اهلیة الخلافة کما زعمه بعض مبطلی زماننا و قد امر صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ان لا تجعل الخلافة ابدا الا فی قریش فیکون ذلك فی ذلك الزمان امرا باستخلاف غیر الاهل و هو محال ثم لا ادری ای تاویل فیه و ای صرف عن الظاهر انما هو استنباط امر یفیده منطوق الحدیث فافهم ۱۲ منه۔

इस्लाम कहीं ख़ुसूसियत ए नस्ल मान सकता है।" जिसको ख़ुद कह रहे हो यह तुम्हारा निरी अक़्ली क़यासी ढकोसला है वापस लीजिए और इजमा ए उम्मत व इरशादात ए हज़रत ए रिसालत अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वत तहिया पर ईमान लाइए।

मबहस ए दुवम
रद ए अहादीस ए नबवी में मिस्टर की बे सूद कोशिश

(42) ब ज़ोर ए ज़बान बड़ा ज़ोर इस पर दिया है सफ़हा 60 कि "ख़िलाफ़त ए क़ुरैश की निस्बत जिस क़दर रिवायात हैं सब पेशगोई व ख़बर हैं कि क़ुरैशी ही ख़लीफ़ा हों।" शरह ए अक़ाइद ए नसफ़ी व क़वाइदुल अक़ाइद इमाम हुज्जतुल इस्लाम व इतहाफ़ सय्यिद ज़ुबैदी व मुसामरा शरह ए मुसायरा व तालीक़ात ए अल्लामा क़ासिम व तवालिउल अनवार अल्लामा बैज़ावी व मवाक़िफ़ अल्लामा क़ाज़ी अज़ुद व शरह ए मवाक़िफ़ अल्लामा सय्यिद शरीफ़ व मक़ासिद व शरह ए मक़ासिद व शरह ए सहीह मुस्लिम लिल इमाम नववी व इरशादुस सारी व मिरक़ात क़ारी व शरह ए सहीह मुस्लिम लिल क़ुरतुबी व इब्नुल मुनीर व उमदतुल क़ारी इमाम ऐनी व फ़तहुल बारी इमाम असक़लानी व शरह ए मिशकात अल्लामा तय्यबी व शरह ए मिशकात अल्लामा सय्यिद शरीफ़ व इमाम अजल्ल अबू बक्र बाक़िलानी व अशिअतुल लमआत ए शेख़ ए मुहक़्क़िक़ व ग़म्ज़ुल उयून ए सय्यिद हमवी व हाशियतुद दुरर लिस सय्यिदित तहतावी व लिस सय्यिद इब्न ए आबिदीन व कवाकिब ए किरमानी व मजमउल बिहार व शरह ए फ़िक़्ह ए अकबर ए बहरुल उलूम वग़ैरहा की इबारात ए कसीरा कि अभी गुज़री इस मजहला के रद को बस हैं, मिस्टर आज़ाद अगरचे अपने नशे में तमाम अइम्मा ए मुजतहिदीन ए किराम से अपने आपको आला जानते हैं उनके इरशादात को ज़न्नी और अपने तवह्हुम को वही से मुकतसिब ए क़तई

मानते हैं और सुल्तान का नाम महज़ दिखावा है तमाम उम्मत से अपनी इमामत ए मुतलक़ह मनवाने का दावा है देखो रिसाला ए ख़िलाफ़त का अख़ीर मज़मून

اتبعون اھدکم سبیل الرشاد۔

मेरे पैरू हो जाओ मैं तुम्हें राह ए हक़ की हिदायत करूंगा।जिसका बयान बिऔनिहि तआला मबहस अख़ीर में आता है मगर अलहम्दु लिल्लाह मुसलमानों में अब भी लाखों होंगे कि इरशादात ए अइम्मा के मुक़ाबिल ऐसे नशे की बालाख़ानियों उमंगों शतहियात की बहकी तरंगों को बाद ए शुतर से ज़्यादा नहीं जानते।

(43-50) अशद ज़ुल्म हदीस ए सहीहैन

لا یزال ھذا الامر فی قریش۔

पर है, इसमें लफ्ज़ वह लिए जो सहीह बुख़ारी में वाक़ेअ हुए,

ما بقی منھم اثنان۔

और कह दिया सफ़हा 63, "इससे हमारे बयान की मज़ीद तसदीक़ हो गई, हदीस का मनतूक़ सरीह पेशीनगोई का है अगर इसका यह मतलब क़रार दिया जाए कि जब तक दो इंसान भी क़ुरैश में हैं ख़िलाफ़त उन्हीं के क़ब्ज़ा में रहेगी तो यह वाक़िआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, हज़ारों क़ुरैश मौजूद रहे और ख़िलाफ़त क़ुरैश से निकल गई पस ज़रूर है कि

ما بقی منھم اثنان۔

के मनतूक़ पर मफ़हूम को तरजीह दी जाए और वह यही है कि अगर क़ुरैश में दो भी ख़िलाफ़त के अहल होंगे तो कभी ख़िलाफ़त से यह ख़ानदान महरूम न होगा मगर जब दो भी अहल न रहें तो मशीयत ए इलाही क़ानून ए इंतिख़ाब असलह के मुताबिक़ दूसरों को इस काम पर मामूर फ़रमा देगी और क़ुरैश

ख़िलाफ़त से महरूम हो जाएंगे चुनांचे तारीख़ शाहिद है कि ऐसा ही हुआ जब दो क़ुरैश भी दुनया में हुक्मरानी के अहल न रहे ख़िलाफ़त ने मअन सफ़हा उलट दिया और एक क़लम ग़ैर अरबी व ग़ैर क़ुरशी ख़िलाफ़त का दौर शुरू हो गया।" और कमाल जसारत व बेबाकी यह कि नाम सहीह मुस्लिम का भी लिया और कहा सफ़हा 60, "उम्दा तरीक़ वह हैं जो बुख़ारी ने इख़्तियार किए हैं लेकिन किसी तरीक़ से भी कोई ऐसा लफ़्ज़ मरवी नहीं जिससे साबित हो कि मक़सूद पेशीनगोई न था तशरीअ व अम्र था।" अलहक़ शोख़ चश्मी हो तो इतनी तो हो।

अव्वलन : मुस्लिम ने यह हदीस ख़ुद उन्हीं उस्ताज़ ए बुख़ारी अहमद इब्न ए अब्दुल्लाह युनुस से जिसने बुख़ारी से सुनी यूँ रिवायत की,

لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان۔

हमेशा ख़िलाफ़त ए क़ुरैश ही में रहेगी जब तक दुनया में दो आदमी भी बाक़ी रहें। इसी तरह इस्माईली मुस्तख़रज में रिवायत की,

ما بقی فی الناس اثنان۔

जब तक आदमियों में दो भी रहें। यह रिवायतें रिवायत ए बुख़ारी की मुफ़स्सिर हैं कि मिनहुम से मुराद मिनन नास है ला जरम मिरक़ात ए अली क़ारी में इसकी यही तफ़सीर कर दी,

(منھم) ای من الناس (اثنان)

जब तक उनमें से यानी आदमियों में से दो भी रहें व लिहाज़ा इमाम अजल्ल अबू ज़करिया नववी ने अव्वलन मुस्लिम की रिवायतें ज़िक्र कीं फिर फ़रमाया,

وفی روایۃ البخاری ما بقی منھم اثنان ھذہ الاحادیث و اشباھھا دلیل ظاھر ان الخلافۃ مختصہ بقریش لا یجوز عقدھا لاحد من غیرھم۔

बुख़ारी की रिवायत में है कि जब तक उनमें से दो आदमी बाक़ी रहें और इनकी मिस्ल हदीसें सरीह दलील हैं कि ख़िलाफ़त ख़ास क़ुरैश के लिए है कोई ग़ैर क़ुरशी ख़लीफ़ा नहीं किया जा सकता।

हदीस का यही मफ़ाद इमाम क़स्तलानी ने ख़ुद शरह ए रिवायत ए बुख़ारी में लिखा, इमाम ऐनी व इमाम इब्न ए हजर ने शुरूह ए बुख़ारी में इस हदीस की शरह में इमाम क़ुरतुबी का क़ौल नक़ल किया और मुक़र्रर रखा कि

ای لا تنعقد الامامة الکبری الا القرشی مہما وجد احد منہم۔

यानी मुराद ए हदीस यह है कि जब तक एक क़ुरैश भी दुनया में रहे दूसरे के लिए इमामत ए कुबरा हो ही नहीं सकती। देखो इस रिवायत ए बुख़ारी से भी अइम्मा ने वही मतलब समझा जो रिवायत ए मुस्लिम में था।

सानियन : अगर तफ़सीर न मानो तआरुज़ जानो तो मुतअद्दद की रिवायत क्यों न अरजह हो और न सही मुआरिज़ तो होगी तो तुम्हारी सनद कि मिनहुम है साबित न रहेगी।

सालिसन : किसी पर्चा ए अख़बार की एडिटरी और चीज़ है और हदीस व फ़िक़्ह का समझना और, वह मिन का तर्जमा "से" और इला का तर्जमा "तक" से नहीं आता अगर ज़मीर क़ुरैश की तरफ़ होती तो इसनान की जगह अहद फ़रमाया जाता यानी जब तक एक क़ुरैश भी रहे जिस तरह अभी इमाम क़ुरतुबी व इमाम ऐनी व इमाम असक़लानी के लफ़्ज़ सुन चुके इसकी तावील हस्ब ए आदत कि क़ुरआन ए करीम में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़े कर लेते हैं, हदीस में यह पर बढ़ाते कि यानी जब तक कि एक क़ुरैश ख़िलाफ़त का अहल रहे दो की अहलियत पर मौक़ूफ़ फ़रमाना क्या माना, क्या ख़लीफ़ा एक वक़्त में दो भी हो सकते हैं। हरगिज़ नहीं, हाँ आदमियों की तरफ़ ज़मीर हो तो ज़रूर दो की ज़रूरत थी कि ख़िलाफ़त हुकूमत है और हुकूमत को कम से कम दो दरकार, एक

हाकिम एक महकूम, अब तो आपने जाना कि मिनहुम की ज़मीर क़ुरैश की तरफ़ फेरना कैसी सख़्त जहालत था।

राबिअन : जाने दो आख़िर इस क़दर के तो मुंकिर नहीं हो सकते कि सहीह मुस्लिम में लफ़्ज़ ए हदीस

ما بقی من الناس اثنان۔

हैं, अब कहाँ गई वह आपकी बाला ख़वानी कि किसी तरीक़ से भी कोई ऐसा लफ़्ज़ मरवी नहीं, अब देखें इसे कैसे पेशगोई बनाते हो, हदीस का इरशाद तो यह है कि "जब तक दुनया में दो आदमी भी हों ख़िलाफ़त क़ुरैश के लिए है।" इसे ख़बर ब माना ए मज़ऊम मिस्टर वही ठहराएगा जो अल्लाह व रसूल को झुटलाएगा और अगर अपनी पच्चर लीजिए तो माना यह होंगे कि जब तक दुनया में दो आदमी भी हुक्मरानी के अहल रहेंगे ख़िलाफ़त क़ुरैश ही के क़ब्ज़े में रहेगी, अब क्यों नहीं और भी ज़्यादा उछलकर कहते कि यह वाक़िआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ख़िलाफ़त सदहा साल से क़ुरैश के क़ब्ज़े से निकल गई और हरगिज़ कोई वक़्त ऐसा न हुआ कि दुनया में दो भी हुक्मरानी के अहल न हों। क्या मिस्टर अपनी तारीख़ दानी, तेज़ ज़बानी यहाँ दिखाकर सुबूत देंगे कि अठारह कम सात बरस या ब लिहाज़ ए ख़िलाफ़त ए मिस्री ग्यारह कम चार सौ बरस दुनया में वह शख़्स भी क़ाबिल ए हुक्मरानी न रहे।

ख़ामिसन : आपके नज़दीक चार सौ सोलह (416) बरस से ख़िलाफ़त ए शरईया तुर्कों में है तो ज़रूर है कि वह सब हुक्मरानी के अहल हों कि ना अहल ख़लीफ़ा नहीं हो सकता मा हाज़ा क़ुरैश से निकाली तो उनकी ना अहली के बाइस और फिर दी जाती ना अहलों का, यह कौन सा क़ानून ए असलह है और जब वह अहल थे और हैं तो वाजिब कि चार सौ सोलह (416) बरस से रू ए ज़मीन पर कोई दूसरा इंसान क़ाबिल ए हुक्मरानी न हो वरना दुनया में दो शख़्स

अहल ए हुक्मरानी निकलते और ख़िलाफ़त ए क़ुरैश से न जाती, अब इस बदीहिल बुतलान बात का सुबूत आपके ज़िम्मे से कि सोलह और चार सौ बरस से तमाम जहाँ में सुल्तान ए तुर्की के सिवा कोई मुतनफ़्फ़िस क़ाबिल ए हुक्मरानी पैदा न हुआ, काबुल व बुखारा व ईरान व मग़रिब व हिंदुस्तान वग़ैरहा तमाम मुल्क ए ख़ुदा में सब निरे नालाइक़ गुज़रे फिर ख़ुदा जाने सदहा साल उनकी हुकूमतें चलीं कैसे, सुल्तान काफ़िर कुश, दीन परवर औरंगज़ेब मुहिउल मिल्लत वद दीन मुहम्मद आलमगीर बादशाह ग़ाज़ी अनार उल्लाह तआला बुरहानहु अगर आपके नज़दीक इस जुर्म पर कि मुतशर्रअ थे और कुफ़्फ़ार पर ग़िलज़त रखते ना अहल थे तो अकबर तो नालाइक़ न था जो आप ही का हम मशरब और इत्तिहाद ए मुशरीकीन का दिलदादा था ग़रज़ पेशगोई बताकर तकज़ीब ए हदीस के सिवा मिस्टर को कुछ मफ़र नहीं।

सादिसन[12] : आप फ़रमाते हैं तारीख़ शाहिद है कि दो क़ुरैश भी हुक्मरानी के अहल न रहे, कौन सी तारीख़ शाहिद है कि सात सौ या चार सौ बरस से तमाम रू ए ज़मीन पर कोई दो क़ुरैशी दो हाशमी दो सय्यिद इब्नुर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुक्मरानी के लाइक़ पैदा ही न हुए, फ़ज़्ल ए इलाही क़ौम ए मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व ख़ानदान ए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सदहा साल से उठा लिया गया और ईं व आं को बटता है और बटा क्या, क्या आप के नज़दीक मदार ए लियाक़त वुक़ूअ पर है जिसने हुक्मरानी न पाई ना अहल था। जिसने पाई अहल था। तो

[12]यह भी जाने दो वही मिनहुम वाली रिवायत और क़ुरैश की तरफ़ ज़मीर और वही पच्चर लो ज़बान के आगे बारह हल चलते हैं इद्दिआ आसान है सुबूत देते दाम खुलते हैं,

هاتوا برهانکم ان کنتم صٰدقین۔

अपनी बुरहान लाओ अगर सच्चे हो अज़ हशमत अली रज़वी ग़ुफ़िरलहु।

ज़रूर आप पलीद मुरीद ख़बीस अनीद नजिस यज़ीद को लाइक़ बताएंगे और हज़रत इमाम अर्श मक़ाम अला जद्दिहि अलैहिस सलातो वस्सलाम को मआज़ अल्लाह नालाइक़ ठहराएंगे और जब यह मेयार नहीं बल्कि सिफ़ात ए ज़ातिया पर मदार है तो क्या आपने सात सौ (700) या चार सौ (400) बरस से आजतक के तमाम क़ुरैशियों की जाँच ली है कि नालाइक़ थे, चार सौ छोड़िए किसी एक बरस के सब क़ुरैशी जाने दीजिए सिर्फ़ बनी हाशिम, सब बनी हाशिम भी नहीं सिर्फ़ सादात ए किराम के फ़क़त नाम गिना दीजिए कि जहाँ में उस साल यह यह सय्यिद थे, नाम गिनाना भी न सही फ़क़त किसी साल के तमाम सादात की मरदुम शुमारी बता दीजिए। जब इस क़दर पर क़ादिर नहीं तो सात सौ (700) या चार सौ (400) बरस के तमाम आलम के तमाम क़ुरैशियों की जाँच आपने ज़रुर कर ली और मालूम कर लिया कि सब नालाइक़ थे और अब तक सब नालाइक़ हैं, अफ़सोस आपका मबलग़ ए इल्म यही तारीख़ी कहानियाँ था उन पर भी ऐसा जीता इफ़्तिरा जोड़ा तारीख़ें हज़ार बे तुकी हों ऐसा पूरे नशे का हज़यान बकते उन्हें भी मार आएगी।

साबिअन : फ़सल ए अव्वल में अइम्मा की तसरीहें गुज़रीं कि यह हदीस ख़बर ब माना ए अम्र है इसे आप नहीं मानते कि पैरवी ए अइम्मा आपकी शान ए अनानियत को ज़हर है, न सही ख़बर क्या पेशगोई में मुनहसर है जो महज़ ख़िलाफ़ ए वाक़ेअ हो, और अपनी तरफ़ से पच्चर लगाने की ज़रूरत पड़े, क्यों न कहिए जिस तरह इमाम क़ुरतुबी व इमाम ऐनी व इमाम असक़लानी से गुज़रा कि यह ख़बर तशरीई है जो ऐन मंसब ए शारेअ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और असलन मोहताज ए तावील नहीं यानी ख़िलाफ़त ए शरईया हमेशा क़ुरैश में रहेगी उनके ग़ैर की हुकूमत कभी ख़िलाफ़त ए शरईया न होगी, यह ख़िलाफ़त के लिए लुज़ूम ए क़ुरशियत से ख़बर हुई न कि बिला फ़सल

इस्तिमरार ए ख़िलाफ़त से जिसे ख़िलाफ़ ए वाक़िआत कहिए मसलन गुलाब का खिलना हमेशा मौसम ए बहार में है इसके यह माना कि फूल जब खिलेगा बहार ही में खिलेगा न यह कि गुलाब सदा गुलाब है और बहार बारह महीने। सामिनन : अक़ूल : बिला फ़सल इस्तिमरार ही लीजिए तो क्यों न हो कि हाज़ल अम्र से मुराद इस्तिहक़ाक़ ए ख़िलाफ़त हो और वह बिला शुबह क़ुरैश में मुस्तमर और उन्हीं में मुनहसर है जिस तरह इमाम असक़लानी से गुज़रा कि इस्तिहक़ाक़ ए ख़िलाफ़त क़ुरैश ही को है उनका ग़ैर न होगा मगर मुतग़ल्लिब।

(51) : मिस्टर ने यूँही दूसरी हदीस

الائمۃ من قریش۔

से तशरीअ उड़ाने और निरी ख़बर बनाने के लिए क्या क्या डूबते सवार पकड़े हैं, सफ़हा 63, "सहीह बुख़ारी के तर्जमा ए बाब से साफ़ वाज़ेह है कि इमाम बुख़ारी का भी मज़हब यही है उन्होंने बाब बांधा

(الامراء من قریش)

क़ुरैश में इमारत व उमरा। इस मज़मून का बाब न बांधा कि इमारत हमेशा क़ुरैश ही में होनी चाहिए।" सुबहान अल्लाह! ज़हे मिस्टरी व लीडरी व एडिटरी। इमाम बुख़ारी की आदत है कि अलफ़ाज़ ए हदीस से तर्जमा ए बाब करते हैं नीज़ वह अलफ़ाज़ जो उनकी शर्त पर न हों तर्जमा से उनका पता देते हैं, हदीस उन्हीं लफ़्ज़ों से थी उन्हीं से बाब बांधा नीज़ यह लफ़्ज़ उनकी शर्त पर थे तर्जमा से उनका अशआर किया, इससे यह समझ लेना कि इमाम बुख़ारी का मज़हब यह है और फिर इस पर यह तहक्कुम कि "साफ़ वाज़ेह है।" किस दर्जा जहल ए फ़ाज़िल है। फ़तहुल बारी शरह ए बुख़ारी में है,

لفظ الترجمۃ لفظ حدیث اخرجہ یعقوب بن سفین و ابو یعلی و الطبرانی۔

तर्जमा बाब की इबारत उस हदीस के लफ़्ज़ हैं जो याक़ूब इब्न ए सुफ़यान व अबु याला व तबरानी ने अबु बर्ज़ा असलमी रदि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की। फिर फ़रमाया,

لما لم یکن شیئ منہا علی شرط المصنف اقتصر علی الترجمۃ و اورد الذی صح علی شرط۔

यह रिवायतें शुरूत ए बुख़ारी पर न थीं लिहाज़ा इन अलफ़ाज़ को तर्जमा में लाने पर इक़्तिसार किया और उनके मुअय्यिद वह हदीसें लाए जो उनकी शर्त पर न थीं।

(52) सफ़हा 61, "एक और हदीस है कि ज़रूर है कि बारह ख़लीफ़ा हों सब क़ुरैश से होंगे इस तर्ज़ ए बयान ने ज़ाहिर कर दिया कि इस बारे में जो कुछ कहा है उससे सिर्फ़ आइंदा की इत्तिला मक़सूद है हुक्म व तशरीअ नहीं।" बारह ख़िलाफ़तों की पेशगोई अगर ख़बर है तो दुनया भर की हदीसें सब ख़बर हैं इस ज़बरदस्ती व दीदा दिलेरी की कोई हद है यानी शारेअ से जब किसी अम्र के बारे में कुछ पेशगोई फ़रमाए तो उसमें जितनी हदीसें हैं सब हुक्म ए शरई से ख़ाली हो जाती हैं और सबको बज़ोर ज़बान अगरचे अपनी तरफ़ से पच्चरें लगाकर ख़बर पर ढाल देना वाजिब हो जाता है। इरशाद ए अक़दस,

قدموا قریشا و لا تقدموہا۔

क़ुरैश को मुक़द्दम रखो और उन पर तक़द्दुम न करो। यह भी अम्र व नही, नहीं ख़बर होगा क्योंकि उनकी "सर्फ़ दानी" में क़द्दिमू सेग़ा ए मुज़ारिअ है और ला तक़द्दमू सेग़ा ए माज़ी, बात वही कि

یتشبث بکل حشیش۔

(53-54) सफ़हा 62, " अइम्मा ए हदीस ने हदीस ए क़हतानी व हदीस ए

क़ुरैश में ततबीक़ देते हुए साफ़ साफ़ लिख दिया कि इमारत ए क़ुरैश वाली रिवायत तशरीअ नहीं महज़ ख़बर है।"

अव्वलन : यह अय्यारी व चालाकी मुलाहज़ा हो इमारत ए क़ुरैश वाली रिवायत में कहा जिससे हदीस

الامراء من قریش۔

व हदीस

الائمۃ من قریش۔

व हदीस

لا یزال ھذا الامر فی قریش۔

की तरफ़ ज़हन जाए हालांकि अइम्मा ए हदीस ने हरगिज़ न कहा कि इनसे तशरीअ साबित नहीं निरी ख़बर हैं, ज़ेर ए नम्बर 42 कुतुब ए कसीरा के नाम गिना चुका हूँ उनकी इबारतें फ़सल ए अव्वल में देखिए और इस किज़्ब ए सरीह से तौबा कीजिए। अइम्मा ए हदीस कि अगर मानते हो तो उनकी इन रौशन तसरीहों से क्यों मुंकिर हो।

सानियन : अइम्मा ने हदीस ए क़हतानी से जिस हदीस की ततबीक़ दी वह यह है,

ان ھذا الامر فی قریش لا یعادیھم احد الا اکبہ اللہ علی وجھہ ما اقاموا الدین۔

बेशक यह अम्र क़ुरैश में है जो उनसे अदावत करेगा अल्लाह उसे औंधे मुंह गिराएगा जब तक क़ुरैश दीन क़ाइम रखें। इसे अगर ख़बर बताया कि यह इक़ामत ए दीन से मुक़य्यद है तो अहादीस ए मतलक़ा का ख़बर हो जाना क्यों लाज़िम आया वह तशरीअ हैं और अपने इतलाक़ पर यानी शरअन ख़िलाफ़त सिर्फ़ क़ुरैश के लिए है और यह ख़बर है और मुक़य्यद है यानी वह अपने हक़

से बहरा मंद रहेंगे जब तक दीन क़ाइम रखें, जब उसे छोड़ेंगे ख़िलाफ़त जाती रहेगी।

सालिसन : अजब है कि हदीस ए ख़ास में दो चार शुर्राह ने जो लिखा वह तो उनका दामन पकड़कर सब अहादीस को बज़ोर ज़बान कर लिया जाए और ख़ुद उन बाक़ी अहादीस में जो उनकी आम जमाअतों ने लिखा और मज़हब ए अहले सुन्नत व इजमा ए सहाबा बताया वह उन्हीं के कलाम से रद कर दिया जाए, और क्या

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ۔

के सर पर सींग होते हैं, क़ुरआन ए अज़ीम ने इसे ख़सलत ए यहूद बताया कि बात को उसकी जगह से फेर देते हैं।

राबिअन : जब जमाअत ए अइम्मा ए हदीस की रौशन व क़ाहिर तसरीहात हत्ता कि इजमा ए सहाबा व अक़ीदा ए अहले सुन्नत मक़बूल न हो तो एक हदीस ए ख़ास में एक ख़ास वजह से उनके दो चार का कहना क्यों हुज्जत हो, आप तो मुजतहिदीन से भी ऊंचे उड़ते हैं, इन दो चार ठेठ मुक़ल्लिदों का दामन न थामिए, हदीस से चलिए, हदीस में

ما اقاموا الدین بعد جملہ لا یعادیهم احد الا اكبه الله ۔

है इससे क्यों न मुतअल्लिक़ हो इससे तोड़कर दूर के जुमला,

ان هذا الامر فی قریش۔

से क्यों जोड़ दिया जाए वह अपने इतलाक़ पर रहे और यह क़ैद इसी जुमला में हो जिससे यह मुत्तसिल है तो माना ए हदीस यह हैं कि बेशक शरई ख़िलाफ़त क़ुरैश में मुनहसर है दूसरा शख़्स ख़लीफ़ा नहीं हो सकता और क़ुरैश जब तक दीन क़ाइम रखेंगे उनका मुख़ालिफ़ ज़लील व रुस्वा होगा। अब अपने इजतिहाद

की ख़बरें कहिए।

(57-60) हदीस ए जलील,

الائمة من قریش۔

पर एक हाथ मिन हैसुस सनद भी साफ़ किया, सफ़हा 64, "यह अलफ़ाज़ और हज़रत अबू बक्र वाली रिवायत ब तरीक़ ए इत्तिसाल साबित ही नहीं। फ़तहुल बारी में है,

الائمة من القریش[13] رجاله رجال الصحیح ولکن فی سنده انقطاع۔

अव्वलन : फ़तहुल बारी में यह हदीस मुतअद्दद अलफ़ाज़ व कसीर तुरुक़ से हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी व हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली व हज़रत अनस इब्न ए मालिक व हज़रत अबू हुरैरा व हज़रत सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हुम से ब रिवायत ए याक़ूब इब्न ए सुफ़यान व अबू याला व तबरानी व अबू दाऊद तयालसी व बज़्ज़ार व तारीख़ ए इमाम बुख़ारी व नसाई व इमाम अहमद व हाकिम ज़िक्र की, यह लफ़्ज़ कि इसकी सनद के रिजाल सिक़ा हैं मगर इसमें इनक़िताअ है, सिर्फ़ सिद्दीक़ ए अकबर से रिवायत ए अहमद की निस्बत लिखे हैं कि मुसनद अहमद में सिद्दीक़ से इसके रावी हज़रत अब्दुर रहमान इब्न ए औफ़ अहदुल अशरतुल मुबाश्शरा रदि अल्लाहु तआला अन्हुम के साहिबज़ादा इमाम सिक़ा ताबई जलील हज़रत हुमैद इब्न ए अब्दुर रहमान हैं उनको सिद्दीक़ ए अक़बर से सिमाअ नहीं। फ़तहुल बारी की इबारत मुलख़्ख़सन यह है, अहादीस ए अबू बर्ज़ा व मौला अली व बाज़ तुरुक़ ए हदीस ए अनस ज़िक्र करके कहा,

[13] न फ़तहुल बारी में मिनल क़ुरैश है न हदीस में, पहले भी आपने अपने कलाम में हदीस इन लफ़्ज़ों से लिखकर रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ़ निस्बत की थी मगर इमाम इब्न ए हजर पर तो इस इफ़्तिरा अलल मुस्तफ़ा की तोहमत न रखिए। मिन्हु ग़ुफ़िरालहु।

و اخرجه النسائی و البخاری ایضا فی التاریخ و ابویعلی من طریق بکیر الجزری عن انس و له طرق متعددة عن انس و اخرج احمد هذا اللفظ من حدیث ابی هریرة و من حدیث ابی بکر الصدیق و رجاله رجال الصحیح لکن فی سنده انقطاع و اخرجه الطبرانی و الحاکم من حدیث علی بهذا اللفظ الاخیر۔

यानी नीज़ यह हदीस इमाम नसाई और इमाम बुख़ारी ने तारीख़ में और अबू याला ने ब रिवायत बुकैर जज़री हज़रत अनस रदि अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की और इमाम अहमद ने यही लफ़्ज़

الائمة من قریش۔

हज़रत अबू हुरैरा रदि अल्लाहु तआला अन्हु के हदीस से रिवायत किए और हज़रत सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से और उसके रिजाल रिजाल ए सहीह हैं मगर अनस की सनद में इनक़िताअ है और यह हदीस तबरानी व हाकिम ने मौला अली कर्रम अल्लाहु तआला वजहहु से रिवायत की इन्हीं लफ़्ज़ों से कि

الائمة من قریش۔

मिस्टर ने अव्वल आख़िर सब उड़ाकर मुतलक़न इस हदीस ही पर हुक्म लगा दिया कि फ़तहुल बारी में इसकी सनद मुनक़तअ बताई, यह कैसी ख़यानत है।

सानियन : फ़सल ए अव्वल में गुज़रा कि इन्हीं साहिब ए फ़तहुल बारी इमाम इब्न ए हजर ने इसी हदीस,

الائمة من قریش۔

के जमा ए तुरुक़ में एक मुसतक़िल रिसाला लिखा और उसे चालीस के क़रीब सहाबा ए किराम रदि अल्लाहु तआला अन्हुम की रिवायत से दिखाया,

हदीस ए मुतावातिर को कहना कि "ब तरीक़ इत्तिसाल साबित ही नहीं।" कैसा ज़ुल्म ए शदीद व इग़वा ए जुह्हाल है और फिर भी इन्हीं इब्न ए हजर पर उसके मतन के मुनक़तउस सनद बताने की तोहमत कैसी जुराअत पुर वबाल है।

सालिसन : तुर्फ़ा यह कि ख़ुद ही सफ़हा 56 पर कह चुके थे, "अहादीस इस बारे में जिस क़दर मौजूद हैं सब सहीह हैं।" अब यहाँ यह कि "ब तरीक़ ए इत्तिसाल साबित ही नहीं।" चार ही वरक़ बाद

نَسِیَ ما قَدَّمَت یَدٰہُ۔

राबिअन : वहीं इसके मुत्तसिल था, "यह भी हक़ है कि हज़रत अबू बक्र ने मजमा ए सहाबा में उसको पेश किया और किसी ने इंकार न किया।" अब हक़ की सनद में भी कलाम होने लगा, अगर यह कलाम उसके हक़ होने में ख़लल अंदाज़ है तो हक़ को नाहक़ बनाने की कोशिश करने वाला कौन होता है और अगर उससे उसके हक़ होने पर कुछ हर्फ़ नहीं आता तो रद व एतिराज़ के लिए कहना," इससे भी शरअन इख़्तिसास ए क़ुरैश के दावा की कोई मदद नहीं मिल सकती अव्वलन यह अलफ़ाज़ और हज़रत अबू बक्र वाली रिवायत ब तरीक़ ए इत्तिसाल साबित ही नहीं।" कैसा इग़रा ए जुह्हाल है। यह है मिस्टर की हदीस दानी और इरशाद ए नुबूवत पर ज़ुल्म रानी,

ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

العطایا النبویه فی الفتاوی الرضویه، جـ ۱۴/ ۳۰، صـ ۱۸۳-۲۳۸ــــــــــ
المشتهر ــ حضرت قمر رضا فاؤنڈیشن ــ بریلی شریف۔

تمت بالخیر

हिंदी में हमारी दूसरी किताबें

(1) बहारे तहरीर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इल्मी तहक़ीक़ी और इस्लाही तहरीरों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता जिसके अब तक 14 हिस्से रिलीज़ हो चुके हैं, हर हिस्से में 25 तहरीरें हैं जो मुख्तलफ़ मौज़ूआत (टॉपिक्स) पर हैं।

(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में कई हवालों से साबित किया गया है कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह मियाँ कहना जाइज़ नहीं है।

(3) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में एक वाक़िए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में हज़रते बिलाल के अज़ान ना देने पर सूरज ना निकलने का ज़िक्र है।

(4) इश्क़े मजाज़ी (मुंतख़ब मज़ामीन का मजमुआ) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में कई अहबाब के मज़ामीन शामिल किये गए हैं जो इश्के मजाज़ी के ताल्लुक़ से हैं, इश्के मजाज़ी के मुख़्तलफ़ पहलुओं पर ये एक हसीन संगम है।

(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस मुख़्तसर से रिसाले में गाने बजाने की मज़म्मत पर कलाम किया गया है और गानों के कुफ़्रिया अशआर बयान किये गए हैं जिसे पढ़ कर कई लोगों ने गाने बजाने से तौबा की है।

(6) शबे मेराज गौसे पाक - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में एक मशहूर वाक़िए की तहक़ीक़ बयान की गई है जिस में हज़रते ग़ौसे आज़म का शबे मेराज हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मिलने का ज़िक्र है।

(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में एक वाक़िए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में मेराज की शब हुज़ूर नबी -ए- करीम अलैहिस्सलाम का नालैन पहन कर अर्श पर जाने का ज़िक्र है।

(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक़िया - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में हज़रते ओवैस क़रनी के अपने दंदान शहीद कर देने वाले वाक़िए की तहक़ीक़ बयान की गई है और साथ ये भी कि अल्लाह के आख़िरी रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हुए थे या नहीं और हुए तो उसकी कैफ़ियत क्या थी और कई तहक़ीक़ी निकात शामिले बयान हैं।

(9) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला मज्मुआ है उन फ़तावा का जो हज़रते अल्लामा मुफ़्ती वक़ारुद्दीन क़ादरी अलैहिर्रहमा ने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के लिये लिखे हैं, ये फ़तावा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की गुमराही को बयान करते हैं।

(10) ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में कई दलाइल से साबित किया गया है कि सहाबा के अलावा भी तरद्दी (यानी रदिअल्लाहु त'आला अन्हु) का इस्तिमाल किया जा सकता है।

(11) चंद वाक़ियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

वाक़ियाते कर्बला के हवाले से अहले सुन्नत में बेशुमार वाक़ियात ऐसे आ गए हैं, जो शिओं की पैदावार हैं, इस रिसाले में हमने चंद वाक़ियात की तहक़ीक़ पेश की है जो कि अपनी नोइयत का मुन्फ़रिद काम है, इस तहक़ीक़ी रिसाले में कई इल्मी निकात मरक़ूम हैं।

(12) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) कनीज़े अख़्तर

औरत की ज़िंदगी में पैदाइश से ले कर निकाह और फिर बादहू के मामलात की इस्लाह के लिये इस रिसाले को एक अलग अंदाज़ में लिखा गया है।

(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस्लाम में जिंसी ताल्लुक़ात और इस हवाले से जदीद मसाइल पर ये रिसाला बड़े ही आम फ़हम अंदाज़ में लिखा गया है और आसान होने के साथ-साथ ये रिसाला दलाइल से मुज़य्यन भी है।

(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़िए पर तहक़ीक़ - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ मशहूर वाक़ियात की तहक़ीक़ पर ये रिसाला लिखा गया है, कई हवालों से अस्ल रिवायत और उनकी कैफ़ियत को अम्बिया की अज़मत को मद्दे नज़र रखते हुए बयान किया गया है।

(15) औरत का जनाज़ा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा

औरत के जनाज़े को कौन कौन देख सकता है? क्या शौहर काँधा नहीं दे सकता? और ऐसे कई सवालात के जवाब आपको इस रिसाले में मिलेंगे।

(16) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की ज़ुबानी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

एक आशिक़ की बड़ी दिलचस्प कहानी है जिस में मज़ाह है, तफ़रीह है, सबक़ है और इबरत है। इस वाक़िए को अल्लामा इब्ने जौज़ी की किताब "ज़म्मुल हवा" से लिया गया है।

(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस किताब में नमाज़ पढ़ने और इससे मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को जमा करने की कोशिश की गई है, इस्तिलाहात को आसान अंदाज़ में बयान किया गया है, इस के अगले हिस्सों पर भी काम जारी है।

(18) क़ियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में इस बात की तफ़्सील बयान की गई है कि क़ियामत के दिन लोगों को माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा या बाप के नाम से।

(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही

शिर्क के मौज़ू पे एक बेहतरीन किताब है जिस में शिर्क का असल मफ़हूम बयान किया गया है।

(20) इस्लामी तअ़लीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी रहमतुल्लाह अलैह

ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है।

(21) मुहर्रम में निकाह - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में बयान किया गया है कि माहे मुहर्रम में भी निकाह जाइज़ है और इसे नाजाइज़ कहना बिल्कुल गलत है, मुहर्रम में ग़म मनाना ये कोई इस्लामी रस्म नहीं और चाहे घर बनाना हो या मछली, अंडा और गोश्त वग़ैरह खाना सब मुहर्रम में जाइज़ है।

(22) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला अहले सुन्नत में मशहूर रिवायतों की तहक़ीक़ पर मुश्तमिल है, इस में रिवायतों की तहक़ीक़ बयान की गई है, सहीह रिवायतों की सिह्हत पर और बातिल रिवायतों के मौज़ू व बेअस्ल होने पर दलाइल पेश किये गये हैं, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है।

(23) रिवायतों की तहकीक़ (दूसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का दूसरा हिस्सा है, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है।

(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला उन नौजवानों के लिये लिखा गया है जो इश्के मजाज़ी में धोखा खा कर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखने के लिये राह तलाश कर रहे हैं।

(25) एक निकाह ऐसा भी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये एक सच्ची कहानी है, एक निकाह की कहानी, इस में जहाँ इस्लामी तरीके से निकाह को बयान किया है वहीं इस पर अमल की कोशिश भी की गई है।

है तो ये एक कहानी पर इस में आप तहक़ीक़ी निकात भी मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे।

(26) काफ़िर से सूद - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस रिसाले में आप पढ़ेंगे कि एक काफ़िर और मुसलमान के दरमियान सूद की क्या सूरतें हैं? और साथ ही लोन, बैंक और पोस्ट इंटरेस्ट पर उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहक़ीक़ भी शामिले रिसाला है।

(27) मैं खान तू अंसारी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

इस्लाम में क़ौम, ज़ात और बिरादरी वग़ैरह की अस्ल पर ये एक तहक़ीक़ी किताब है, इस में मसवात को क़ाइम करने की तरग़ीब दिलाई गई है, कुफ़ू के मसअले पर तहक़ीक़ी मवाद भी शामिले किताब है।

(28) रिवायतों की तहकीक़ (तीसरा हिस्सा) - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का तीसरा हिस्सा है, इस के 2 हिस्सों का ज़िक्र हम कर आये हैं, इसके चौथे हिस्से पर काम जारी है।

(29) जुर्माना - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला माली जुर्माने के मुताल्लिक़ लिखा गया है, माली जुर्माना फ़िक़्हे हनफ़ी में जाइज़ नहीं है और इसे दलाइल से साबित किया गया है।

(44) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये रिसाला औलिया की एक खास हालत के बयान में है जिसे "सुकर" और "शत्हिय्यात" वग़ैरह से ताबीर किया जाता है। इस ताल्लुक़ से अहले सुन्नत के मुअतदिल मौक़िफ़ को दलाइल के साथ बयान किया गया है। ये रिसाला उनके लिये दावते फिक्र है जो इफ़रातो तफ़रीत के शिकार हैं।

(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

ये रिसाला औरतों के मख़सूस मसाइल पर मुश्तमिल है।

(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये मुख़्तसर सी तहक़ीक़ इस बयान में है कि क्या रमज़ान के आखिरी जुमुआ में किसी नमाज़ के पढ़ने से सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं? इस तरह की रिवायतों की क्या अस्ल है?

(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

इस रिसाले में शफ़ाअते मुस्तफ़ा के हवाले से 40 हदीसें लिखी गई हैं।

(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

ये किताब इस बात की तहक़ीक़ पर है कि बीमारी उड़ कर लग सकती है या नहीं यानी किसी एक को हुआ मर्ज़ किसी दूसरे में मुंतक़िल हो सकता है या नहीं।

(35) ज़न और यक़ीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी

ये रिसाला ज़न और यक़ीन के अहकाम पर लिखा गया है, इल्मे फ़िक़्ह पढ़ने वालों के लिये इस में कई इल्मी निकात हैं जिनसे वस्वसों को दूर किया जा सकता है।

(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

इस किताब में साबित किया गया है कि ज़मीन हरकत नहीं करती बल्कि ये साकिन (ठहरी हुई) है।

(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

इस किताब में अबू तालिब के ईमान के मसअले पर जम्हूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश किया गया है, यही मौक़िफ़ तहक़ीक़ से साबित है कि अबू तालिब ने इस्लाम कुबूल नहीं किया था।

(38) क़ुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी

इस रिसाले में क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और फ़िक़्ही मसाइल हैं जो कि बहारे शरीअत से माखूज़ हैं।

(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी

ये इस्लामी तालीम का दूसरा हिस्सा है ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है।

(40) सफ़ीना -ए- बख़्शिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान

ये किताब हुज़ूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान बरेलवी के कलाम का मज्मूआ है।

(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी

ये मुख़्तसर सा रिसाला एक अहम पैग़ाम पर मुश्तमिल है कि उलमा व अवाम सबको चाहिये कि ला इल्मी का एतिराफ़ करने की आदत डालें और जहाँ इल्म न हो वहाँ तकल्लुफ़ कर के जवाब ना देते हुए कह दिया जाए कि मैं नहीं जानता।

(42) जंगे बद्र के हालात इख़्तिसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही कटिहारी

इस रिसाले में मुख़्तसर अल्फाज़ में जंगे बद्र के हालात को बयान किया गया है।

(43) तह़क़ीक़े इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी

ये किताब इमामते कुब्रा के बारे में है और इस बात की तह़क़ीक़ बयान की गई है कि हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रते अ़ली की इमामत के बारे में अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है।

(44) सफ़रनामा बिलादे ख़मसा - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये एक सफ़रनामा है, हिंदुस्तान के 5 बिलाद के सफ़र के अहवाल पर मुश्तमिल है, इस के मुताले से जहाँ आप 5 बिलाद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे वहीं कई इल्मी निकात भी आप मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे।

(45) मंसूर हल्लाज - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये मुख़्तसर सा रिसाला हज़रते मंसूर हल्लाज रहीमहुल्लाहु त'आला के हालात पर है जिस में उलमा -ए-अहले सुन्नत की तहक़ीक़ को बयान किया गया है और हज़रते मंसूर हल्लाज के बारे में रखे जाने वाले नज़रियों को पेश कर के जाइज़ा लिया गया है।

(46) फ़र्ज़ी क़ब्रें - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल

ये किताब 20 से ज़ाइद हवालों पर मुश्तमिल है जिस में फ़र्ज़ी कब्रों को बनाने की मज़म्मत बयान की गई है और इसके मुतल्लिक़ दुसरे कई अह़काम नक़्ल किये गए हैं।

(47) इमाम अबू यूसुफ का दिफा - इमामे अहले सुन्नत, आ़ला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला (ये किताब)

ये रिसाला आ़ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत रदियल्लाहो त'आला अनहो का एक फतवा है जो आपने इमाम अबू यूसुफ के दिफा में तहरीर फरमाया है, ग़ैर मुक़ल्लीदीन के एक मश्हूर ऐतराज़ का जवाब बड़े ही जबरदस्त तरीक़े से दिया गया है।

ABDE MUSTAFA OFFICIAL

TO DONATE :

Account Details :

Airtel Payments Bank

Account No.: 9102520764

(Sabir Ansari)

IFSC Code : AIRP0000001

SCAN HERE

PhonePe G Pay Paytm 9102520764

OUR DEPARTMENTS:

ABOUT ABDE MUSTAFA OFFICIAL

Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through electronic and print media. We're working in various departments.

(1) Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You can read hundreds of articles in multiple languages on our blog. These articles are very useful and informative.

(2) Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple languages. Topics of our books are something different and many of them are based on current affairs. Islamic scholars from different countries are sending their books to publish on our platform. We want to make this platform, the biggest virtual library for Ahle Sunnat Wa Jama'at.

(4)E Nikah Matrimonial Service

India's #1 Sunni Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. It's especially for Sunni Muslims and here we don't allow any other sect. If you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform for you.

(4) E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage means a man can marry four womens at once, it's recommended to have more wives but nowadays it's rare because people started to dislike this beautiful Islamic culture. By E Nikah Again Service, we want to promote this culture in our Muslim society.

(5) Roman Books

Roman Books is our very popular department. We are publishing Islamic literature in Roman Urdu Script which is very common on Social Media.Read more about us on our website,

visit : www.abdemustafa.in

AMO
ABDE MUSTAFA OFFICIAL